

बापू

लेखक
घनश्यामदास विड़ला

सर्वोदय साहित्य माला
१०१वां प्रन्थ

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिन्ली

गाधी जयन्ती २ अक्टूबर

१९४० ३०००

मूल्य


वधी	हाथ के कागज पर छपी	डेढ रुपया
,,	एटिक कागज पर छपी	सवा रुपया
सादी	पतले कागज पर छपी	वारह आना

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली

मुद्रक
एस एन. भारती,
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
नई दिल्ली



जेम्स से वूटन के बाद
(दक्षिण अफ्रीका)




दक्षिण अफ्रीका के अन्तिम सत्याग्रह के समय का एक दृश्य
[गांधीजी के साथ श्री कॅलनवॅक, श्री आइजॅक और श्रीमती पोलक]



गांगुले क म्वागत मे—दक्षिण यम्कीका

(सन् १९१२)



दक्षिण अफ्रीका से विदाई
(सन् १९१४)

आदि वचन

यदि भगवद्गीता के बारे में लिखना आसान है, तो गांधीजी के बारे में भी लिखना आसान है, क्योंकि भगवद्गीता पर लिखा हुआ भाष्य न केवल गीता-भाष्य होगा, बल्कि भाष्यकार के जीवन का वह दर्पण भी होगा। जैसे गीतारहस्य लोकमान्य के जीवन का दर्पण है, वैसे ही अनामकित्तयोग गांधीजी के जीवन का दर्पण है। ठीक उसी तरह गांधीजी के जीवन की समीक्षा करने में लेखक अपने जीवन का चित्र भी उस समीक्षा के दर्पण में खींच लेना है।

एक बात और। जैसे गीता सबके लिए एक खुली पुस्तक है, उसी तरह गांधीजी का जीवन भी एक खुली पुस्तक कहा जा सकता है। गीता को बड़े-बड़े विद्वान् तो पढ़ते ही हैं, हजारों श्रद्धालु लोग भी, जो प्रायः निरक्षर होते हैं, उसे प्रेम से पढ़ते हैं। गांधीजी के जीवन की—विशेषतः उनकी आत्मकथा की—भी यही बात है। जैसे गीता सबके काम की चीज है, वैसे गांधीजी भी सबके काम के हैं। गीता ने बड़े विद्वान् अधिक लाभ उठाते हैं, या निरक्षर किंतु श्रद्धालु भक्त अधिक

उठाते हैं, यह विचारनेयोग्य प्रश्न है । यही बात गाधीजी के विषय में भी है । उनके जीवन को—उनके सिद्धान्तों को— समझने के लिए न तो विद्वत्ता की आवश्यकता है, न लेखन-शक्ति की । उसके लिए तो हृदय चाहिए, सत्य-शीलता चाहिए । मुझे पता नहीं, श्री घनश्यामदासजी का नाम विद्वानों या लेखकों में गिना जाता है या नहीं, किंतु घनिकों में तो गिना ही जाता है । परन्तु उन्होंने घन की माया से अलिप्त रहकर और अपने हृदय को स्फटिक-सा निर्मल और बुद्धि एव वाणी को सत्यपूत रक्खा है । और उस हृदय, बुद्धि और वाणी से की गई यह समीक्षा, विडलाजी आज अच्छे विद्वान् या लेखक न माने जाते हो तो भी, समीक्षा की उत्तम पुस्तकों में स्थान पायेगी और हिन्दी के उत्कृष्ट लेखकों में उनकी गणना करायेगी ।

यों तो श्री घनश्यामदासजी की लेखन-शक्ति का परिचय जितना मुझे है उतना हिन्दी-जगत् को शायद न होगा । मैं कई साल से उनके सम्पर्क में हूँ, उनके हिन्दी भाषा में लिखे हुए पत्र मुझे सीधी-सादी, नपी-तुली और सारगर्भित शैली के अनुपम नमूने मालूम हुए हैं । और जबसे मैं उस शैली पर मुग्ध हुआ हूँ, तबसे सोचता आया हूँ कि विडलाजी कुछ लिखते क्यों नहीं ! मुझे बड़ा आनन्द

होता है कि इस पुस्तक में उसी आकर्षक शैली का परिचय मिलता है जिसका कि उनके पत्रों में मिलता था ।

गांधीजी के सम्पर्क में आये विडलाजी को २५ वर्ष हो गये हैं । इस पञ्चम साल के सवध के वारे में वह लिखते हैं

“जबसे मुझे गांधीजी का प्रथम दर्शन हुआ, तबसे मेरा उनका अविच्छिन्न सम्बन्ध जारी है । पहले कुछ साल में समालोचक होकर उनके पास जाता था, उनके छिद्र ढूँढने की कोशिश करता था । क्योंकि नौजवानों के आराध्य लोकमान्य की स्याति को इनकी स्याति टक्कर लगाने लग गई थी, जो मुझे रुचिकर नहीं मालूम देती थी । पर ज्यो-ज्यो छिद्र ढूँढने के लिए मैं गहरा उतरा, त्यों-त्यों मुझे निराश होना पडा और कुछ असें में नमात्रोचक की वृत्ति आदर में परिणत होगई और फिर आदर ने भक्ति का रूप ले लिया है । बात यह है कि गांधीजी का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई विरला ही उनके नसर्ग से विना प्रभावान्वित हुए छूटना है ।” उनना मैं जानता हूँ कि घनश्यामदामजी विडला तो नहीं छूटे । वह लिखते हैं- “गांधीजी से मेरा पञ्चम साल का सम्पर्क रहा है । मैंने अत्यन्त निकट में सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा उनका अध्ययन किया है, समालोचक होकर छिद्रान्वेषण किया है, पर मैंने उन्हें

कभी सोते नहीं पाया ।” यह वचन गाधीजी के वारे में तो सत्य है ही, पर विडलाजी के वारे में भी काफी अंश में सत्य है । क्योंकि गाधीजी न सिर्फ़ खुद ही नहीं सोते हैं, बल्कि जो उनके प्रभाव में आते हैं उनको भी नहीं सोने देते हैं ।

यह पुस्तक इस जाग्रत अध्ययन, अनुभव और समालोचन का एक सुन्दर फल है । उन्होंने एक-एक छोटी-मोटी बात को लेकर गाधीजी के जीवन को देखने का प्रयत्न किया है । गाधीजी से पहले-पहल मिलने के बाद विडलाजी ने उनको एक पत्र लिखा । जवाब में एक पोस्टकार्ड आया, ‘जिसमें मैंसे की किरफायत तो थी ही, पर भापा की भी काफी किरफायत थी ।’ बात तो मामूली-सी है, परन्तु उसमें में गाधीजी के जीवन की एक कुजी उन्हें मिल जाती है । “पता नहीं, कितने नौजवानों पर गाधीजीने इन तरह छाप डाली होगी, कितनों को उलझन में डाला होगा, कितनों के लिए वह कीतूहल की सामग्री बने होंगे । पर १९१५ में जिस तरह वह लोगों के लिए पहली थे, वैसे ही आज भी है ।” यह सही है, पर इस पुस्तक में हम देखते हैं कि उनके जीवन की कई पहलियाँ घनश्यामदामजी ने अच्छी तरह सुलझाई हैं ।

गीता इतना सीधा-सादा और लोकप्रिय ग्रंथ होने पर भी

पहेलियो ने भरा हुआ है। इसी तरह गांधीजी का जीवन भी पहेलियो से भरा पडा है। कुछ रोज पहले रामकृष्ण-मठ के एक स्वामीजी यहाँ आये थे। बडे सज्जन थे, गांधीजी के प्रति बडा आदर रखते थे, और गांधीजी की ग्रामोद्योग-प्रवृत्ति अच्छी तरह समझने के लिए, और कातने धुनने की क्रिया सीखकर अपने समाज में उसका प्रचार करने के लिए वह यहाँ आये थे। एक रोज मुझसे वह पूछने लगे, "गांधीजी के जीवन की एकाग्रता देखकर मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, और उनकी ईश्वर-श्रद्धा देखकर भी। क्या गांधीजी कभी भावावेश में आजाते हैं ? क्या दिन में किसी समय वह ध्यानावस्थित होकर बैठते हैं ?" मैंने कहा—“नहीं, उनके लिए यह बडी पहेली होगई कि ऐसे कोई बाह्य चिन्ह न होते हुए भी गांधीजी बडे भक्त हैं और योगी हैं।” गांधीजी के जीवन में ऐसी कई पहेलियाँ हैं। उनमें से अनेक पहेलियो को हल करने का मफल प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है।

एक उदाहरण लीजिए। अहिंसा ने क्या सब वस्तुओ की रक्षा हो सकती है ? यह प्रश्न अक्सर उपस्थित किया जाता है। इस प्रश्न का कैसी सुन्दर भाषा में विटलाजी ने उत्तर दिया है

“धन-सम्पत्ति-संग्रह, माल-जायदाद इत्यादि की रक्षा क्या अहिंसा से हो सकती है ? हो भी सकती है और नहीं भी । जो लोग निजी उपयोग के लिए संग्रह लेकर बैठे हैं, सम्भव नहीं कि वे अहिंसा-नीति के पात्र हों । अहिंसा यदि कायरता का दूसरा नाम नहीं, तो फिर सच्ची अहिंसा वह है, जो अपने स्वार्थ के लिए संग्रह करना नहीं सिखाती । अहिंसक को लोभ कहाँ ? ऐसी हालत में अहिंसक को अपने लिए संग्रह करने की या रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं होती । योग-क्षेम के झगड़े में शायद ही अहिंसा का पुजारी पड़े ।

“निर्योगक्षेम आत्मवान्”—गीता ने यह धर्म अर्जुन—जैसे गृहस्थ व्यक्ति का बताया है । यह तो सन्यासी का धर्म है—ऐसा गीता ने नहीं कहा । गीता सन्यास नहीं, कर्म सिखाती है, जो गृहस्थ का धर्म है । अहिंसावादी का भी शुद्ध धर्म उसे योग-क्षेम के झगड़े से दूर रहना सिखाता है । पर संग्रह करना और उसकी रक्षा करना ‘स्व’ और ‘पर’ दोनों के लाभ के लिए हो सकता है । जो ‘स्व’ के लिए संग्रह लेकर बैठे हैं, वे अहिंसा-धर्म की पात्रता संपादन नहीं कर सकते । जो ‘पर’ के लिए संग्रह लेकर बैठे हैं, वे गांधीजी के शब्दों में ‘ट्रस्टी’ हैं । वे अनासक्त होकर

योग-क्षेम का अनुसरण कर सकते हैं। वे सग्रह रखते हुए भी अहिंसावादी हैं, क्योंकि उन्हें सग्रह में कोई राग नहीं। धर्म के लिए जो सग्रह है, वह धर्म के लिए अनायास छोटा भी जा सकता है और उसकी रक्षा का प्रश्न हो तो वह तो धर्म से ही की जा सकती है, पाप से नहीं। इसके विपरीत, जो लोग सग्रह में आसक्त हैं, वे न तो अहिंसात्मक ही हो सकते हैं, न फिर अहिंसा से धन की रक्षा का प्रश्न ही उनके सम्बन्ध में उपयुक्त है। पर यह सभव है कि ऐसे लोग हों, जो पूर्णतः अहिंसात्मक हों, जो सब तरह से पात्र हों, और अपनी आत्मशक्ति द्वारा, यदि उन्हें ऐसा करना धर्म लगे तो, किसीके सग्रह की भी वे रक्षा कर सकें।

“पर यह कभी न भूलना चाहिए कि अहिंसक और हिंसक मार्ग की कोई तुलना है ही नहीं। दोनों के लक्ष्य ही अलग-अलग हैं। जो काम हिंसा से मफलतापूर्वक हो सकता है—चाहे वह सफलता क्षणिक ही क्यों न हो—वह अहिंसा से हो ही नहीं सकता। ममलन् हम अहिंसात्मक उपायो में साम्राज्य नहीं फैला सकते, किसीका देग नहीं लूट सकते। इटली ने अवीसीनिया में जो अपना साम्राज्य-स्थापन किया, वह तो हिंसात्मक उपायो द्वारा ही हो सकता था।

“इसके माने यह है कि अहिंसा से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, पाप की नहीं। और सग्रह यदि पाप का दूसरा नाम है, तो सग्रह की भी नहीं। अहिंसा में जिन्हे रुचि है, वे पाप की रक्षा करना ही क्यों चाहेंगे ? अहिंसा का यह मर्यादित क्षेत्र यदि हम हृदयगम करले, तो इससे बहुत-सी शकाओ का समाधान अपने-आप हो जायेगा। बात यह है कि जिस चीज की हम रक्षा करना चाहते हैं वह यदि धर्म है, तब तो अहिंसात्मक विधियों से विपक्षी का हम सफलतापूर्वक मुकाबिला कर सकते हैं। और यदि यह पाप है, तो हमें स्वयं उसे त्याग देना चाहिए और ऐसी हालत में प्रतिकार का प्रश्न ही नहीं रहता।

“यह निर्णय फिर भी हमारे लिए बाकी रह जाता है कि “धर्म क्या है, अधर्म क्या है ?” पर धर्माधर्म के निर्णय में मृत्यु के अनुयायी को कहीं कठिनता हुई है ?

“जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ;

हों बीरी ढूँढन गई, रही किनारे बैठ।”

असल बात तो यह है कि जब हम धर्म की नहीं, पाप की ही रक्षा करना चाहते हैं, और चूंकि अहिंसा से पाप की रक्षा नहीं हो सकती, तब अहिंसा के गुण-प्रभाव में हमें शका होती है और अनेक तर्क-वितर्क उपस्थित होते हैं।”

इसी तरह जितने प्रश्न विडलाजी ने उठाये हैं उन सबकी चर्चा मूक्षम अवलोकन और चिंतन ने भरी हुई है। उनके धर्म-चिंतन और धर्मग्रन्थों के अध्ययन का तो मुझे तनिक भी खयाल नहीं था। इस पुस्तक से उनका पर्याप्त परिचय मिलता है। गीता के कुछ श्लोक जो कहीं-कहीं उन्होंने उद्धृत किये हैं, उनका रहस्य खोलने में उन्होंने कितनी मौलिकता दिखाई है।

विडलाजी की किफायती और चुभ जानेवाली शैली के तो हमको स्थान-स्थान पर प्रमाण मिलते हैं “असल में तो शुद्ध मनुष्य स्वयं ही शस्त्र है और स्वयं ही उनका चालक है।” “गन्दे कपड़े की गन्दगी की यदि हम रक्षा करना चाहते हैं तो पानी और भावुन का क्या काम ? वहाँ तो कीचड़ की जरूरत है।” “आकाशवाणी अन्य चीजों की तरह पात्र ही सुन सकता है, सूर्य का प्रतिबिम्ब शीशे पर ही पड़ेगा, पत्थर पर नहीं।” “सरकार ने हमें शान्ति दी, रक्षा दी, परतन्त्रता दी, नुमाइन्दे भी वही नियुक्त क्यों न करे ?” “सूरज से पूछो कि आप नदों में दक्षिणायन और गर्मी में उत्तरायण क्यों हो जाते हैं, तो कोई यथार्थ उत्तर मित्रेगा ? सर्दी-गर्मी दक्षिणायन-उत्तरायण के कारण होती हैं, न कि दक्षिणायन-उत्तरायण नदों-गर्मी के

कारण । गाधीजी की दलीले भी वैसी ही हैं । वह निर्णय के कारण बनती हैं, न कि निर्णय उनके कारण ।”

आखिरी तुलना कितनी मनोहर, कितनी मौलिक और कितनी अर्थपूर्ण है ! गाधीजी के जीवन के कई कार्यों पर इस दृष्टि से कितना प्रकाश पड़ता है !

गाधीजी की आत्म-कथा तो हम सब पढ़ चुके हैं, परन्तु उसके कुछ भागों पर श्री घनश्यामदासजी ने जैसा भाष्य किया है, वैसा हममें से शायद ही कोई करते हो । गाधीजी को मारने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की भीड़ टूट पड़ती है । मुश्किल से गाधीजी इससे बचते हैं । विडलाजी को उस दृश्य का विचार करते ही दिल्ली के लक्ष्मीनारायण-मन्दिर के उद्घाटन के समय की भीड़ याद आ जाती है, और दोनों दृश्यों का सुन्दर समन्वय करके वे अपनी बात का समर्थन करते हैं ।

गाधीजी के उपवास, उनकी ईश्वर-श्रद्धा, उनके सत्याग्रह आदि कई प्रश्नों पर, उनके जीवन के अनेक प्रसंग लेकर उसकी गहरी छानबीन करके, उन्होंने बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है ।

उनकी समझ, उनकी दृष्टि इतनी सच्ची है कि कहीं-कहीं उनका स्पष्टीकरण गाधीजी के स्पष्टीकरण की याद

दिलाता है । यह पुस्तक तो लिखी गई थी कोई तीन महीने पहले, लेकिन उम समय उन्होंने अहिंसक सेनापति और अहिंसक सेना के बारे में जो-कुछ लिखा था वह मानो वैसा ही है जैसा अभी कुछ दिन पहले गांधीजी ने 'हरिजन' में लिखा था—“यह आशा नहीं की जाती कि समाज का हर मनुष्य पूर्ण अहिंसक होगा । पर जहाँ हिंसक फौज के बल पर शान्ति और साम्राज्य की नीवडाली जाती है, वहाँ भी यह आशा नहीं की जाती कि हर मनुष्य युद्ध-कला में निपुण होगा । करोड़ों की वस्तीवाले मुल्क की रक्षा के लिए कुछ थोड़े लाख मनुष्य काफी समझे जाते हैं । सौ में एक मनुष्य यदि सिपाही हो तो पर्याप्त माना जाता है । फिर उन सिपाहियों में से भी जो ऊपरी गणनायक होते हैं, उन्हींकी निपुणता पर सारा व्यवहार चलता है ।

आज इंग्लिस्तान में कितने निपुण गणनायक होंगे, जो फौज के संचालन में अत्यन्त दक्ष माने जाते हैं ? शायद दम-वीस । पर बाकी जो लाखों की फौज है, उससे तो इतनी ही आशा की जाती है कि उनमें अपने अफसरों की आज्ञा पर मरने की शक्ति हो । इसी उदाहरण के आधार पर हम एक अहिंसात्मक फौज की भी कल्पना कर सकते हैं । अहिंसात्मक फौज के जो गणनायक हों, उनमें पूर्ण आत्म-

शुद्धि हो, जो अनुयायी हो वे श्रद्धालु हो, और चाहे उनमें इतना तीक्ष्ण विवेक न हो, पर उनमें सत्य-अहिंसा के लिए मरने की शक्ति हो। इतना यदि है तो काफी है।”

सारी पुस्तक विडलाजी की तलस्पर्शी परीक्षण-शक्ति का सुन्दर नमूना है। केवल एक स्थान पर मुझे ऐसा लगा कि वह जितनी दूर जाना चाहिए उतने दूर नहीं गये। अहिंसा की समीक्षा करते हुए उन्होंने एक अवाध सत्य प्रतिपादित किया है—अनासक्त होकर, अरागद्वेष होकर जनहित के लिए की गई हिंसा अहिंसा है। यह अवाध सत्य तो गीता में है ही। पर उसपर से विडलाजी ने जो अनुमान निकाला है, उसे शायद ही गांधीजी स्वीकारेंगे। विडलाजी कहते हैं—“गांधीजी स्वयं जीवन-मुक्त दशा में चाहे अहिंसात्मक हिंसा भी कर सकें, जैसे कि बछड़े की हिंसा, पर साधारण मनुष्य वह नहीं कर सकता है।” इसपर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। बछड़े की हिंसा जीवन-मुक्त दशा में की गई हिंसा का उदाहरण है ही नहीं। थोड़े दिन पहले सेवाग्राम में एक पागल सियार आगया था। उसे मारने की गांधीजी ने आज्ञा दे दी थी, और ये मारनेवाले कोई अनामकत जीवन-मुक्त नहीं थे। वह आवश्यक और अनिवार्य हिंसा थी, जितनी कि कृषि-कार्य में कीटादि की हिंसा आवश्यक और

अनिवार्य हो जाती है। हिंसा के भी कई प्रकार हैं। बछड़े की हिंसा का दूसरा प्रकार है। घुड़दौट में जिस घोड़े का पैर टूट जाता है या ऐसी चोट लगती है कि जिसका इलाज ही नहीं है, और पशु के लिए जीना एक यत्रणा हो जाता है, उसे अंग्रेज लोग मार डालते हैं। वे प्रेम में, अद्वेष में मारते हैं, पर वे मारनेवाले कोई अनासक्त या जीवन-मुक्त नहीं होते। जिन हिंसा का गीता ने विहित कहा है, वह हिंसा अलौकिक पुण्य ही कर सकता है—गम, कृष्ण कर सकते हैं। परन्तु राम और कृष्ण, गांधीजी के अभिप्राय में, वहाँ ईश्वरवाचक हैं। गांधीजी अपनेको जीवन-मुक्त नहीं मानते और न वे और किसीको भी सपूर्ण जीवन-मुक्त मानने के लिए तैयार हैं। सपूर्ण जीवन-मुक्त ईश्वर ही हैं और यह गांधीजी की दृढ़ मान्यता है कि 'हत्त्वाऽपि स इमांल्लोकान् हति न निवध्यते' वचन भी ईश्वर के लिए ही है। इसलिए वह कहते हैं—मनुष्य चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, चाहे जितना शुद्ध क्यों न हो, ईश्वर का पद नहीं ले सकता, और न व्यापक जनहित के लिए भी उसे हिंसा करने का अधिकार है। उन निर्णय में वे मत्याग्रह और उपवास की उत्पत्ति हुई।

उन एक म्यान को छोड़कर बाकी पुस्तक में मुझे वहाँ

कुछ भी नहीं खटका, बल्कि सारा विवेचन इतना तलस्पर्शी और सारा दर्शन इतना दोषमुक्त मालूम हुआ है कि मैं पुस्तक को प्रूफ के रूप में ही दो बार पढ़ गया, तथा और भी कई बार पढ़ूँ तो भी मुझे थकान नहीं आयेगी। मुझे आशा है कि और पाठको की भी यही दशा होगी, और जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, औरों को भी इस पुस्तक का-पठन शांतिप्रद और चेतनाप्रद मालूम होगा।

सेवाग्राम,
८-९-४० }

महादेव देसाई

चित्र-सूची

नाम	पृष्ठ संख्या
१. बापू	मुख पृष्ठ पर
२. गांधीजी के साथ लेखक	१६
३. महात्मा गांधी . चीनी चित्रकार द्वारा	४६
४. ध्यानावस्थित	६४
५. वा	८०
६. लन्दन में दूसरी गोलमेज परिषद के समय	६६
७. 'भिन्नादेहि'	६७
८. रेखाचित्र	११३
९. रेखाचित्र	१२८
१०. जेल से छूटने के बाद (दक्षिण अफ्रीका)	१६०
११. दक्षिण अफ्रीका का एक दृश्य	१६१
१२. गोखले के स्वागत में (दक्षिण अफ्रीका)	१७६
१३. दक्षिण अफ्रीका से विदाई	१७७

वापू

गां श्रीजी का जन्म अक्तूबर मन् १८६६ ईस्वी में हुआ। उस हिमाचल में वह एकदत्तर वर्ष समाप्त कर चुके। अनन्तकाल के अपरिमित गर्भ में क्या एकदत्तर और क्या एकदत्तर साँ। अथाह सागर के जल में विद्यमान एक बूँद की गणना भले ही हो सके, पर अनन्तकाल के उदर में बने हुए एकदत्तर साल की क्या विमात ? फिर भी वह सही है कि भारत के उस युग के इतिहास में उन एकदत्तर सालों का इतना महत्त्व है जितना और किसीका गायब ही हो।

भारतवर्ष में उस समय एक नई तरह की मानसिक हलचल का दौरा-दौरा है, एक नई तरह की जायति है, एक नये अनुभव में से हम पार हो रहे हैं। वार्मिन् विप्लव वहाँ अनेक हुए थे पर राजनीति का जामा परन्तु वर्म किस तरह अपनी सत्ता जमाना चाहता है, यह उस देश के लिए एक नया अनुभव है। उसका अन्त क्या होगा वह तो भविष्य ही बतायेगा।

पर जबकि सारा ससार अस्त्र-शस्त्रों के मारक गर्जन से त्रस्त है और विज्ञान नित्य ऐसे नये-नये ध्वंसक आविष्कार करने में व्यस्त है, जो छिन में एक पल पहले की हरी-भरी फुलवाडी को फूँककर स्मशान बना दें, जबकि स्वदेश और स्वदेश-भक्ति के नाम पर खून की नदियाँ बहाना गौरव की बात समझी जाती हो, जबकि सत्यानाशी कामो द्वारा मानवधर्म की सिंहासन-स्थापना का सुख-स्वप्न लिया जाता हो, ऐसे अन्वकार में गांधीजी का प्रवेश आशा की एक शीतल किरण की तरह है जो. यदि भगवान् चाहे तो, एक प्रचण्ड जीवक तेज में परिणत होकर ससार में फिर शान्ति स्थापित कर सकती है ।

पर शायद मैं आशा के बहाव में बहा जा रहा हूँ ।

तो भी इतना तो शुद्ध सत्य है ही कि गांधीजी के आविर्भाव ने इस देश में एक आशा, एक उत्साह, एक उमंग और जीवन में एक नया ढंग पैदा कर दिया है, जो हजारों साल के प्रमाद के बाद एक विल्कुल नई चीज है ।

किसी एक महापुरुष की दूसरे से तुलना करना एक कष्ट-साध्य प्रयास है । फिर गांधी हर युग में पैदा भी कहाँ होते हैं ? हमारे पास प्राचीन इतिहास—जिसे दर-असल तारीख कहा जा सके—भी तो नहीं है कि हम

गणना कर कि कितने हजार वर्षों में कै गांधी पैदा हुए । राम-कृष्ण चाहे देहवारी जीव रहे हों, पर कवि ने मनुष्य-जीवन की परिधि में बाहर निकालकर उन्हें एक अ-लौकिक रूप दे दिया है । कवि तो कवि ही ठहरा, इसलिए उसका दिया हुआ अलौकिक स्वरूप भी अपूर्ण है । ऐसे स्वरूप के विवरण के लिए तो कवि अलौकिक, लेखनी अलौकिक और भाषा भी अलौकिक ही चाहिए । पर तो भी कवि की इस कृति के कारण राम-कृष्ण को मानवी मापदण्ड से मापना दुष्कर हो गया है ।

इसके विपरीत कवि के पुष्कल प्रयत्न करने पर भी वह बुद्ध की ऐतिहासिकता और उसका मानवी जीवन न भिटा सका । इसलिए समार के ऐतिहासिक महापुरुषों में बुद्ध ने एक अत्यन्त ऊँचा स्थान पाया । पर कलियुग में एक ही बुद्ध हुआ है और एक ही गांधी । बुद्ध ने अपने जीवनकाल में एक दीपक जलाया, जिमने उसकी मृत्यु के बाद अपने प्रचण्ड तेज में एशियाभर में प्रकाश फैला दिया । गांधीजी ने अपने जीवनकाल में उनमें वहीं अधिक प्रखर अग्नि-गिरना प्रदीप्त की, जो शायद समय पाकर समारभर को प्रज्वलित करदे ।

अपने जीवनकाल में गांधीजी ने जितना यश कमाया जितनी ख्याति प्राप्त की और वह जितने लोकप्रिय

हुए, उतना शायद ही कोई ऐतिहासिक पुरुष हुआ हो ।
ऐसे पुरुष के विषय में कोई कहौतक लिखे ? इकहत्तर
साल की क्रमवद्ध जीवनी शायद ही कभी सफलता के साथ
लिखी जा सके । और फिर गाधीजी को पूरा जानता भी
कौन है ?

“सम्यक् जानाति वै कृष्ण. किञ्चित् पार्थो धनुर्धर ”

जैसे गीता के बारे में यह कहा गया है, वैसे गाधीजी
के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्हें भली प्रकार तो
खुद वही जानते हैं, बाकी कुछ-कुछ महादेव देसाई भी ।

मैंने गांधीजी को पहले-पहल देखा तब या तो उन्नीसवां चोदह का अन्त था, या पन्द्रह का प्रारम्भ। जाटे का मामला था। तन्दन से गांधीजी स्वदेश लौट आये थे और कलकत्ते आने की उनकी तैयारी थी। जब यह खबर सुनी कि कर्मवीर गांधी कलकत्ते आ रहे हैं, तो सार्वजनिक कार्यकर्त्तियों के दिल में एक तरह का चाव-सा उमड़ पड़ा। उन दिनों का सार्वजनिक जीवन कुछ दूसरा ही था। अखबारों में लेख लिखना, व्याख्यान देना, नेताओं का स्वागत करना और स्वयं भी स्वागत की जालसा का ब्यूट रचना, सार्वजनिक जीवन करीब-करीब यहाँतक सीमित था।

मैंने उन दिनों जवानी में पाँच रक्खा ही था, बीसी बस खत्म हुई ही थी। पाँच सवारों में अपना नाम लिखाने की चार लिये मैं भी फिरता था। मैदानों में वातटियर बनकर भीड़ में लोगों की रक्षा करना. ब्राह्म-पीडित या अज्ञात-पीडित लोगों की सेवा के लिए न्याय-केन्द्र

खोलना, चन्दा मँगना और देना, नेताओं का स्वागत करना, उनके व्याख्यानो मे उपस्थित होना, यह उन दिनों के सार्वजनिक जीवन मे रस लेनेवाले नौजवानो के कर्त्तव्य की चौहद्दी थी । उनकी शिक्षा-दीक्षा इसी चौहद्दी के भीतर शुरू होती थी । मेरी भी यह चौहद्दी थी, जिसके भीतर रस और उत्साह के साथ मैं चक्कर काटा करता था ।

नेतागण इस चौहद्दी के बाहर थे । उनके लिए कोई नियम, नियंत्रण या विधान नहीं था । जोगीले व्याख्यान देना, चन्दा मँगना, यह उनका काम था । स्वागत पाना, यह उनका अधिकार था । इसके माने यह नहीं कि नेता लोग अकर्मण्य थे या कर्त्तव्य में उनका मोह था । बात यह थी कि उनके पास इसके सिवा कोई कार्यक्रम ही नहीं था, न कोई कल्पना थी । जनता भी उनसे इससे अधिक की आशा नहीं रखती थी । नेता थे भी थोड़े-से, इसलिए उनका बाजार गरम था । अनुयायी भक्ति-भाव से पूजन-अर्चन करते थे, जिसे नेता लोग बिना सकोच के ग्रहण करते थे ।

उस समय के लीडरों की नुकताचीनी करते हुए अकबर साहब ने लिखा था :—

“कौम के ग्रम में टिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,
रज लीडर को बहुत हैं, मगर आराम के साथ ।”

अवश्य ही अकबर साहब ने घोंटे और गदह को एक ही चाबुक से हॉकने की कोशिश की, मगर इसमें सरासर अत्युक्ति थी ऐसा भी नहीं कहना चाहिए।

यदि कुछ लीटरों के साथ उन्होंने अन्याय किया, तो बहुतों के बारे में उन्होंने यथार्थ बात भी कह दी।

गांधीवाद के आविर्भाव के बाद तो मापदंड कुछ न्यारा ही बन गया। नेताओं को लोग दृश्यात्मक और खुर्दबीन से देखने लग गये। एक ओर चरित्र की पूछ-ताछ बढ़ गई, तो दूसरी ओर उसके साथ-साथ पाखण्ड भी बढ़ा। स्वार्थ में वृद्धि हुई, पर त्याग भी बढ़ा। शान्त सरोवर में गांधीवाद की मयनी ने पानी को विलो डाला। उसमें से अमृत भी निकला और विष भी। उसमें से देवासुर-सग्राम भी निकला। गांधीजी ने न मालूम कितनी बेर विष की कड़वी घूँटें पीं और शिव की तरह नीलकण्ठ बने। सग्राम तो अभी जारी ही है और मुरों की विजय अन्त में अवश्यम्भावी है, यह आशा लिये लोग बैठे हैं। पर जिस समय की मैं बातें कर रहा हूँ, उस समय वह सब कुछ न था। सरोवर का पानी शान्त था। ऊपा की लात्तियाँ शान्त भाव में गगन में विद्यमान थीं। पर सूर्योदय अभी नहीं हुआ था। पुनर्जन्म की तैयारी थी, पर या तो नये जन्म में पहले की मृत्यु का मनाया था या प्रमद-बेदना के

वाद की सुपुष्टि-जनित शांति । न नेताओं को पाखण्ड में आत्मग्लानि थी न अनुयायी ही इस चीज को वैसी बुरी नजर से देखते थे ।

ऐसे समय में गांधीजी अफ्रीका से लन्दन होते हुए स्वदेश लौटे और सारे हिन्दुस्तान का दौरा शुरू किया । कलकत्ते में भी उसी सिलसिले में उनके आगमन की तैयारी थी ।

मुझे याद आता है कि गांधीजी के प्रथम दर्शन ने मुझमें काफी कौतूहल पैदा किया । एक सादा सफेद अग-रखा, बोती, सिर पर काठियावाड़ी फैटा, नगे पाँव, यह उनकी वेशभूषा थी । हमलोगों ने बड़ी तैयारी से उनका स्वागत किया, उनकी गाड़ी को हाथ से खींचकर उनका जुलूस निकाला । पर स्वागतों में भी उनका ढग निराला ही था । मैं उनकी गाड़ी के पीछे साईंस की जगह खड़ा होकर 'कर्मवीर गांधी की जय' गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहा था । गांधीजी के साथी ने, जो उनकी बगल में बैठा था, मुझसे कहा : "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत" ऐसा पुकारो । गांधीजी इससे प्रसन्न होंगे । मैंने भी अपना राग बदल दिया ।

पर मालूम होता था गांधीजी को इन सब चीजों में कोई रस न था । उनके व्याख्यान में भी एक तरह की

नीरसता थी। न जोश था, न कोई अन्वामाविकता थी न उपदेश देने की व्यास-वृत्ति थी। आवाज में न चढ़ाव था, न उतार। बस एक तार या एक तर्ज थी। पर इस नीरसता के नीचे दबी हुई एक चमक थी जो श्रोताओं पर छाप डाल रही थी।

मुझे याद आता है कि कलकत्ते में उन्होंने जितने व्याख्यान दिये—शायद कुल पँच व्याख्यान दिये होंगे—वे प्रायः सभी हिन्दी भाषा में दिये। सभी व्याख्यानों में उन्होंने गोखले की जी-भरकर प्रशंसा की। उन्हें अपना राजनैतिक गुरु बताया और वह भी कहा कि श्री गोखले की आज्ञा है कि मैं एक साल देश में भ्रमण करूँ अनुभव प्राप्त करूँ और उनके पीछे मार्क्सजिनिक जीवन में प्रवेश करूँ। इसलिए जबतक मुझे सम्यक् अनुभव नहीं होजाता तबतक मैं किसी विषय पर अपनी पक्की राय कायम करना नहीं चाहता। नौजवानों को गोखले का ढग नापमन्द था, क्योंकि वह जोश की, न कि जोग की, बात किया करते थे, जो उस समय के नौजवानों की शिक्षा-दीक्षा से कम मेल खाती थीं। लोकमान्य लोगों के आराध्य देव और गोखले उपहास्य देव थे। इसलिए हम सभी नौजवानों को गांधीजी का बार-बार गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानना पड़ता।

पर तो भी गाधीजी का उठने-बैठने का ढग, उनका सादा भोजन, सादा रहन-सहन, विनम्रता, कम बोलना, इन सब चीजों ने हमलोगों को एक मोहिनी में डाल दिया । नये नेता की हमलोग कुछ याह न लगा सके ।

मैंने उन दिनों गाधीजी से पूछा कि क्या किसी सार्वजनिक मसले पर आपसे खतोकितावत हो सकती है ? उन्होंने कहा, 'हाँ ।' मुझे यह विश्वास नहीं हुआ कि किसी पत्र का उत्तर एक नेता इतनी जल्दी दे सकता है । वह भी मेरे-जैसे एक अनजान साधारण नौजवान को । पर इसकी परीक्षा मैंने थोड़े ही दिनों बाद करली । उत्तर में तुरन्त एक पोस्टकार्ड आया, जिसमें पैसे की क़िफ़ायत तो यी ही भाषा की भी काफ़ी क़िफ़ायत थी ।

पता नहीं, कितने नौजवानों पर गाधीजी ने इस तरह छाप डाली होगी, कितनों को उलझन में डाला होगा, कितनों के लिए वह कौतूहल की सामग्री बने होंगे । पर १९१५ में जिस तरह वह लोगों के लिए पहली थे, वैसे ही आज भी हैं ।

१९३२ के मत्याग्रह की समाप्ति के बाद लार्ड विलिंगडन पर एक मर्तवा, शायद १९३४ की बात है, मेने जोर डाला कि आप इस तरह गाधीजी से दूर न भागें, उनसे मिलें, उनको समझने की कोशिश करें, इसीमें भारत और इंग्लिस्तान दोनों का कल्याण है। पर वाइसराय पर इसका कोई असर न हुआ। उन्हें भय था कि गाधीजी उन्हें कहीं फाँस न लें। वह मानते थे कि गाधीजी का विश्वास नहीं किया जा सकता। मुझे मालूम है कि भारत-मन्त्री ने भी वाइसराय पर गाधीजी से मेल-जोल करने के लिए जोर डाला था, पर सारी क्रिया निष्फल गई। जिन मेल-मिलाप का अमल-दरामद अरविन्द के जाने के बाद हुआ, वह लिनलिथगो के अनेतक न सध सका।

जिन गाधीजी पर मेरी समझ में निर्भय होकर विश्वास किया जा सकता है, उनके प्रति वाइसराय विलिंगडन का विश्वास न था। वाइसराय ने कहा, “वह इतने चतुर हैं, शोलने में इतने भीठे हैं उनके शब्द इतने द्विअर्थी होते हैं

कि जवतक मैं उनके वाक्पाश में पूरा फँस न चुकूँगा, तवतक मुझे पता भी न लगेगा कि मैं फँस गया हूँ । इसलिए मेरे लिए निर्भय मार्ग तो यही है कि मैं उनसे न मिलूँ, उनसे दूर ही रहूँ ।” मेरे लिए यह अचम्म की बात थी कि गांधीजी के बारे में किसीके ऐसे विचार भी हो सकते हैं । पर पीछे मालूम हुआ कि ऐसी श्रेणी में वाइसराय अकेले ही न थे, और भी कई लोगों को ऐसी शका रही है ।

अमरीका के एक प्रतिष्ठित ग्रन्थकार श्री गुथर ने गांधीजी के बारे में लिखा है

“महात्मा गांधी में ईसामसीह, चाणक्य और बापू का अद्भुत सम्मिश्रण है । बुद्ध के बाद वह सब से महान् व्यक्ति हैं । उनसे अविक पेचदार पुरुष की कल्पना भी नहीं की जा सकती । वह एक ऐसे व्यक्ति है, जो किसी तरह पकड़ में नहीं आ सकते । यह मैं कुछ अनादर भाव में नहीं कह रहा हूँ । एक ही साथ महात्मा, राजनीतिज्ञ, अवतार और प्रतापी अचसरवादी होना, यह मानवी नियमों का अपवाद या अविज्ञा है । उनकी जरा असगतियों का तो खमाल कीजिए । एक तरफ तो गांधीजी का अहिंसा और असहयोग में दृढ विश्वास, और दूसरी ओर इंग्लिस्तान को युद्ध में सहायता देना ! उन्होंने नैतिक दृष्टि में कैद-खानों में उपवास क्रिये पर वे उपवास ही उनकी जेल-

चौदह

मुक्ति के साधन भी बने, यद्यपि उनको इस परिणाम में कोई गरज नहीं थी। जबतक आप यह न समझलें कि वह सिद्धान्त से कभी नहीं हटने चाहे छोटी-मोटी विगतों पर कुछ उबर-उबर हो जायें, तबतक उनकी असगतियाँ बेतरह अरुतरती हैं। इंग्लिस्तान से असहयोग करते हुए भी आज गावीजी ने बढकर इंग्लिस्तान का कोई मित्र नहीं। आधुनिक विज्ञान से उन्हें खूब-सी है, पर वह यर्मामीटर का उपयोग करते हैं, और चश्मा लगाते हैं। हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य चाहते हैं, पर इनका लड़का बोड़े दिनों के लिए बर्म-परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था, इसमें इन्हें चोट लगी। कांग्रेस के वह प्राण हैं, उसके मेरुदण्ड हैं, उसकी आँख हैं, उसके हाथ-पाँव हैं, पर कांग्रेस के वह चार आनेवाले मेम्बर भी नहीं। हर चीज को वह धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, पर उनका बर्म क्या है, उसका विवरण कठिन है। इससे ज्यादा और गोरखधवा क्या हो सकता है ? फिर भी सत्य यही है कि गावीजी एक महान् व्यक्ति हैं, जिनका जीवन शुद्ध गौर्य की प्रतिमा है।”

इसमें कोई शक नहीं कि गावीजी परम्पर-विरुद्ध-धर्मी गुणों के एक गाने सम्मिश्रण हैं। जहाँ “वज्रादपि फठोराणि मृदूनि कुसुमादपि” है। अत्यन्त मरुत. फिर भी

अत्यन्त दृढ़, अतिशय कजूस, पर अतिशय उदार हैं। उनके विश्वास की कोई सीमा नहीं, पर मैंने उन्हें वेमौके अविश्वास भी करते पाया है। गांधीजी एक कुरूप व्यक्ति है जिनके शरीर, आँखों और हर एक अवयव से दैवी सौंदर्य और तेज की आभा टपकती है। उनकी खिल-खिलाहट ने न मालूम कितने लोगों को मोहित कर दिया। उनका बोलने का तरीका बोदा होता है, पर उसमें कोई मोहिनी होती है जिसे पी-पीकर हजारों प्रमत्त होगये।

गांधीजी को शब्दांकित करना यह दुष्कर प्रयास है। कोई पूछे कि कौन-सी चीज है जिम्ने गांधीजी को महात्मा बनाया, तो उसका विस्तारपूर्वक वर्णन करने पर भी शायद सफलता न मिले। बात यह है कि गांधीजी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इतने परस्पर-विद्वेष्ट और समान सम्मिश्रणों के पुतले हैं कि पूरा विश्लेषण करना एक कठिन प्रयत्न है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये सब चीजें हैं, जिनकी सारी शक्ति ने गांधीजी को बड़ा बनाया। गांधीजी को आदमी उनसे सम्यन्वित साहित्य को पढ़कर तो जान ही नहीं सकता, पास में रहकर भी सम्यक् नहीं जान सकता।

गांधीजी का जीवन एक बृहत् दैवी जुलूम है, जिम्ने उनके होश संभालने ही गति पाई, जो अब भी द्रुतगति



लेखक गार्गीची क माग अपनी इक्ष्वी वर्गगाठ पर रामनामी • मंत्र १६६६

सं चलता ही जा रहा है और मृत्युतक लगातार चलता ही रहेगा। उस जुलूम में न मालूम कितने दृश्य हैं, न मालूम कितने अंग हैं। पर इन सब दृश्यों का इन सब अंगों का एक ही व्यंज है और एक ही दिशा में वह जुलूम लगन के साथ चला जा रहा है। हर पल उस जुलूम को अपने व्यंज का जान है, हर पल उग्र प्रयत्न जारी है और हर पल वह अपने व्यंज के निकट पहुँच रहा है।

किमीने गांधीजी को केवल 'बापू' के रूप में ही देखा है, किसीने महात्मा के रूप में, किसीने एक राजनैतिक नेता के रूप में और किसीने एक बागी के रूप में।

गांधीजीने मृत्यु की साधना की है। अहिंसा का आचरण किया है। ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भगवान् की भक्ति की है। हरिजनों का हित साधा है। दरिद्रनारायण की पूजा की है। स्वराज्य के लिए युद्ध किया है। ग्वादी-आंदोलन को अपनाया है। हिन्दू-मुस्लिम-ऐस्य के लिए अथक और अरुण प्रयत्न किया है। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग किये हैं। गांवों के उद्धार की योजना की है। भोजन के सम्बन्ध में स्वास्थ्य और अत्यात्म की दृष्टि से अन्नोपवास किये हैं। ये सब चीजें गांधीजी के अंग बन गई हैं। इन सारी चीजों का एकीकरण जिसमें समाज होता है, वह गांधी है।

“मेरा जीवन क्या है—यह तो सत्य की एक प्रयोग-शाला है। मेरे सारे जीवन में केवल एक ही प्रयत्न रहा है—वह है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात् दर्शन। मैं चाहे सोता हूँ या जागता हूँ, उठता हूँ या बैठता हूँ, खाता हूँ या पीता हूँ, मेरे सामने एक ही ध्येय है। उसीको लेकर मैं जिन्दा हूँ। मेरे व्याख्यान या लेख और मेरी सारी राजनैतिक हलचल, सभी उसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर गतिविधि पाते हैं। मेरा यह दावा नहीं है कि मैं भूल नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि मैंने जो किया वही निर्दोष है। पर मैं एक दावा अवश्य करता हूँ कि मैंने जिस समय जो ठीक माना, उस समय वही किया। जिस समय मुझे जो ‘धर्म’ लगा, उससे मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सेवा ही धर्म है और सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार है।”

गांधीजी का जीवन क्या है, इसपर उनकी उपरोक्त उक्ति काफी प्रकाश डालती है। ये बड़े बोल हैं, जो एक प्रकाश-पुंज से प्लावित व्यक्ति ही अपने मुँह से निकाल सकता है, पर—

“न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां मार्तिनाशनम् ॥”

ये क्या क्रम बड़े बोल ये ?

मेने एक बार कौतुकवश गांधीजी से प्रश्न किया कि आप अपने कौन-से कार्य के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि 'बस, यह मेरा काम मेरे सारे कामों का गिखर है ?'

गांधीजी इसका उत्तर तुरन्त नहीं दे सके । उन्हें एक पल—बस एक ही पल—ठहरना पड़ा, क्योंकि वह महसा कोई उत्तर नहीं दे सकते थे । समुद्र में पूछो कि कौन-सा ऐसा विशेष जल है, जिमने आपको सागर बनाया, तो समुद्र क्या उत्तर देगा ? गांधीजी ने कहा. "सबसे बड़ा काम कौन तो खादी और हरिजन-कार्य ।" मुझे यह उत्तर कुछ गहुत पगन्ड नहीं आया, इसलिए मेने अपना नुभाव पेश किया । "आर अहिंसा ? क्या आपकी मयने बडी देन अहिंसा नहीं ह ?" "हाँ, ह तो, पर यह तो मेरे हर काम में श्रोतप्रोत ह । पर यदि समष्टि अहिंसा में व्यष्टि कार्य का भेद करे, तो कौंगा—खादी और हरिजन-कार्य. ये मेरे श्रेष्ठतम कार्य हैं । अहिंसा तो मानों मेरी मान्दा के मनको में धागा है जो मेरे सारे नामों में श्रोतप्रोत ह ।"

उद्गीत

हरिजन-कार्य अत्यन्त महान् हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। उनको यह चटक कब लगी, यह कोई नहीं बता सकता। पर जब यह बारह साल के थे, तभी इस विषय में इनका हृदय-मन्थन शुरू हो गया था। इनके मेहतर का नाम ऊका था। वह पाखाना साफ करने आया करता था। इनकी माँ ने इनसे कहा, “इसे मत छूना।” पर गांधीजी को इस अछूतपन में कोई सार नहीं लगा। अछूतपन अधर्म है, ऐसा इनका विश्वास बढ़ने लगा था। उस समय के इनके बचपन के खयालात से ही पता लग जाता है कि इन्हें अछूतपन हिन्दू-धर्म में एक असह्य कलक लगता था। जब इन्हें हिन्दू-धर्म में पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, तब भी अछूतपन के कारण इन्हें काफी वेदना होती थी। यही संस्कार थे कि जिनके कारण आज से चालीस वर्ष पहले जब राजकोट में प्लेग चला और इन्होंने जन-सेवा का कार्य-भार अपने ऊपर लिया, तब अछूत-वस्ती का तुरन्त निरीक्षण किया। उस जमाने में इनके साथियों के लिए इनका यह कार्य अनोखा था, पर हरिजन-सेवा के यह बीज उस समय तक अंकुरित हो चुके थे, जो फिर समय पाकर पनपते ही गये। और उस सेवा-वृत्त की प्रचण्डता तो हरिजन-उपवास के समय ही प्रत्यक्ष हुई। हरिजन-उपवास तो क्या था, हिन्दू-समाज को छिन्न-भिन्न

होने से बचाने का एक जबरदस्त प्रयत्न था और उसमें गांधीजी का पूर्ण सफलता मिली ।

एक भीषण पड्यत्र था कि पाँच कराड़ हरिजनों को हिन्दू-समाज से पृथक् कर दिया जाये । इस पड्यत्र में बड़े-बड़े लोग शरीक थे, उनका पता कुछ ही लोगों को था । गांधीजी इसमें परिचित थे । उन्होंने द्वितीय गोल्डमेज-परिषद् में ही अपने व्याख्यान में कूट दिया था कि हरिजनों की रक्षा के लिए वह अपनी जान लड़ा देंगे । इस मर्मस्पर्शी चुनौती का उस समय क्रिमीने इतना गम्भीर अर्थ नहीं निकाला । पर गांधीजी ने तो अपना निर्णय उसी समय बंद डाला था । इसलिए प्रधानमंत्री ने जब अपना हरिजन-निर्णय प्रकट किया तब गांधीजी ने हरिजन रक्षा के लिए, सचमुच ही अपनी जान लड़ा दी । इस प्रकार गांधीजी ने आसपास उपवास करके हिन्दू-समाज और हरिजन दोनों को उबार लिया । अहिंसात्मक शक्ति का यह प्रयोग बड़ी सफलता के साथ कारगर हुआ । इसमें उनकी कोई राजनैतिक चाल नहीं थी, हालाँकि इसका राजनैतिक फल भी उनकी दृष्टि ने ओझल नहीं था । पर उनकी मशा तो केवल धार्मिक थी ।

“हरिजनों को हमने बहुत सताया है । हम अपने पापों का प्रायश्चित्त करके ही उनसे उन्मृग हो सकते हैं — उन

मनोवृत्ति में धर्म और अर्थ दोनों आजाते हैं। पर धर्म मुख्य था, अर्थ गौण। इसका असर व्यापक हुआ। हिन्दू-समाज के टुकड़े होते-होते बच गये। पड़्यत्र बेकार हुआ। जिन्हें इस पड़्यत्र का पता नहीं, उनके लिए हरिजन-कार्य की गुरुता का अनुमान लगाना मुश्किल है। खादी को भी गांधीजी ने वही स्थान दिया, जो हरिजन-कार्य को। इसको समझना आज जरा कठिन है पर शायद फिर कभी यह भी स्पष्ट हो जाये।

“और अहिंसा ?—क्या आपकी सबसे बड़ी देन अहिंसा नहीं है ?” “हाँ, है, पर यह तो मेरे काम में ओतप्रोत है। अहिंसा तो मानों मेरी माला के मनकों में धागा है।” यह प्रश्नोत्तर क्या है, गांधीजी की जीवनी का सूत्र-रूप में वर्णन है। सत्य कहो या अहिंसा, गांधीजी के लिए ये दोनों शब्द करीब-करीब पर्यायवाची हैं। इसी तरह सत्य और ईश्वर भी उनके पर्यायवाची शब्द हैं। पहले वह कहते थे कि ईश्वर सत्य है, अब कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा यदि सत्य है और सत्य अहिंसा है, और ईश्वर यदि सत्य है और सत्य ईश्वर है, तो यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर अहिंसा है और अहिंसा ईश्वर है। चूँकि सत्य, अहिंसा और ईश्वर इन तीनों की सम्पूर्णा प्राप्ति शायद मानव-जीवन में असम्भव है, इस-

लिए गांधीजी तीनों को एक ही मित्रासन पर बिठाकर तीनों की एक ही माय पूजा करते हैं ।

परिणाम यह हुआ कि प्रायःवाच्य जैसे गरीब की तमाम क्रियाओं को जीवन देती है, वैसे ही गांधीजी की अहिंसा उनके सारे कामों का प्राण हो गई है । कितने प्रवचन गांधीजी ने इस विषय पर दिये होंगे, कितने लेख लिखे होंगे ! फिर भी कितने आदमी उनके तात्पर्य को समझे ? और कितनों ने समझकर उसे हृदयगत किया ? कितनों ने उसे आचरण में लाने की कोशिश की ? और कितने सफल हुए ? और दूसरी ओर, गांधीजी की अहिंसा-नीति व्यंग का भी रुम गिहार न बनी । कुतर्कों की कमी न रही । पर इन सबके बीच ऐसे प्रश्न भी उपस्थित होते ही हैं, जो मरतल भाव से शकाम्यद लोगों द्वारा केवल समाधान के लिए ही किये जाते हैं ।

अहिंसा तो मन्यामी का धर्म है । राजधर्म में अहिंसा का क्या काम ? हम अपनी धन-सम्पत्ति की रक्षा अहिंसा द्वारा कैसे कर सकते हैं ? क्या कभी मारा समाज अहिंसात्मक बन सकता है ? यदि नहीं, तो फिर थोड़े-से आदमियों के अहिंसा धारणा करने से उनकी उपयोगिता का महत्त्व क्या ? अहिंसा का उपदेश क्या कारगरता की वृद्धि नहीं करता ? और गांधीजी के बाद अहिंसा की क्या

प्रगति होगी ?”

ऐसे-ऐसे प्रश्न रोज किये जाते हैं । गावीजी उत्तर भी देते हैं, पर प्रश्न जारी ही है । क्योंकि यदि हम केवल जिज्ञासा ही करते रहें और आचरण का प्रयत्न भी न करें, तो फिर शका का समाधान भी क्या हो सकता है ? गुड का स्वाद भी तो आखिर खाने से ही जाना जाता है ।

“हाँ, अहिंसा तो सन्यासी का वर्म है । राजवर्म में तो हिंसा, छल-कपट सब विहित है । हम निःशस्त्र होकर आततायी का मुकाबिला करें तो वह हमें दबा लेगा, हमारी हार होगी और आततायी की जीत । “आततायी बधार्ह” “आततायिनमायात हन्यादेवाविचारयन्” यह शास्त्रों के वचन हैं ।

“अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणि. धनापहः ।

क्षेत्रदारहरश्चैव षडैते आततायिन ॥”

ये सब कुकर्मों आततायी हैं । इन्हें मारना ही चाहिए । यदि हम आततायी को ढड न दें तो ससार में जुल्म की वृद्धि होगी, सन्तजनों के कष्ट बढ़ेंगे, अविर्म की वृद्धि और धर्म का हान होगा ।”

ऐसी ढलीलें रोज सामने आती हैं । पर आश्चर्य तो यह है कि ऐसे तार्किक कोई राजा-महाराजा या राजवर्मों मनुष्य हों सो नहीं । जज का क्या वर्म है, इसकी चर्चा

चौबीस

रास्ते चलनेवाले मनुष्य क्वचित् ही करते सुने जाते हैं । फिर भी रास्ते चलते आदमी अपने को राजधर्म का अधिकारी क्यों मान लेते हैं ? यदि जज किसीको फाँसी की मजा दे सकता है, तो क्या रास्ते चलनेवाले सभी आदमी फाँसी की मजा देने के अधिकारी हो सकते हैं ? कोई तार्किक तर्क करने से पहले अपने-आप से ऐसा प्रश्न नहीं करता । और हमारा विपत्ती ही आततायी है, हम तो दण्ड देने के ही अधिकारी हैं, ऐसा भी हम सहज ही क्यों मान लेते हैं ? आततायी यदि हमीं हों तो फिर क्या ?

हिटलर कहता है, चर्चिल आततायी है, चर्चिल कहता है, हिटलर आततायी है । परस्पर का यह आरोप पूरी सरगर्मी के साथ जारी है । अब दोनों ही अपने-आपको दण्ड देने का अधिकारी मानते हैं, ऐसी स्थिति में निर्णय तो तटस्थ पुरुष ही कर सकता है । पर तटस्थ पुरुष की बात दोनों-के-दोनों यदि स्वीकार करें, तो फिर दण्ड देने या लेने का सवाल ही नहीं रहता ।

बात तो यह है कि अन्तर हम अपनी हिंसा-वृत्ति का पोषण करने के लिए ही प्रमाण का सहारा ढूँढते हैं । "आततायिनमायात हन्यादेवाविचारयन्" का उपयोग अपने विपत्ती के लिए ही हम करते हैं । ऐसा तो कोई नहीं करता कि मैं आततायी हूँ इसलिए मेरा वध किया

जाये । ऐसा कोई कहे तब तो तर्क में जान आजाये । पर
 “मो सम कौन कुटिल खल कामी”—ऐसा तो सरदास ने
 ही कहा । यदि हम विपत्ती के दुर्गुणों की अवगणना करके
 अपने दोषों का आत्म-निरीक्षण ज्यादा जाग्रत होकर करें,
 तो ससार का सारा पाप छिप जाये ।

धन-सम्पत्ति-संग्रह माल-जायदाद इत्यादि की रक्षा
 क्या अहिंसा से हो सकती है ? हो भी सकती है और
 नहीं भी । जो लोग निजी उपयोग के लिए संग्रह लेकर
 बैठे हैं, सभव नहीं कि वे अहिंसा-नीति के पात्र हों ।
 अहिंसा यदि कायरता का दूसरा नाम नहीं, तो फिर सच्ची
 अहिंसा वह है, जो अपने स्वार्थ के लिए संग्रह करना
 नहीं सिखाती । अहिंसक को लोभ कहीं ? ऐसी हालत में
 अहिंसक को अपने लिए संग्रह करने की या रक्षा करने
 की आवश्यकता ही नहीं होती । योग-क्षेम के भगड़े में
 गायद ही अहिंसा का पुजारी पड़े ।

“निर्योगक्षेम आत्मवान्”—गीता ने यह धर्म अर्जुन-
 जैसे गृहस्थ व्यक्ति का बताया है । यह तो सन्यासी का
 धर्म है—ऐसा गीता ने नहीं कहा । गीता सन्यास नहीं, कर्म
 सिखाती है जो गृहस्थ का धर्म है । अहिंसावादी का भी
 शुद्ध धर्म उसे योग-क्षेम के भगड़े से दूर रहना सिखाता
 है । पर संग्रह करना और उसकी रक्षा करना ‘स्व’ और

‘पर दोनों के लाभ के लिए हो सकता है। जो ‘म्व के लिए मग्रह लेकर बैठे हैं वे अहिंसा-धर्म की पात्रता सम्पादन नहीं कर सकते। जो ‘पर के लिए मग्रह लेकर बैठे हैं, वे गांधीजी के शब्दों में ‘ट्रन्डी’ हैं। वे अनासक्त होकर योग-चेम का अनुसरण कर सकते हैं। वे मग्रह ग्वते हुए भी अहिंसावादी हैं क्योंकि उन्हें मग्रह में कोई राग नहीं। धर्म के लिए जो मग्रह है वह धर्म के लिए अनाश्रम छोड़ा भी जा सकता है और उसकी रक्षा का प्रश्न हो तो वह तो धर्म से ही की जा सकती है, पाप से नहीं। इसके विपरीत जो लोग मग्रह में आनक्त हैं वे न तो अहिंसात्मक ही हो सकते हैं न फिर अहिंसा से धन की रक्षा का प्रश्न ही उनके सम्बन्ध में उपयुक्त है। पर यह संभव है कि ऐसे लोग हो जो पूर्णतः अहिंसात्मक हो, जो सब तरह से पात्र हों और अपनी आत्मशक्ति द्वारा यदि उन्हें ऐसा करना धर्म लगे तो, किसीके मग्रह की भी वे रक्षा कर सकें।

पर यह कभी न भूलना चाहिए कि अहिंसक और हिंसक मार्ग की कोई तुलना है ही नहीं। दोनों के लक्ष्य ही अलग-अलग हैं। जो काम हिंसा से सफलतापूर्वक हो सकता है—चाहे वह सफलता क्षणिक ही क्यों न हो—वह अहिंसा से हो ही नहीं सकता। मनलन् हम अहिंसात्मक

उपायों से साम्राज्य नहीं फैला सकते, किसीका देश नहीं लूट सकते। इटली ने अवीसीनिया में जो अपना साम्राज्य-स्थापन किया, वह तो हिंसात्मक उपायों द्वारा ही हो सकता था।

इसके माने यह है कि अहिंसा से हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं, पाप की नहीं। और सग्रह यदि पाप का दूसरा नाम है, तो सग्रह की भी नहीं। अहिंसा में जिन्हें रुचि है, वे पाप की रक्षा करना ही क्यों चाहेंगे? अहिंसा का यह मर्यादित क्षेत्र यदि हम हृदयगम कर लें, तो इससे बहुत-सी शकाओं का समाधान अपने-आप हो जायेगा। बात यह है कि जिस चीज की हम रक्षा करना चाहते हैं वह यदि वर्म है, तब तो अहिंसात्मक विधियों से विपत्ती का हम सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। और यदि यह पाप है, तो हमें स्वयं उसे त्याग देना चाहिए और ऐसी हालत में प्रतिकार का प्रश्न ही नहीं रहता।

यह निर्णय फिर भी हमारे लिए बाकी रह जाता है कि “वर्म क्या है, अवर्म क्या है? पर धर्माधर्म के निर्णय में सत्य के अनुयायी को कहीं कठिनता हुई है?”

“जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ,
मैं बीरी डूँढन गई, रही किनारे बैठ।”

असल बात तो यह है कि जब हम वर्म की नहीं, पाप

की ही रक्षा करना चाहते हैं, और चूँकि अहिंसा से पाप की रक्षा नहीं हो सकती, तब अहिंसा के गुण-प्रभाव में हमें शका होती है और अनेक तर्क-वितर्क उपस्थित होते हैं ।

राजनीति में अहिंसा के प्रवेश से यह उलझन इसलिए बढ़ गई है कि राजनीति का चित्र हमने वही खींचा है, जो यूरोप की राजनीति का हमारे सामने उपस्थित है । जातीयता का अभिमान, जातियों में परस्पर वैरभाव, दूसरे देशों को दबा लेने का लोभ, हमारा उत्थान दूसरों के नाश से ही हो सकता है, ऐसा भ्रम, उससे प्रभावान्वित होकर नीमा की मोर्चाबन्दी करना और नाना प्रकार के मारण-जारण शस्त्रास्त्रों की पैदाइश बढ़ाना । घर के भीतर भी वही प्रवृत्ति है, जो बाहर के देशों के प्रति है । ऐसी हालत में अहिंसा हमारा शत्रु हो या हिंसा हमका निर्णायक करने से पहले तो हमें यह निर्णायक करना होगा कि हमें चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे समाज के लिए, शुद्ध धर्म का मार्ग ही अनुसरण करना है, या पाप का ? अपनी राजनीति हम मानवता की विस्तृत बुनियाद पर रचना चाहते हैं या कुछ लोगों के स्वार्थ की मनुचित भित्ति पर ? फिर चाहे वे कुछ लोग हमारे कुटुम्ब के हों या कबीले के, या प्रान्त के या देश के ।

यूरोप में ऐसे कई सच्चे त्यागी हैं, जो निजी जीवन में केवल सत्य का ही व्यवहार करते हैं। पर जहाँ स्वदेश के हानि-लाभ का प्रश्न उठता है वहाँ सत्य, ईमानदारी, भलमनसाहत, सारी चीजों को तिलाजलि देने में नहीं हिचकते। उनके लिए—यदि वे अहिंसा धारण करना चाहें—तो एक ही मार्ग होगा—पापवृत्ति का त्याग, चाहे वह निजी स्वार्थ के लिए हो या स्वदेश के लिए। उनके लिए स्वदेश की कोई सीमा नहीं।

“अय निज परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानातु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥”

ईश्वर की सारी सृष्टि उनके लिए स्वदेश है। दैवी सपदा की स्थापना और आसुरी का हास, यह उनका व्यय है।

गांधीजी इसीलिए आत्म-शुद्धि पर बार-बार जोर देते हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि अहिंसा-शस्त्र का संचालन बाहर की वस्तुओं पर नहीं, भीतर की वृत्तियों पर अवलम्बित है। फूटी हुई बन्दूक में गोली भरकर चलाओ, तो क्या कभी निशाने पर जा सकती है? वैसे ही, जो मनुष्य शुद्ध हृदयवाला नहीं है, दैवी सपदावाला नहीं है, वह अहिंसा के शस्त्र को क्या उठायेगा? असल में तो शुद्ध मनुष्य स्वयं ही शस्त्र है और स्वयं ही उसका चालक

है। यदि आत्मशुद्धि नहीं है, आसुरी सपदावाला है, तो उसकी हालत फूटी बन्दूक जैसी है। उसके लिए अहिंसा के काँड़ माने नहीं। अहिंसक में ही अहिंसा रह सकती है। अहिंसा धारण करने से पहले मनुष्य को अहिंसक बनना है। और अहिंसक का सकुचित अर्थ भी किया जाये, तो वह यह है कि न्यायपूर्वक चलनेवाला नागरिक।

“क्या सारा समाज अहिंसात्मक हो सकता है ? यदि नहीं, तो फिर उसका व्यावहारिक महत्त्व क्या ?” यह भी प्रश्न है। पर गांधीजी कहें यह आशा करते हैं कि सारा समाज हिंसा का पूर्णतया त्याग कर देगा ? उनकी व्यूह-रचना उस बुनियाद पर है ही नहीं कि सारा समाज अहिंसा-धर्म का पालन करने लग जाये। उनकी यह आशा अवश्य है कि समाज का एक बृहत् अंग हिंसा की पूजा करना तो कम-से-कम छोड़दे, चाहे फिर वह आचरणों में पूर्ण अहिंसावादी न भी हो सके।

यह आशा नहीं की जाती कि समाज का हर मनुष्य पूर्ण अहिंसक होगा। पर जहाँ हिंसक फौज के बल पर शान्ति और साम्राज्य की नींव डाली जाती है, वहाँ भी यह आशा नहीं की जाती कि हर मनुष्य युद्धकला में निपुण होगा। करोड़ों की बस्तीवाले मुल्क की रक्षा के लिए कुछ थोड़े लाल मनुष्य काफी समझे जाते हैं। मौ

में एक मनुष्य यदि सिपाही हो तो पर्याप्त माना जाता है। फिर उन सिपाहियों में से भी जो ऊपरी गणनायक होते हैं, उन्हींकी निपुणता पर सारा व्यवहार चलता है।

आज इंग्लिस्तान में कितने निपुण गणनायक होंगे, जो फौज के संचालन में अत्यन्त दक्ष माने जाते हैं ? शायद दस-बीस। पर बाकी जो लाखों की फौज है, उससे तो इतनी ही आशा की जाती है कि उसमें अपने अफसरों की आज्ञा पर मरने की शक्ति हो। इसी उदाहरण के आधार पर हम एक अहिंसात्मक फौज की भी कल्पना कर सकते हैं। अहिंसात्मक फौज के जो गणनायक हों, उनमें पूर्ण आत्मशुद्धि हो, जो अनुयायी हो वे श्रद्धालु हो, आर चाहे उनमें इतना तीक्ष्ण विवेक न हो, पर उनमें सत्य-अहिंसा के लिए मरने की शक्ति हो। इतना यदि है, तो काफी है। इस हिसाब से अहिंसात्मक फौज बिल्कुल अव्यावहारिक चीज साबित नहीं होती।

हाँ, यदि हमारी महत्त्वाकांक्षा साम्राज्य फैलाने की है, यदि हमारी आँखें दूसरों की सम्पत्ति पर गड़ी है, यदि भूखे पड़ोसियों के प्रति हमें कोई हमदर्दी नहीं है, हम अपने ही स्वार्थ में रत रहकर भोगों के पीछे पड़े हुए हैं, या अपने ही भोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।

गन्डे कपड़े की गन्दगी की यदि हम रक्षा करना चाहते हैं तो पानी और साबुन का क्या काम ? वहाँ तो कीचड़ की ज़रूरत है । गन्दगी रोग पैदा करती है, मृत्यु को समीप लाती है । इसका हमें ज्ञान है । इसलिए हम गन्दगी की रक्षा करना चाहते हैं तो हम दया के पात्र हैं । अहिंसा का पोषक हमें हमारी भूल से बचाने का प्रयत्न करेगा, पर हमारी गन्दगी का पोषण कभी नहीं करेगा, हम चाहे उसके स्वदेशवासी क्या, उसकी सन्तान ही क्यों न हों ।

अहिंसा को राजनीति में गांधीजी ने जान-बूझकर प्रविष्ट किया है, क्योंकि राजनीति में अधर्म विहित है, ऐसा मानकर हम आत्मवचना करते थे । हम उत्तमन में इसलिए पड़ गये हैं कि जहाँ हम गन्दगी का पोषण करना चाहते थे, वहाँ गांधीजी ने हमें पानी और साबुन दिया है । हम हैरान है कि पानी और साबुन से हमारी गन्दगी की रक्षा कैसे हो सकती है । और यह हैरानी सच्ची है, क्योंकि गन्दगी की रक्षा किसी हालत में न होगी । वस, यही उत्तमन है, यही पहेली है और इमी ज्ञान में शक का समाधान है ।

अहिंसा कहो, सत्य कहो, या मोक्ष भी कहो. ये ऐसी वस्तुएँ नहीं हैं कि सम्पूर्णातया जबतक इन चीजों

की प्राप्ति न हो तबतक ये बेकार हैं। दरअसल जीवन में इन चीजों की सम्पूर्णतया प्राप्ति असंभव है। इतना ही कहा जा सकता है कि “अधिकस्य अधिक फलम्” और “स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्”—इसलिए ऐसी बात नहीं है कि बन्दूक की गोली दुश्मन के शरीर पर लगी तो सफल, वरना बेकार। यहाँ तो हार-जैसी कोई चीज ही नहीं है। जितनी भी आत्म-शुद्धि हुई, उतना ही फल।

गांधीजी सत्य और अहिंसा का उपदेश देकर प्रकारांतर से लोगों को अच्छे नागरिक बनने का उपदेश देते हैं। वह कहते हैं, “अतिशय तृष्णा त्यागो”, क्योंकि स्वार्थवश किये गये अतिशय संग्रह की रक्षा अहिंसा से याने धर्म से नहीं हो सकती। यदि अधर्म से रक्षा करने का कार्यक्रम गढ़ेंगे, तो फिर अधर्म की ही वृद्धि होगी। इसलिए कहते हैं, “अतिशय तृष्णा त्यागो पढोसी की सेवा करना सीखो, व्यवहार में सचाई सीखो सहिष्णु बनो, ईश्वर में विश्वास रखो। किसीपर लोभवश आक्रमण न करो। यदि कोई दुष्टता से आक्रमण करता है, तो बिना मारे मरना सीखो। कायरता और अहिंसा एक वस्तु नहीं है। शौर्य की आत्यंतिकता का ही दूसरा नाम अहिंसा है। जमा बलवान् ही कर सकता है इस-

लिए अत्यन्त शूर बनो । अत्यन्त शूर बनने के लिए जिन गुणों जन्मगत है उनकी वृद्धि करो, और शूर बनकर क्षमा करो । यदि इतना कर पाओ और ईश्वर में श्रद्धा है तो निर्भय विचरो ।

गांधीजी के बाद क्या अहिंसा पनपेगी ? अहिंसा को गांधीजी के जीवन के पश्चात् प्रगति मिलेगी या विगति ?

बुद्ध और ईनामसीह के जीवन-काल में जितना उनके उपदेशों ने जोर नहीं पकड़ा, उससे अधिक जोर उनकी मृत्यु के बाद पकड़ा । यह सही है कि उनके जीवन के बाद उनके उपदेशों का भौतिक शरीर तो पुष्ट होता गया, पर आध्यात्मिक शरीर दुर्बल बनता गया । तो फिर क्या यह कह सकते हैं कि बुद्ध का उपदेश आज नष्ट हो गया है या ईनामसीह का तेज मिट गया है ? वर्षा होती है तब सब जगह पानी-ही-पानी नजर आता है । शरद् में वह सब सूख जाता है, तब क्या हम यह कह कि वर्षा का प्रभाव नष्ट हो गया ? बात तो यह है कि शरद् में धान्य के खेतों से परिपूर्ण खेत वर्षा के माहात्म्य का ही विज्ञापन देते हैं । वर्षा का पानी खेतों की मिट्टी में अवश्य मूरत गया, पर बनी पानी खेतों के दानों में प्रविष्ट होकर जीवित है । खेतों में यदि पानी पड़ा रहता, तो गन्दगी फैलती, कीचड़, मच्छड़ बढ़वूँ और विष

पैदा करता । अन्न में प्रवेश करके उसने अमृत पैदा किया ।

महापुरुषों के उपदेश भी इसी तरह पात्रों के हृदय में प्रवेश करके स्थायी अमृत बन जाते हैं । गेहूँ के दाने से पूछिए कि वर्षा का पानी कहाँ है ? वह बतायेगा कि वह पानी उसके शरीर में जिन्दा है । इसी तरह सत्पुरुषों के जीवन का फल भी पात्रों के हृदय में अमर है । गांधीजी का जीवन अहर्निश काम किये जा रहा है—और उनकी मृत्यु के बाद भी वह अमर रहेगा । बातों-ही-बातों में एक रोज उन्होंने कहा, “मेरी मृत्यु के बाद यदि अहिंसा का नाश होजाये, तो मान लेना चाहिए कि मुझमें अहिंसा थी ही नहीं ।” यह सच्ची बात है, क्योंकि धर्म का नाश कैसे हो सकता है ?

पर इस जमाने में तो हिंसा में श्रद्धा रखनेवालों की भी आँखें खुल रही हैं । पहले-पहल अवीसीनिया का पात हुआ, पीछे धीरे-धीरे एक के बाद एक मुल्क गिरते गये । पर जर्मनी ने लड़ाई छोड़ी तबसे तो बड़ी हिंसा के सामने छोटी हिंसा ऐसी निर्बल साबित हुई, जैसे फौलाद की गोली के सामने शीशे की हॉडी । पोलैण्ड गया, फिनलैण्ड गया, नार्वे, बेल्जियम, हालैण्ड, फिर फ्रांस सब बात-की-बात में मिट गये, और मिटने से पहले

छत्तीस

स्मशान हो गये । एक डेन्मार्क मिटा तो सही, पर स्मशान नहीं हुआ ।

प्रश्न उठता है कि इन देशों के लोग यदि बिना मारे मरने को तैयार होते, तो क्या उनकी स्थिति आज की स्थिति से कहीं अच्छी नहीं होती ? आज तो उनका शरीर भी और आत्मा भी, दोनों मर गये । यदि वे बिना मारे मरते, तो बहुत संभव है कि उनका मुल्क उनके हाथ से शायद छिन जाता, पर उनकी आत्मा आज से कहीं अधिक स्वतन्त्र होती और मुल्क भी शायद ही छिनता या न छिनता । आज तो छिन ही गया । ये लोग अहिंसा से लड़ते, तो उनकी इस अनुपम अहिंसा का जर्मनी पर मौगुना अच्छा प्रभाव पड़ता ।

“अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्” यह वाक्य निरर्थक नहीं है । यह यूरोप का ‘यादव-संग्राम’ आखिर है क्या ? बड़े हुए लोभ का ज्वालामुखी है, जो दहकती हुई आग में यूरोप के सारे मुल्कों को भस्म कर देना चाहता है । ऐसी अग्निवर्षा में अहिंसा अवश्य ही वर्षा का काम देती । पर हर राजत में यह तो साबित हो ही गया कि हिंसा भी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकी । बेल्जियम, फ्रांस और उल्लेयड की सम्मिलित शक्ति बेल्जियम को नहीं बचा सकी । हमारे बाद यदि कोई कहे कि “भाई, हिंसा

की आजमाइश हो गई, अब अहिंसा, जो अत्यन्त शौर्य का दूसरा नाम है, उसको जाग्रत करो और उससे युद्ध करना सीखो," तो उसे कौन पागल बता सकता है ? क्योंकि अहिंसा का उपदेशक प्रकारान्तर से इतना ही कहता है, "पाप छोड़ो, जो चीज जिसकी है, वह उसे देदो ।

‘तेनत्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्विद्धनम्’

धर्म से चलो, क्योंकि पाप खा जायेगा । धर्म ही रक्षा कर सकता है । न डरो, न डराओ ।”

धर्म-धारण के माने ही हैं उस स्वार्थ का सयम, जो आज के भीषण सग्राम का स्रोत है । धर्म धारण करने के बाद सग्राम कहों, हिंसा कहों ?

लोग कहते हैं, “पर यह क्या कोई मान सकता है ।” न माने, पर क्या इसलिए यह कहना चाहिए कि पाप करो, चोरी करो, भूठ बोलो, न्यभिचार करो ? ऐसे तार्किक तो गीताकार को भी कह सकते हैं कि क्या यह कोई मान सकता है ?

शौर्य की परमावधि का ही दूसरा नाम अहिंसा है ।

कायरता का नाम अहिंसा हर्गिज नहीं है । सम्पूर्ण निर्भयता में ही अहिंसा सम्भवित हो सकती है । और जो अत्यन्त शूर है, वही अत्यन्त निर्भय हो सकता है, असावधानी और अभय ये अलग-अलग चीजें हैं । जिसे प्रभाव के

कारण या नगे में भय का जान ही नहीं, वह निर्भय क्या होगा ? मगर जिसके सामने भय उपस्थित है पर निर्भय है, वही परमशूर है, वही अहिंसावादी है ।

एक दृष्टे-कष्टे पिता को एक नादान बालक क्रोध में आकर चपत जमा जाता है, तो पिता को न क्रोध आता है, न बदले में चपत जमाने को उसकी हिंसा-वृत्ति जाग्रत होती है । पर वही चपत यदि एक हट्टा-कट्टा मनुष्य लगाता है, तो क्रोध भी आता है और हिंसा-वृत्ति भी जाग्रत होती है । यह इसलिए होता है कि बच्चे की चपत में तो पिता निर्भय था, पर समयस्क की चपत ने भय का संचार किया । इस तरह हिंसा और भय का जोड़ा है । भय के आविर्भाव में हिंसा और भय के अभाव में अहिंसा है । हिटलर और चर्चिल दोनों को एक-दूसरे का उर है । शौर्य का इस दृष्टि से दोनों ओर अभाव है । दोनों ओर इसलिए हिंसा का साम्राज्य है । शौर्य की आत्यन्तिकता में अहिंसा है, वैसे ही भय की आत्यन्तिकता में कायरता है ।

एक और बात है । किसी प्राणी का हनन-मात्र ही हिंसा नहीं है । एक ऐसे पागल की कल्पना हम कर सकते हैं, जिसके हाथ एक मशीनगन पड़ गई हो और वह पागल-पन में यदि जिन्दा रहने दिया जाये तो हजारों आदमियों का मृत कर डाले । ऐसे मनुष्य को मारना हिंसा नहीं हो

सकता । द्वेष-रहित होकर समबुद्धि से लोक-कल्याण के लिए किया गया हनन भी हिंसा नहीं हो सकता । पोलैण्ड के स्वदेश-रक्षा के युद्ध के सम्बन्ध में लिखते समय गांधीजी ने कहा : “यदि पोलैण्ड में स्वार्थ-त्याग और शौर्य की आत्यन्तिकता है, तो ससार यह भूल जायेगा कि पोलैण्ड ने हिंसा द्वारा आत्म-रक्षा की । पोलैण्ड की हिंसा करीब-करीब अहिंसा में ही शुमार होगी ।”

पोलैण्ड की हिंसा करीब-करीब अहिंसा में शुमार क्यों होगी इसका विवेचन भी गांधीजी ने पिछले दिनों कुछ जिजासुओं के सामने एक मौलिक ढंग से किया । मेरा खयाल है कि वह विवेचन भी सम्पूर्ण नहीं था । और हो भी नहीं सकता था । एक ही तरह का कर्म एक समय धर्म और दूसरे समय अधर्म माना जा सकता है । एक कर्म धर्म है इसका निर्णय तो स्वयं ही करना है, पर पोलैण्ड की हिंसा भी करीब-करीब अहिंसा में ही शुमार हो सकती है, यह कथन उलझन पैदा कर सकता है, पर इसमें असंगति नहीं है ।

इस सारे विश्लेषण से अहिंसा का शुद्ध स्वरूप और इसकी व्यावहारिकता समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

गाधीजी में अहिंसा-वृत्ति की जागृति कब हुई, राज-नीति में, समाज-नीति में और आपस के व्यवहार में इसका प्रयोग कैसे शुरू हुआ, इसके गुणों में श्रद्धा कब हुई, यह बताना कठिन प्रयास है। हम देखते हैं कि कितनी ही चीजें जो हमें मालूम होती हैं कि हमारे भीतर अचानक आ गईं वे दरअसल धीरे-धीरे ही बनपी हैं। गुणों के बीज हमारे भीतर रहते हैं जो धीरे-धीरे अंकुरित होते हैं, फिर बनपते हैं। इसी तरह दुर्गुणों की भी बात है।

हम देखते हैं कि बचपन से ही गाधीजी के चित्त पर सत्य और अहिंसा के चित्रों की एक अमिट रूप-रेखा खिंच चुकी थी। अत्यन्त बचपन में गाधीजी एक मित्र की सोहबत के कारण अर्म को धर्म मानकर, यह समझकर कि मासाहार समाज के लिए लाभप्रद है, स्वयं भी मास खाने लगे। उन्हें यह कार्यक्रम चुभने लगा, क्योंकि यह काम बर लुरु-छिपकर करते थे। उनमें असत्य था और मास खाना उन्हें बचिबर भी नहीं था। पर एक बुराई में

दूसरी बुराई आती है। मास खाने के बाद तम्बाकू पर मन गया। उसके लिए पैसे चाहिए, वे घर से चुराये। अब तो यह चीज असह्य हो गई और अन्त में उन्होंने यह तय किया कि सारी चीज पिता के सामने स्वीकार करके उनसे क्षमा-याचना की जाये। न जाने पिता को कितनी चोट लगे, गाधीजी को यह भय था। पर उन्होंने सारा किस्सा पत्र में लिखकर पत्र पिता के हाथ में रक्खा। पिता ने पढा और फूट-फूटकर रोने लगे। गाधीजी को भी रुलाई आगई। कौन बता सकता है कि पिता के ये आँसू, चित्त को चोट पहुँची उस दुःख का नतीजा थे, या पुत्र ने सत्य का आश्रय लिया, उसके आनन्दाश्रु थे। “मेरे लिए तो यह अहिंसा का पाठ था। उस समय मुझे अहिंसा का कोई ज्ञान नहीं था, पर आज मैं जानता हूँ कि यह मेरी एक शुद्ध अहिंसा थी।” पिता ने क्षमा कर दिया, गाधीजी ने इन बुरी चीजों को तलाक़ दिया। पिता-पुत्र दोनों का बोझ हलका होगया।

इस घटना से गाधीजी के विचारों में क्या-क्या उथल-पुथल हुई, कोई नहीं बता सकता। पर अहिंसा का बीज, मालूम होता है, यहीं से अंकुरित हुआ। मगर गाधीजी उस समय तो निरे बच्चे थे। जब इंग्लैण्ड जाने लगे, तब तो मयाने हो आये थे। पिता का देहान्त हो

चुका था। माता के सामने यूरोप जाने से पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि परदेश में कुछ भी कष्ट हो, मास-मदिरा का सेवन न करूँगा। पर इतने से जात-विरादरीवालों को कहाँ सन्तोष हो सकता था ? उन लोगों ने इन्हें जाने से रोका। “वहाँ धर्मभ्रष्ट होने का भय है।” “पर मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं अभोज्य भोजन नहीं करूँगा” — गांधीजी ने कहा। पर जातवालों को कहाँ सन्तोष होता था ? गांधीजी को जात-बाहर कर दिया गया।

गांधीजी इंग्लैण्ड गये। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। वापस लौटते, तब जाति-बहिष्कार सामने उपस्थित था। “पर मैंने जात में वापस दाखिल होने की न तो आकांक्षा ही की, न पच्चों के प्रति मुझे द्वेष ही था। पच मुझसे नाखुश थे, पर मैंने उनका चित्त कभी नहीं दुराया। इतना ही नहीं, जातिवालों के बहिष्कार के सारे नियमों का मैंने सख्ती के साथ पालन किया, अर्थात् मैंने स्वयं ही जात-विरादरीवालों के यहाँ खाना-पीना बन्द कर दिया। मेरी ससुरालवाले और मेरे बहनोई मुझे खिलाना-पिलाना चाहते भी थे, पर लुक-छिपकर, जो मुझे नापसन्द था। इसलिए मैंने उन निकटस्थों के यहाँ पानी पीनातक बन्द कर दिया। मेरे इस व्यवहार का नतीजा यह हुआ कि हालाँकि जातिवालों ने मुझे बहिष्कृत कर दिया, पर उनका

मेरे प्रति प्रेम बढ़ गया। उन्होंने मेरे अन्य कार्यों में मुझे काफी सहायता पहुँचाई। मेरा यह विश्वास है कि यह शुभ फल मेरी अहिंसा का परिणाम था।”

अफ्रीका में गांधीजी ने करीब बीस साल काटे। गये थे एक साधारण काम के लिए वकील की हैसियत से, पर वहाँ कालों के प्रति गोरो की घृणा, उनका जोर-जुल्म इतना ज्यादा था कि गांधीजी महज सेवा के लिए वहाँ कुछ दिन रुक गये। फिर तो स्वदेशवासियों ने उन्हें वहाँ से हटने ही नहीं दिया, और एक-एक करके उनके इक्कीस साल वहाँ बीते। इस अरसे में उन्हें काफी लडना पडा, पर अहिंसा-शस्त्र में जो श्रद्धा वहाँ जमी, वह अमिट बन गई। अहिंसा के बड़े पैमाने पर प्रयोग किये, उसमें सफलता मिली और जो विपत्ती थी, उनका हृदय-परिवर्तन हुआ। जनरल स्मट्स, जिसके साथ उनकी लडाई हुई, अन्त में उनका मित्र बन गया। द्वितीय गोलमेज-परिषद् के समय जब गांधीजी लन्दन गये तब स्मट्स वहीं था। उसने कहलाया कि यदि मेरा उपयोग हो सके, तो आप मुझसे निस्सकोत्र काम लें। गांधीजी ने उसका साधारण उपयोग भी किया।

पर अहिंसात्मक उपायों द्वारा शत्रु मित्र के रूप में कैसे परिणत हो सकता है, इसका ज्वलत उदाहरण

गांधीजी की उन्नीस साल की अफ्रीका की तपश्चर्या ने पैदा कर दिया। गांधीजी ने अफ्रीका में मृत्तमत्या अहिमा का पालन किया। मार खाई, गालिया खाई जेल में सड़े, सब-कुछ यत्रगाएँ सहीं, पर विपत्ती पर कभी क्रोध नहीं किया, वीरज नहीं खोया, हिम्मत नहीं छोड़ी, लड़ते गये, पर क्रोध त्यागकर। अत में सफलता मिली, क्योंकि “अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः।”

अफ्रीका में काले-गोरे का भेद इतनी गहराईतक चला गया था कि कालों को, जिनमें हिन्दुस्तानियों का भी समावेश था, पट्टी पर चलने की भी मुमानियत थी। रात को अमुक समय के बाद घर से निकलने का भी निषेध था। गांधीजी को टहलने-फिरने की काफी आदत थी, समय-बेसमय घूमना भी पड़ता था। एक रोज प्रेसिडेण्ट क्रूगर के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो सन्तरी ने अचानक उन्हें धक्का मारकर पट्टी से नीचे गिरा दिया और ऊपर से एक लात लगाई। गांधीजी चुपचाप मार खाकर सड़े हो गये। उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया। इनके एक गोरे मित्र ने जो पाम से गुजर रहा था, वह घटना देखी। उसे क्रोध आया। उसने कहा, “गांधी, मेने सारी घटना आँसों देखी है। तुम अदालत में इस मत्तरी पर मुकदमा चलाओ, मैं तुम्हारा गवाह

बनकर तुम्हारी ताईद करूँगा । मुझे दुःख है कि तुम्हारे साथ यह दुर्व्यवहार हुआ ।” गांधीजी ने कहा, “आप उदास न हो, मेरा नियम है कि व्यक्तिगत अन्याय के प्रतिकार के लिए मैं अदालत की शरण नहीं लेता । यह बेचारा मूर्ख क्या करे ? यहाँकी आव्रहवा ही ऐसी है । मैं इसपर मुकदमा नहीं चलाना चाहता ।” इसपर उस सन्तरी ने गांधीजी से क्षमा-याचना की ।

पर ऐसी तो अनेक घटनाएँ हुई । बीच में कुछ दिनों के लिए स्वदेश आकर गांधीजी अफ्रीका लोंटे, तब वहाँके गोरे अखबारवालों ने इनके सम्बन्ध में बहुत बड़ा-बड़ाकर भूठी-भूठी बातें अखबारों में लिखीं और गोरी जनता को इनके खिलाफ उभारा । जहाज पर से गांधीजी उतरनेवाले थे, उस समय गोरी जनता ने इनके खिलाफ काफी प्रदर्शन किया । पुलिस ने और उनके मित्रों ने इन्हें कहलाया कि उतरने में खतरा है, रात को उतरना अच्छा होगा । जहाज के कप्तान ने कहा, “यदि गोरो ने आपको पीटा, तो आप अहिंसा से उनका प्रतिरोध कैसे करेंगे ?” गांधीजी ने उत्तर दिया, “ईश्वर मुझे ऐसी बुद्धि और शक्ति देगा कि मैं उन्हें क्षमा करदूँ । मुझे उनपर क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि वे अज्ञान के शिकार हैं । उन्हें सचमुच मैं बुरा लगता हूँ, तब वे क्या करें ?

“और मैं उनपर क्रोध कैसे करूँ ?”

गाधीजी आखिर जहाज से उतरे । इनका एक गोरा मित्र इनकी रक्षा के लिए इनके साथ हो लिया । इन्होंने पैदल घर पहुँचने का निश्चय किया, जिससे किसी तरह की कायरता साबित न हो । वस, गोरी जनता का इन्हें देखना था कि उसके क्रोध का पारा ऊँचा उठने लगा । भीड़ बढ़ने लगी । आगे बढ़ना मुश्किल हो गया । भीड़ ने इनके गोरे मित्र को पकड़कर, गाधीजी से अलहदा करके एक किनारे किया । और इनपर होने लगी बौछार—पत्थर, ईंट के टुकड़े और सड़े अडों की । इनकी सिर की पगडी नोचकर फेंक दी गई । ऊपर से लात और मुकों के प्रहार होने लगे । गाधीजी बेहोश हो गये । फिर भी लातों का प्रहार जारी रहा । पर ईश्वर को उन्हें जिन्दा रखना था । पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट की स्त्री ने, जो पास से गुजर रही थी, उन घटना को देखा । वह भीड़ में कूद पडी और अपना छाता तानकर इनकी रक्षा के लिए सडी होगई । भीड़ सहम गई । इतने में तो पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट खुद पहुँच गया और उन्हें बचाकर लेगा । गाधीजी जिन्दा बच गये ।

उभग हुआ जोश जब शान्त हुआ तब सम्भव है लोगों को पश्चात्ताप भी हुआ होगा । ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका की सरकार से कहा कि गुण्डे गोरों को पकड़कर

सजा देनी चाहिए । पर गाधीजी ने कहा, “मुझे किसीसे वैर नहीं । जब सत्य का उदय होगा तब मुझे मारनेवाले स्वयं पश्चात्ताप करेंगे । मुझे किसीको सजा नहीं दिलवानी है ।” आज तो यह कल्पना भी हमारे लिए असह्य है कि गाधीजी को कोई लात-मुक्का मारे या उनको गालियाँ दे ।

डेढ़ साल पहले की बात है । गाधीजी ने दिल्ली में श्री लक्ष्मीनारायणजी के मन्दिर का उद्घाटन किया था । कोई एक लाख मनुष्यों की भीड़ थी । तिल रखने को भी जगह नहीं थी । बड़ी मुश्किल से गाधीजी को मन्दिर के भीतर उद्घाटन-क्रिया करने के लिए पहुँचाया गया । मन्दिर के बाहर नरमुण्ड-ही-नरमुण्ड दिखाई देते थे । वृक्षों की हरी डालियाँ भी मनुष्यों से लदी पड़ी थीं । भीड़ गाधीजी के दर्शन के लिए आतुर थी । गाधीजी ने मन्दिर के छज्जे पर खड़े होकर लोगों को दर्शन दिये । एक पल पहले ही भीड़ बुरी तरह कोलाहल कर रही थी । पर जहाँ गाधीजी छज्जे पर आये—हाथ जोड़े हुए, विलकुल मौन—वहाँ भीड़ का सारा कोलाहल वन्द हो गया और सहस्रों कण्ठों से केवल एक ही आवाज, एक ही स्वर, गगन को भेदता हुआ चला गया—“महात्मा गाधी की जय !”

यह दृश्य विचारपूर्वक देखनेवाले को गद्गद कर देता



था। मंगी विग्रही बंध गई। म विचार के प्रवाह में बहा जा रहा था। मोक्षता था कि यह कैसा मनुष्य है। छोटा-सा शरीर, अर्द्धनग्न, जिम्ने इतने लोगों को मोहित कर दिया, जिसने इतने लोगों को पागल कर दिया। उस भीड़ में शायद दम मनुष्य भी ऐसे न होंगे जिन्होंने गांधीजी से कभी बात भी की हो। पर तो भी उनके दर्शनमात्र से मय-के-गव जैसे पागल होगये। वृत्तों की टालियों पर हजारों मनुष्य लदे थे, जिन्हें अपनी सुरक्षितता का भी भान नहीं था। वे भी केवल “महात्मा गांधी की जय” बम, उमी चिल्लाहट में मग्न थे।

एक वृत्त की टाल दूटी। उसपर पन्नाओं मनुष्य लदे थे। टाल कड़कड़ाती हुई नीचे की ओर गिरने लगी। पर ऊपर चढ़े हुए लोग तो “महात्मा गांधी की जय” की बुलन्द आवाज में मग्न थे। किसीको अपने जोगिम का खयाल न था। टाल नीचे जा गिरी। किसीको चोट न आई। एक यह दृश्य था, जिनमें ‘गांधीजी की जय’ चिल्लानेवाले गांधीजी के पीछे पागल थे। उनके एक-एक रोम के लिए वह भीड़ अपना प्राण न्याहावर करने में तैयार थी। और एक वह दृश्य था, जिसमें गोरी भीड़ “गांधी को मार डालो” इस नारे के पीछे पागल थी।

गांधीजी द्वितीय गोलमेज-परिषद् के लिए जव गये, तो वहाँ करीब साढे तीन महीने रहे । जहाँ गये वहाँ भीड इनपर मोहित थी, प्रेम से मुग्ध थी । आज यदि यह अफ्रीका भी जायें, तो इनके प्रेम के पीछे वहाँकी गोरी जनता भी पागल हो जाये । यह सब पागलपन इसीलिए है कि गांधीजी ने मार खाकर, लातें खाकर भी ज़मा-धर्म को नहीं छोडा । अफ्रीका की गोरी भीड के पागलपन का वह दृश्य हमारी आँखों के सामने आने पर हमें चाहे क्रोध आ जाये, पर वही दृश्य था, वही घटना थी और ऐसी अनेक घटनाएँ थीं, जिन्होंने आज के गांधी को जन्म दिया । ईसामसीह सूली पर न चढता, तो उसकी महानता प्रकट न होती । गांधीजी ने यदि शान्तिपूर्वक लातें न खाई होतीं, तो उनकी ज़मा कसौटी पर सफल न होती ।

गांधीजी महात्मा है, क्योंकि उन्होंने मारनेवालों के प्रति भी प्रेम किया । “मेरी इस वृत्ति ने, जिन-जिनके समागम मे मैं आया उनसे मेरी मैत्री करा दी । मुझे अक्सर सरकारी महकमों से झगड़ना पड़ता था, उनके प्रति सख्त भाषा का प्रयोग भी करना पड़ता था, पर फिर भी उन महकमों के अफसर मुझसे सदा प्रसन्न रहते थे । मुझे उस समय यह पता भी न था कि मेरी यह वृत्ति मेरा स्वभाव ही बन गई है । मैंने पीछे यह जाना कि

सत्याग्रह का यह अंग है और अहिंसा का यह धर्म है कि हम यह जानें कि मनुष्य और उसके कर्म ये दो भिन्न-भिन्न चीजें हैं। जहाँ बुरे काम की हमें निन्दा और अच्छे की प्रशंसा करनी चाहिए वहाँ बुरे मनुष्य के साथ हमें दया का और भले के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए। “पाप से घृणा करो, पापी से नहीं”, यह मंत्र बहुतों की समझ में तो आ जाता है, पर व्यवहार में बहुत कम लोग इसके अभ्यस्त हैं। यही कारण है कि मसार में वैर का विष-वृक्ष इतनी सफलता से पनपता है।

“अहिंसा सत्य की बुनियाद है। मगर यह विश्वास दिन-पर-दिन बढ़ता जाता है कि यदि वह अहिंसा की भित्ति पर नहीं है तो, सत्य का पालन असंभव है। दुष्ट प्रणाली पर हमें आक्रमण करना चाहिए, उससे टकर लेनी चाहिए। पर उस प्रणाली के प्ररोता ने वैर करना, यह आत्मवैर मरीखा है। हम सब-के-सब एक ही प्रभु की मतान हैं। हमारे सबके भीतर एक ही ईश्वर व्याप्त है, धर्मात्मा के भीतर और पापी के भीतर भी। इसलिए एक भी जीव को कष्ट पहुँचाना माना ईश्वर का अपमान और सारी सृष्टि को कष्ट पहुँचाने-जैसी बात है।”

ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जिन्होंने श्रद्धा के साथ अहिंसा का मेहनत किया है।

“काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥”

गीता में काम एव क्रोध को दुश्मन बताया है और कहा है कि इन्हें वैरी की तरह मार डालो । पर यह बुराई के लिए वृणा है, न कि बुरे के लिए । बुरे के लिए दूसरा आदेश है—

“मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम्,

सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम् भावनातच्चित्तप्रसादनम् ।”

बुरे अर्थात् पापी के लिए करुणा और उपेक्षा का आदेश है ।

गावीजी ने अफ्रीका में जो आश्रम बनाया था, उसका नाम रखा था “टालस्टॉय फार्म” । फिर स्वदेश लौटने पर नावरमती में सत्याग्रह-आश्रम बनाया और अब मेवाग्राम में आश्रम बनाकर रहते हैं । कुछ सयोग की बात है कि इन सभी आश्रमों में सोंप-विच्छू का बड़ा उपद्रव रहा है । गावीजी स्वयं सर्प को भी नहीं मारते । उन्होंने औरों को सर्प मारने का निषेध नहीं कर रखा है, पर चूँकि गावीजी सर्प की हत्या नहीं करते, इसलिए और आश्रमवासी भी इस काम में परहेज ही करते हैं ।

मेवाग्राम में एक बार रात को एक बहन का पाँव विच्छू पर पड़ा कि विच्छू ने बड़े जोर से काटा । रातभर वह बहन दर्द के मारे परेगान रही । न अफ्रीका में न हिन्दुस्तान में—आज तक आश्रम में सर्प ने किसीको नहीं काटा है । पर सर्प आये दिन पाँव के नामने आजाते हैं और आश्रमवासी उन्हें पकड़कर दूर फेंक आते हैं । विच्छू तो कई मर्तबा आश्रमवासियों को डक मार चुके । एक दिन

महादेवभाई ने कहा, “बापू, आप सर्प नहीं मारने देते, इसलिए आपको कभी बहुत पछताना पड़ेगा। आये दिन साँप आश्रमवासियों के पाँवों में लोटते हैं। अबतक किसीको नहीं काटा, पर यदि कोई दुर्घटना हुई और कोई मर गया, तो आप कभी अपने आपको सतोष न दे सकेंगे।”

“पर, महादेव,” गांधीजी ने कहा, “मैंने कब किसीको मारने से मना किया है ? यह सही है कि मैं नहीं मारता, क्योंकि मुझे आत्मरक्षा के लिए भी साँप को मारना रुचिकर नहीं है। पर अन्य किसीको मैं जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए लोगो को मारना हो, तो अवश्य मारें।” पर कौन मारे ? गांधीजी नहीं मारते, तो फिर दूसरा कौन मारे ?

“हमारे किसी आश्रम में अबतक ईश्वर-कृपा से किसीको साँप ने नहीं काटा। सभी जगह साँपों की भरमार रही है, पर तो भी एक भी दुर्घटना नहीं हुई। मैं इसमें केवल ईश्वर का ही हाथ देखता हूँ। कोई यह तर्क न करे कि क्या ईश्वर को आपके आश्रमवासियों से कोई खास मुहब्बत है, जो आपके नीरस कामों में इतनी माथापच्ची करता होगा ? तर्क करनेवाले ऐसे तर्क किया करें, पर मेरे पास इस इकरगे अनुभव की व्याख्या करने के लिए, सिवाय इसके कि यह ईश्वर का हाथ है, और कोई शब्द नहीं है।

मनुष्य की भाषा ईश्वर की लीला को क्या समझा सकती है ? ईश्वर की भाषा तो अवाच्य और अगम्य है । पर यदि मनुष्य साहस करके समझाये, तो भी आखिर उसे अपनी अस्पष्ट भाषा ही की तो शरण लेनी पड़ती है । इसलिए कोई चाहे मुझे यह कहे कि आपके आश्रमों में यदि कोई साँप से डसा जाकर अबतक न मरा तो यह महज अकस्मात् था, इसे ईश्वर की दया कहना एक वहम है । पर मैं तो इस वहम से ही चिपटा रहूँगा । ”

इस तरह गांधीजी की अहिंसा अग्नि-परीक्षा में सफल होकर सान पर चढ़ी है ।

“अहिंसा, सत्य की बुनियाद है।” प्रायः गांधीजी जब-जब अहिंसा की बात करते हैं तब-तब ऐसा कहते हैं और सत्य पर जोर देते हैं। हमारे यहाँ आपद्धर्म के लिए कई अपवाद शास्त्रों में विहित माने गये हैं। प्राचीन काल में जब वारह साल का घोर दुर्भिक्ष पडा, तब विश्वामित्र भूख से व्याकुल होकर जहाँ-तहाँ खाद्यपदार्थ ढूँढने निकले। जब कहीं भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, तो एक चाण्डाल-वस्ती में पहुँचे और रात को एक चाण्डाल के यहाँ से कुत्ते का मास चुराने का निश्चय किया। पर चोरी करते समय उस चाण्डाल की आँख खुल गई और उसने ऋषि से कहा, “आप यह अर्ध क्यो कर रहे है?” विश्वामित्र की तो दलील यही थी कि आपत्काल में ब्राह्मण के लिए चोरी भी विहित है।

“आपत्सु विहित स्तैन्य विशिष च महीयस ।

विप्रेण प्राणरक्षार्थं कर्त्तव्यमिति निश्चय ॥”

चाण्डाल ने उन्हें काफी धर्मोपदेश दिया। उन्हें

समझाया कि आप पाप कर रहे हैं। अन्त में विश्वामित्र उपदेश सुनते-सुनते ऊब गये। कहने लगे कि मेंढकी की दर्राहट से गात्र मरोवर में जल पीने से विरत नहीं होती। तू धर्म-उपदेश देने का अधिकारी नहीं है, इसलिए क्यों वृथा बकवाद करता है ?

“पिवन्त्येवोदक गावो मण्डूकेषु रुदत्स्वपि ।

न तेऽधिकारो धर्मोस्ति मा भूरात्मप्रशसकः ॥”

और क्या मैं धर्म नहीं जानता ? यदि जिन्दा रहा तो फिर धर्म-साधन हो ही जायगा, पर शरीर न रहा तो फिर धर्म कहाँ ? इसलिए इस समय प्राण बचाना ही धर्म है ।’

गावीजी ने इस तरह का तर्क कभी नहीं किया। न उन्हें यह तर्क पसन्द है।

कुछ काम उन्होंने आत्मा के विरुद्ध किये हैं। जैसे, उन्होंने दूध न पीने का व्रत लिया था। व्रत की बुनियाद में कई तरह के विचार थे। दूध ब्रह्मचारी के लिए उपयुक्त भोजन नहीं है, यह भी उनका मानना था यद्यपि हमारे प्राचीन ज्ञानियों से यह बात मिथ्य नहीं होती। पर जब व्रत लिया तब गायों पर फूँके की प्रथा का अत्याचार जो कलकत्ते में ग्वालों द्वारा प्रचलित था, उनकी आँसु के सामने था। व्रत ले लिया। कई सालोंतक चला। अंत में अज्ञानरु रोग ने आ घेरा। मग्ने समझाया कि दूध

लेना चाहिए । गाधीजी इन्कार करते गये । गोखले ने समझाया, अन्य डाक्टरों ने कहा, पर किसीकी न चली । फिर दूसरी बीमारी का आक्रमण हुआ । वह ज्यादा खतरनाक थी । पर दूध के बारे में वही पुराना हठ जारी रहा । एक रोज वा ने कहा, “आपने प्रतिज्ञा ली तब आपके सामने गाय और भैस के दूध का ही प्रश्न था, बकरी का तो नहीं था । आप बकरी का दूध क्यों न लें ?” गाधीजी ने वा की यह बात मानकर बकरी का दूध लिया और तब से बकरी का ही दूध लेते हैं । पर गाधीजी को यह शका है कि उन्होंने बकरी का दूध लेकर भी व्रत-भग का दोष किया या नहीं ।

असल में तो गाधीजी की आदत है कि जो प्रतिज्ञा या व्रत लिया, उसका अधिक-से-अधिक व्यापक अर्थ करना और उसपर अटल रहना । यदि किया हुआ काम अनीतियुक्त मालूम हुआ, तो चट उस मार्ग से बिना किसीके आग्रह किये हट जाते हैं । पर जबतक उन्हें अपना मार्ग अनीतियुक्त नहीं लगता, तबतक छोटी-छोटी चीजों में भी वह परिवर्तन नहीं करते । घूमने जाते हैं तो उसी रास्ते से । सोने का स्थान वही, खाने का स्थान वही, वर्तन वही, चीजें वही । मैंने देखा है कि दिल्ली आते हैं तो आती द्वार निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरते हैं

आँर जाती वार बडे स्टेशन पर गाडी में सवार होते हैं । मेरे यहाँ ठहरते है तो उसी कमरे में, जिसमें बराबर ठहरते आये हैं । मोटर बदलना भी नापमन्द है । किमी भी आदत को ख्वाहमख्वाह नहीं बदलते । छोटी चीजों में भी एक तरह की पकड़ है ।

“सत्य मेरा सर्वोत्तम बर्म है, जिममें सारे बर्म समा जाते हैं । सत्य के माने केवल वाणी का सत्य नहीं, बल्कि विचार में भी सत्य । मिश्रित सत्य नहीं, पर वह नित्य, शुद्ध, मनातन और अपरिवर्तनशील सत्य, जा ईश्वर है । ईश्वर की तरह-तरह की व्याख्याएँ है, क्योंकि उनके अनेक स्वरूप हैं । इन व्याख्याओं को सुनकर मैं आश्चर्य-चकित हो जाता हूँ और स्तब्ध भी हो जाता हूँ । पर मैं ईश्वर को मत्यावतार के रूप में पूजता हूँ । मैंने उसे प्राप्त नहीं किया है । पर मैं उसकी खोज में हूँ । इस खोज में मैं फना होने को भी तैयार हूँ । पर जबतक मैं शुद्ध सत्य नहीं पा लेता तबतक उस सत्य का जिसको मैंने सत्य माना है, अनुसरण करता हूँ । उस सत्य की गली सँकरी है और उन्तरे की वार की तरह पैनी है । पर मेरे लिए यह सुगम है । चूँकि मैंने सत्य-मार्ग को नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी हिमात्म्य जितनी बडी भूल भी मुझे परेशानी में नहीं आती ।”

मालूम होता है कि सत्य, अहिंसा और ईश्वर में श्रद्धा, इन तीनों चीजों के अंकुर उनके हृदय में वचन से ही थे। कौन बता सकता है कि कौन-सी चीज उनको पहले मिली? पूर्व जन्म के बीज तो साथ ही आये थे, पर मालूम होता है कि इस जन्म में सत्य सबसे पहले अंकुरित हुआ। “वचन में ही”, वह कहते हैं, “एक चीज ने मेरे दिल में गहरी जड़ कर ली। वह यह कि धर्म सब चीजों का मूल है। इसलिए सत्य मेरा परमलक्ष्य बन गया। इसका आकार ज्यो-ज्यो मेरे दिल में घर घालता गया, त्यो-त्यो इसकी व्याख्या भी विस्तृत होती गई।”

गांधीजी वचन में बड़ी लज्जालु प्रकृति के थे। दस-बीस दोस्तों के बीच भी उनका मुँह नहीं खुलता था, और सार्वजनिक सभा में तो उनकी जवान एक तरह से बन्द ही हो जाती थी। लन्दन में जब वह विद्याध्ययन में लगे थे तब छोटी-छोटी सभाओं में खड़े होकर बोलने का मौका आया तो जवान ने उनका साथ न दिया। लोगों ने इनकी शर्माऊ प्रकृति का मजाक उड़ाया। इन्हें भी इसमें अपमान लगा, पर यह चीज जवानीतक भी बनी रही। वैरिस्टर बनकर भारत लौटने पर भी यह कमी बनी रही। बम्बई की अदालत में एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए खड़े हुए तो घिग्घी बंध गई। सबकुछ को कागज

वापस लौटाकर इन्होंने अपने घर का रास्ता नापा ।

यह शर्माऊ प्रकृति क्यों थी ? आज गावीजी की जवान वाराप्रवाह चलती है । पर उस वाराप्रवाह में एक शब्द भी निरर्थक नहीं आता । क्या वह शर्माऊ प्रकृति सत्य का दूसरा नाम था ? क्या उनकी हिचकिचाहट इस बात की द्योतक थी कि वह बोलों को तौल-तौलकर निकालना चाहते थे, और क्या इस शर्माऊ प्रकृति ने सत्य की जड़ को नहीं पोसा ? “सिवा इसके कि मेरे शर्माऊपन के कारण मैं बाज-बाज मौकों पर लोगों के मजाक का शिकार बन जाता था, मेरी इस प्रकृति ने मुझे कभी कोई हानि नहीं हुई । उल्टा, मेरा तो खयाल है कि इससे मुझे लाभ ही हुआ । सबसे बड़ा लाभ तो मुझे यह हुआ कि मैं शब्दों की किफायत करना सीख गया । स्वभावत ही मेरे विचारों पर एक तरह का अकुण आ गया और अब मैं यह कह सकता हूँ कि शायद ही कोई विचारहीन शब्द मेरी जवान या कनम से निकलते हैं । मुझे ऐसा स्मरण नहीं कि जो कुछ मैंने कभी कहा या लिखा उसके लिए मुझे पश्चात्ताप करना पड़ा हो । अनुभव ने मुझे यह बताया कि मौन, सत्य के पुजारी के लिए आत्मनिग्रह का एक जमर्दस्त साधन है । अतिशयोक्ति या सत्य को दबाने या विकृत करने की प्रवृत्ति, मनुष्य में अक्सर पाई जाती

है । मौन एक ऐसा शस्त्र है, जो इन कमजोर आदतों का छेदन करता है । जो कम बोलता है, वह हर शब्द को तौल-तौलकर कहता है और इसलिए विचारहीन वाणी का कभी प्रयोग नहीं करता । मेरी इस लज्जाशील प्रकृति ने मेरी सत्य की खोज में मुझे अत्यन्त सहायता दी ।”

भगवान् जिसके सिर पर हाथ रखते हैं, उसके दूषण भी उसके लिए भूषण बन जाते हैं । शिवजी ने विष-पान करके ससार का भला किया । इसके कारण उनका कण्ठ नीला पड़ गया । पर उसने शिव के सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया और शकर नीलकण्ठ कहलाये । गांधीजी की लज्जाशील प्रकृति ने, मालूम होता है, उनके लिए कई अच्छी चीजें पैदा करदीं—शब्दों की किफायतशारी और तौल-तौलकर शब्दों का प्रयोग ।

सत्य में गांधीजी की इतनी श्रद्धा जम गई थी कि वह उनका एक स्वभाव-सा बन गया । सत्य के लाभ को वह युवावस्था में ही हृदयगम कर चुके थे । जब लन्दन गये तब अभोज्य भोजन और ब्रह्मचर्य के विषय में माता के सामने प्रतिज्ञा करके गये थे । चूँकि सत्य पर वह दृढ़ थे, उन्हें इस प्रतिज्ञा को निवाहने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा । लक्ष्य के प्रति उनकी श्रद्धा ने उन्हें गड़हों में गिरने से बचा लिया ।

“ईश्वर के अनेक रूप हैं, पर मे उसी रूप का पुजारी हूँ जो मृत्यु का अवतार है—वह नित्य मनातन और अपरिवर्तनशील सत्य है, जो ईश्वर है। हमारे पुराणों में कई जगह कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये एक ही ईश्वर के तीन रूप हैं। यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाये तो, मातूम होता है कि गावीजी की अहिंसा, मृत्यु और ईश्वर ये एक ही बन्तु हैं। रामनाम के माहात्म्य को गावीजी ने पीछे पहचाना, पर इसमें श्रद्धा पहले हुई।

कहते हैं कि गावीजी को वचन में भूत का डर लगता था, इसलिए यह समय-कुसमय अंधेरे में जाने से डरते थे। पर उनकी नाकरानी रम्भा ने इन्हें बताया कि रामनाम की ऐसी शक्ति है कि उसके उच्चारण से भूत भागता है। मालक गाधी को यह एक नया जन्म मिला और उसमें श्रद्धा जमती गई। पहले जो श्रद्धा अंगी थी वह जानबितीन थी वह धीरे-धीरे जानवती होने लगी और बाद में उस श्रद्धा के पीछे अनुभव भी जमा होने लगा।

मैंने देखा है कि गावीजी जब उठते हैं, बैठते हैं, जंभाई लेते या अँगड़ाई लेते हैं तो लम्बी सास लेकर “हे राम, हे राम” ऐसा उच्चारण करते हैं मैंने व्यान-पूर्वक अवलोकन किया है कि इनके “हे राम, हे राम” में कुछ आह होती है, कुछ करुणा होती है, कुछ थकान होती है। मैंने मन-ही-मन सोचा है कि क्या वह यह कहते होंगे, “हे राम अब बुझे को क्यों तेली के बेल की तरह जोत रक्खा है ? जो करना हो सो शीघ्र करो। जिस काम के लिए मुझे भेजा है उसकी पूर्णाहुति में विलम्ब क्यों ?”

जयपुर के महाराज प्रतापसिंह कवि थे। अपनी बीमारी के अग्रह दुःख को जब वर्दाशत न कर सके, तब उन्होंने ईश्वर को उल्लाहना देते हुए गाया —

“ग्वालीडा, थे काई जाणो रे पीड पराई।

थारे हाथ लकुटिया, कांधे कमलिया, थे बन-बन घेनु चराई।”

पर गावीजी के सम्यन्ध में शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गावीजी में वीरज है। वह जानते हैं, ईश्वर की उनपर अत्यन्त अनुकंपा है। उन्हें ईश्वर में विश्वास है। जस-अपजस और हानि-लाभ की चिंता उन्होंने भगवान् के चरणों में समर्पण करदी है, इसलिए उन्हें अवैर्य नहीं है। उन्हें असतोष नहीं है। पर तो भी उनका करुणामय



“हे गम, हे राम” कुछ द्रीपदी की-मी पुकार या राज के आर्चनाद की-मी कल्पना कराता है ।

कुछ वर्षों पहले की बात है, एक सजन ने, जो भक्त माने जाते हैं, गावीजी को लिखा, “मुझे रात को एक स्वप्न आया । स्वप्न में मैंने श्रीकृष्ण को देखा । श्रीकृष्ण ने मुझसे कहा, “गात्री से कहो कि यत्र उसका अन्त नजदीक आगया है, इसलिए उसे चाहिए कि वह सारे काम-बाम छोड़कर केवल ईश्वर-भजन में ही लगे ।” गावीजी ने उस मित्र को लिखा, “भाई, मैं तो एक पल के लिए भी ईश्वर-भजन को नहीं विचारता । पर मेरे लिए लोक-सेवा ही ईश्वर-भजन है । दूसरी बात, समय नजदीक आगया है, अभीलिए क्या हम ईश्वर-भजन करें ? मैं तो यह मानता हूँ कि हमारी गर्दन हम जन्मते ही उसी दिन से यमराज के हाथ में है । फिर ईश्वर-भजन करने के लिए हम बुद्धापेतर क्यों ठहरें ? ईश्वर-भजन तो हम अचरन्था में हमें करना चाहिए ।”

“अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामयं च चितयेत् ।

गृहीतइव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥”

ईश्वर में उनकी श्रद्धा हम जोर के साथ कम गई कि हर चीज में वह ईश्वर की ही वृत्ति देखते हैं । आत्मों में नाँवों ने किसीको नहीं काटा यह ईश्वरीय चमत्कार ।

छोटी-मोटी कोई घटना होती है, तो वह कहते हैं—“इसमें ईश्वर का हाथ था।”

गांधी-अरविन-समझौते के बाद वाइसराय के मकान से आते ही उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियों को एक लम्बा बयान दिया, जो उस समय एक अत्यन्त महत्त्व का वक्तव्य समझा गया था। वक्तव्य देने से पहले उन्हें खयाल भी न था कि क्या कहना उचित होगा। पर ज्योंही बोलना शुरू किया कि जिह्वा धाराप्रवाह चलने लगी, मानो सरस्वती वाणी पर बैठी हो। इसी तरह गोलमेज-परिषद् में उनका पहला व्याख्यान महत्त्वपूर्ण व्याख्यानों में से एक था। उस व्याख्यान के देने से पहले भी उन्होंने कोई सोच-विचार नहीं किया था। वैसे तो उनके लिए यह साधारण घटना थी, पर दोनों घटनाओं के पश्चात् जब मैंने कहा—“आपका यह वक्तव्य अनुपम था, आपका यह व्याख्यान अद्वितीय था”—तो उन्होंने कहा, “इसमें ईश्वर का हाथ था।”

हमलोग भी, यदि हमसे कोई कहे कि आपका अमुक काम अच्छा हुआ तो शायद यह कहेंगे, “हाँ, आपकी टया से अच्छा हुआ” या तो “ईश्वर का अनुग्रह था।” पर हमलोग जब ईश्वर के अनुग्रह की बात करते हैं, तब एक तरह से वह सौजन्य या शिष्टाचार की बात

होती है। बात यह है कि गांधीजी जब यह कहते हैं कि “इसमें ईश्वर का हाथ था” तब दरअसल वह इन्हीं तरह महसूस भी करते हैं। उनकी श्रद्धा एक जिन्दा चीज है, केवल शिष्टाचार या मौजन्द की वस्तु नहीं।

एक इनका प्रिय साथी है, जो दुश्चरित्र है। उसको यह अपने घर में रखते थे। यह अफ्रीका की घटना है। यद्यपि वह साथी चरित्रहीन था, पर उसपर निश्चय होकर गांधीजी विश्वास करते थे। उसकी कुछ त्रुटियों का इन्हें ज्ञान था, पर इन्हें यह विश्वास था कि वह इनकी सगति से सुधर जायेगा। एक रोज़ इनका नौकर दफ्तर में पहुँचता है और कहता है कि जरा आप घर चलकर देखें कि आपका विश्वासपात्र साथी आपको कैसे बोलता दे रहा है। गांधीजी घर आते हैं और देखते हैं कि उस विश्वासपात्र साथी ने एक बेग्या को घर पर बुला रखा है ! इन्हें सदमा पहुँचता है। उस साथी को घर में हटाते हैं। उसके प्रति उन्हें प्यार था। उसका सुधार करने के लिए ही उसे पास टिका रखा था। उनके लिए यह भी एक कर्तव्य का प्रयोग था। पर उसका जिक्र करने समय यही कहते हैं, “ईश्वर ने मुझे बचा लिया। मेरा उद्देश्य शुद्ध था, इसलिए भगवान् ने मुझे भविष्य के लिए चेतावनी देकर सावधान कर दिया और भूलो से

बचा लिया।” यह सारा किस्सा उनके अन्वविश्वास और भूल साबित होने पर भट्ट अपनी भूल सुधार लेने की वृत्ति का एक सजीव उदाहरण है।

एक घटना मणिलाल भाई के, जो इनके द्वितीय पुत्र हैं, कालज्वर से आक्रांत हो जाने की है, जिसे मैं नीचे गाधीजी के शब्दों में ही उद्धृत करता हूँ :

“मेरा दूसरा लड़का बीमार हो गया। कालज्वर ने उसे घेर लिया था। बुखार उतरता नहीं था। घबराहट तो थी ही, पर रात को सन्निपात के लक्षण भी दिखाई देने लगे। इस व्याधि से पहले, बचपन में, उसे शीतला भी खूब निकल चुकी थी।

डाक्टर की सलाह ली। डाक्टर ने कहा—“इसके लिए दवा का उपयोग नहीं हो सकता, अब तो इसे अण्डे और मुर्गी का शोरवा देने की जरूरत है।”

मणिलाल की उम्र दस साल की थी, उससे तो क्या पूछना था ? जिम्मेदार तो मैं ही था, मुझे ही निर्णय करना था। डाक्टर एक भले पारसी सजन थे। मैंने कहा—“डाक्टर, हम तो सब अन्नाहारी हैं। मेरा विचार तो मेरे लड़के को इन दोनों में से एक भी वस्तु देने का नहीं है। दूसरी ही कोई वस्तु न बतलायेंगे ?”

डाक्टर बोले—“तुम्हारे लड़के की जान खतरे में

है। दूब और पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उसमें पूरा सतोप नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि मैं तो बहुत-से हिन्दू-परिवारों में जाया करता हूँ, पर दवा के लिए तो हम जो चाहते हैं वही चीज उन्हें देते हैं, और वे उसे लेते भी हैं। मैं समझता हूँ कि तुम भी अपने लड़के के साथ ऐसी सख्ती न करो तो अच्छा होगा।”

“आप जो कहते हैं वह तो ठीक है, और आपको ऐसा कहना ही चाहिए, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। यदि लड़का बड़ा होना, तो जरूर उसकी रूच्य जानने का प्रयत्न भी करता और जो बड़ चाहता वही उसे करने देता, पर यहाँ तो इसके लिए मुझे ही विचार करना पड़ रहा है। मैं तो नमस्कृत हूँ कि मनुष्य के धर्म की कसौटी ऐसे ही समय होती है। चाहे ठीक हो चाहे गलत, मने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्य को मासादि न खाना चाहिए। जीवन के साधनों की भी सीमा होती है। जीने के लिए भी अमुक वस्तुओं को हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। मेरे धर्म की मर्यादा मुझे और मेरे लोगों को भी ऐसे समय पर मान इत्यादि का उपयोग करने से रोकती है। इसलिए, आप जिन खतरे को देखते हैं मुझे उसे उठाना ही चाहिए। पर आपमें से एक बात चाहता हूँ। आपका इलाज तो मैं नहीं करूँगा, पर मुझे इस

बालक की नाडी और हृदय को देखना नहीं आता है । जल-चिकित्सा की मुझे थोड़ी जानकारी है । उपचारों को मैं करना चाहता हूँ, परन्तु जो आप नियम से मणिलाल की तबीयत देखने को आते रहें और उसके शरीर में होने-वाले फेरफारों से मुझे अभिज्ञ करते रहेंगे, तो मैं आपका उपकार मानूँगा ।”

सज्जन डाक्टर मेरी कठिनाइयों को समझ गये और मेरी इच्छानुसार उन्होंने मणिलाल को देखने के लिए आना मजूर कर लिया ।

यद्यपि मणिलाल अपनी राय कायम करने लायक नहीं था, तो भी डाक्टर के साथ जो मेरी बातचीत हुई थी वह मैंने उसे सुनाई और अपने विचार प्रकट करने को कहा ।

“आप सुखपूर्वक जल-चिकित्सा कीजिए । मैं शोरवा नहीं पीऊँगा, और न अण्डे ही खाऊँगा ।” उसके इन वाक्यों से मैं प्रसन्न हो गया, यद्यपि मैं जानता था कि अगर मैं उसे दोनों चीजें खाने को कहता तो वह खा भी लेता ।

मैं क्यूनी के उपचारों को जानता था, उनका उपयोग भी किया था । बीमारी में उपवास का स्थान बड़ा है, यह मैं जानता था । क्यूनी की पद्धति के अनुसार मैंने मणिलाल को कटि-स्नान कराना शुरू किया । तीन मिनट से ज्यादा उसे मैं ट्य में नहीं रखता । तीन दिन तो सिर्फ

नारंगी के रस में पानी मिलाकर देता रहा और उसीपर रक्खा ।

बुखार दूर नहीं होता था और रात को वह कुछ-कुछ बढ़वढ़ाता था । बुखार १०४ डिग्री तक हो जाता था । मैं चकराया । यदि बालक को रो बैठा, तो जगत् में लोग मुझे क्या कहेंगे ? बड़े भाई क्या कहेंगे ? दूसरे डाक्टरों को क्यों न बुलाया जाये ? क्यों न बुलाऊँ ? माँ-बाप को अपनी अधूरी अकल आजमाने का क्या हक है ?

ऐसे विचार उठते । पर ये विचार भी उठते—
“जीन । जो तू अपने लिए करता है, वहीं लड़के के लिए भी कर । इससे परमेश्वर मन्तोष मानेंगे । मुझे जल-चिकित्सा पर श्रद्धा है, दवा पर नहीं । डाक्टर जीवन-दान तो देते नहीं । उनके भी तो आगिर में प्रयोग ही न हैं । जीवन की टोरी तो एकमात्र ईश्वर के हाथ में है । ईश्वर का नाम ले और उसपर श्रद्धा रख । अपने मार्ग को न छोड़ ।”

मन में इन तरह उथल-पुथल मचती रही । रात हुई । मैं मणिलाल को अपने पाल लेकर सोया हुआ था । मैंने निश्चय किया कि उसे भिगोकर निचोड़े हुए कपडों में रक्खा जाये । मैं उठा, कपड़ा लिया, टूटे पानी में उसे

डुबोया और निचोड़कर उसमें पैर से लेकर सिरतक उसे लपेट दिया, और ऊपर से दो कम्बल ओढा दिये, सिर पर भीगा हुआ डुवाल भी रख दिया । शरीर तबे की तरह तप रहा था, पसीना तो आता ही न था ।

मैं खूब थक गया था । मणिलाल को उसकी माँ को सोपकर मैं आध घण्टे के लिए खुली हवा में ताजगी और शान्ति प्राप्त करने के इरादे से चौपाटी की तरफ चला गया । रात के दस बजे होंगे । मनुष्यों की आमद-रफ्त कम हो गई थी, पर मुझे इसका खयाल न था । विचार-सागर में गोते लगा रहा था—“हे ईश्वर ! इस धर्म-सकट में तू मेरी लाज रखना ।” मुँह से ‘राम-राम’ का स्तन तो चल ही रहा था । कुछ देर के बाद मैं वापस लौटा । मेरा कलेजा बड़क रहा था । घर में घुसते ही मणिलाल ने आवाज दी—“बापू ! आगये ?”

“हाँ, भाई ।”

“मुझे इसमें से निकालिए न ? मैं तो मारे आग के मरा जा रहा हूँ ।”

“क्यों पसीना छूट रहा है क्या ?”

“अजी, मैं तो पसीने से तर हो गया । अब तो मुझे निकालिए न ?”

मैंने मणिलाल का सिर देखा । उसपर मोती की

तरह पसीने की बूँदें चमक रही थीं। बुखार कम हो रहा था। मैंने ईश्वर को वन्द्यवाद दिया।

“मणिलाल, घमड़ा मत। अब तेरा बुखार चला जायेगा, पर कुछ और पसीना आजाये तो कैसा ?” मैंने उससे कहा।

उसने कहा—“नहीं बापू ! अब तो मुझे छुड़ाइए। फिर देखा जायेगा।”

मुझे धैर्य आगया था, इसीलिए चातो ही मैं कुछ मिनट गुज़ार दिये। सिर से पसीने की धारा बह चली। मैंने चद्दर को अलग किया, और शरीर को पोंछकर सूखा कर दिया। फिर चाप-बेटे दोनों सो गये। दोनों खूब सोये।

सुबह देखा तो मणिलाल का बुखार बहुत कम हो गया है। दूध, पानी तथा फलों पर चालीस दिनतक रखा। मैं निडर हो गया था। बुखार हटीला था, पर वह काबू में आगया था। आज मेरे लड़कों में मणिलाल ही सबसे अधिक स्वस्थ और मज़बूत है।

इसका निर्णायक कौन कर सकता है कि यह रामजी की कृपा है या जल-त्रिकिल्मा, अल्पाहार की अथवा और किसी उपाय की ? भले ही सभी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार रहें, पर उम वक्त मेरी तो ईश्वर ने ही लाज

तिहत्तर

रक्खी । यही मैंने माना, और आज भी मानता हूँ ।”

मुझे लगता है, और शायद औरों को भी लगे कि गाधीजी का यह प्रयोग “ऊँट वैद्य” या “नीम हकीम” का-सा प्रयोग था । यह जोखिम उठाना जा नहीं था । “पर डाक्टर कहीं शर्तिया इलाज करता है, और जो चीज धर्म के विपरीत हो, उसे हम जान बचाने के लिए भी कैसे करें ?”

तृतीय पुत्र रामदास को साधारण चोट लगी थी, उसपर भी कुछ ऐसे ही मिट्टी के उपचार के प्रयोग किये गये । यह भी एक साधारण घटना थी । पर इसका जिक्र करने में भी वही ईश्वरवाद आता है । “मेरे प्रयोग पूर्णतः सफल हुए, ऐसा मेरा दावा नहीं है, पर डाक्टर भी ऐसा दावा कहीं कर सकते हैं ? मैं इन चीजों का जिक्र इसी नीयत से करता हूँ कि जो इस तरह के नवीन प्रयोग करना चाहे, उसे स्वयं अपने ऊपर ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए । ऐसा करने से सत्य की प्राप्ति शीघ्र होती है । ईश्वर ऐसा प्रयोग करनेवाले की रक्षा करता है ।”

ये वचन निश्चय ही सांसारिक मापतौल के हिसाब से अव्यावहारिक हैं । सामारिक मापतौल, अर्थात्—जिसे लोग सांसारिक मापतौल मानते हैं । क्योंकि दरअसल तो अव्यात्म और व्यवहार, दोनों अमगत वस्तुएँ हो ही

नहीं सकती। यदि अश्व्यात्म की सत्ता से पटरी न खाये तो यह फिर कोरी कल्पना की चीज रह जाती है। पर यह तर्क तो हम आसानी से कर सकते हैं कि जो क्षेत्र हमारा नहीं है उसमें पड़ने का हमें अधिकार ही कहाँ है ? यह सही है कि डाक्टर भी सम्पूर्ण नहीं हैं, पर यह भी कहा जा सकता है कि जिम्मे डाक्टरी नहीं सीखी, वह डाक्टर से कहीं ज्यादा अपूर्ण है। पर गांधीजी इसका जवाब यह देंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग ही ऐसे हैं कि लाभ कम करें या ज्यादा, हानि तो कर ही नहीं सकते।

मैंने देखा है कि आज भी ऐसे प्रयोगों के प्रति उनकी रुचि कम नहीं हुई है। आज भी आश्रम में यक्ष्मा के रोगी हैं, कुष्ठ के रोगी हैं, और भी कई तरह के रोगी हैं और उनकी चिकित्सा में गांधीजी रस लेते हैं। इसमें भावना एक तो सेवा की है। रोगियों की सेवा और पतितों की रक्षा, यह उनकी प्रवृत्ति है। पर शायद जाने-अनजाने उनके चित्त में यह भी भावना है कि गरीब मुल्क में ऐसी चिकित्सा तो सुलभ हो, जो सारी हो, जो गाँव-गाँव में भी की जा सके, जिसमें विशेष व्यय न हो, उजाय कीमती चिकित्सा के ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इस दृष्टि से भी उनके प्रयोग जारी हैं। उसमें से कोई

उपयोगी वस्तु ढूँढ निकालने का लोभ चल ही रहा है ।
 और चूँकि ये प्रयोग सेवा के लिए सेवा की दृष्टि से
 होते हैं, यदि ये भगवान् के भरोसे न हों, तो काफी
 सकल्प-विकल्प और अशांति भी पैदा कर सकते हैं । जो
 हो, कहना तो यह था कि गांधीजी की ईश्वर-श्रद्धा हर
 काम में हर समय कैसे गतिमान रहती है ।

“मैं निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरे तमाम
 कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं । पर जब मैं अपने बड़े-
 से-बड़े और छोटे-से-छोटे कामों का लेखा लगाता हूँ,
 तो मुझे यह लगता है कि वे ईश्वर की प्रेरणा से किये
 गये थे, ऐसा कयन अनुपयुक्त नहीं होगा । मैंने ईश्वर
 का दर्शन नहीं किया, पर उसमें मेरी श्रद्धा अमिट है
 और उस श्रद्धा ने अब अनुभव का रूप ले लिया है ।
 शायद कोई यह कहे कि श्रद्धा को अनुभव का उपनाम
 देना, यह सत्य की फजीत होगी । इसलिए मैं कहूँगा कि
 मेरी ईश्वर-श्रद्धा का नामकरण करने के लिए मेरे पास
 और कोई शब्द नहीं है ।”

ब्रह्मचर्य के सम्वन्ध में लिखते हुए भी बही रामनाम
 साधकों के सामने रख देते हैं । “बिना उस प्रभु की शरण
 में गये, विचारों पर पूर्ण आविपत्य असम्भव है । पूर्ण
 ब्रह्मचर्य के पालन के अपने इस सतत प्रयत्न में, हर पल,

छिन्नतर

में इस सीधे-साधे सत्य का अनुभव कर रहा हूँ।”

वा को अफ्रीका में भयंकर बीमारी ने आ घेरा, तब मास के शोरखे वा प्रश्न आया। वा और गांधीजी दोनों ने डाक्टर की राय का अस्वीकार किया। वहाँ भी जीवन-मरण का प्रश्न था। वहाँ भी गांधीजी के वही उद्धार थे। “ईश्वर में विश्वास करके मैं अपने मार्ग पर डटा रहा”। और अन्त में विजय हुई।

पर इससे भी छोटी घटनाओं में गांधीजी ईश्वर की लीला का वर्णन करते हैं। स्वदेश लौट आने के बाद जब-जब वह दौरे पर जाते थे, तब-तब बड़े ह्मास में ही यात्रा करते थे। उस जमाने में गांधीजी के नाम से तो काफी लोग परिचित हो गये थे, पर आज की तरह मूरत-शुद्ध से सब लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। जहाँ जाते थे वहाँ लोगों को पता लगाने पर दर्शनार्थियों की तो भीड़ लग जाती थी, जिसके मारे उन्हें एकान्त मिलना दुष्कर हो जाता था, पर गांधी में जहाँ लोग उन्हें पहचानते न थे वहाँ जगह मिलने की भी सुगीरत थी। और उन दिनों पर प्रायः अकेले ही घूमते थे।

बहुत वर्षों की बात है। गांधीजी लाहौर से दिल्ली जा रहे थे। वहाँ ने फिर रुकने जाना था। रुकते में एक मीटिंग होनेवाली थी। इसलिए समय पर पहुँचना

या । पर लाहौर के स्टेशन पर जब गाडी पकड़ने लगे तो गाडी में कहीं भी जगह न मिली । आखिर एक कुली ने इनसे बारह आने की बखशीश मिले तो बिठा देने का वायदा किया । इन्होंने बखशीश देने का करार किया । पर जगह तो यी ही नहीं । एक डिब्बे के लोगों ने कहा : “जगह तो नहीं है, पर चाहो तो खड़े रह सकते हो ।” गाडीजी को जैसे-तैसे रेल में बैठना था, इसलिए खड़े रहना ही स्वीकार किया । कुली ने इन्हें खिड़की के रास्ते डिब्बे में ढकेलकर अपने बारह आने गाँठ में दवाये ।

अब रात का समय और खड़े-खड़े रात काटना । दो घंटे तक तो खड़े-खड़े समय काटा । कमजोर शरीर, रास्ते की थकान । फिर गाडी का शोरगुल, धूल और धुआँ । और फिर खड़े रहकर यात्रा करना । कुछ धक्का-मुक्की करना जाननेवाले लोग तो लम्बी तानकर सो गये थे, पर इन्होंने तो बैठने के लिए भी जगह नहीं माँगी । कुछ लोगों ने देखा, यह अजीब आदमी है, जो बैठने के लिए भी भगडा नहीं करता । अन्त में लोगों का कौतूहल बढ़ा । “भाई, बैठ क्यों नहीं जाते ?” कुछ ने कहा । पर इन्होंने कहा “जगह कहाँ है ?” आखिर लोग नाम पूछने लगे । नाम बताया, तब तो सन्नाटा छा गया । शर्म के मारे लोगों की गर्दन झुक गई । चारों तरफ से लोगो

ने अपने हाथ-पॉव समेटना शुरू किया। क्षमा माँगी जाने लगी और अन्त में जगह दी और मोने को स्थान दिया। यक़र प्रायः बेहोश-जैसे हो गये थे। सिर में चक्कर आते थे। इस घटना का जिक्र करते समय भी गांधीजी इसमें ईश्वर की अनुकम्पा पाते हैं। “ईश्वर ने मुझे ऐसे मौके पर सहायता भेजी जबकि मुझे उसकी सख्त जरूरत थी।”

निलहे गोरो के अत्याचार से पीड़ित किसानों के कष्ट काटने के लिए यह जब चम्पारन जाते है तो किसानों की सभा करते हैं। दूर-दूर से किसान मीटिंग में आकर उपस्थित होते हैं। गांधीजी जब उस मीटिंग में जाते हैं तब उन्हें लगता है, मानो ईश्वर के सामने खड़े हूँ। “वह कहना अत्युक्ति नहीं, बल्कि अक्षरशः सत्य है कि उस सभा में मैंने ईश्वर, अहिंसा और सत्य, तीनों के साक्षात् दर्शन किये।” और फिर जब पकड़े जाते हैं तो हाकिम के सामने जो बयान देते हैं, वह सब प्रकार से प्रभावशाली और सौजन्यपूर्ण होता है। उसमें भी अन्त में करते है, “श्रीमान् मजिस्ट्रेट साहब, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह इसलिए नहीं कि आप मेरे गुनाह की उपेक्षा करके मुझे कम सज़ा दें। मैं केवल यही बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपकी आज्ञा भंग की, नर इसलिए नहीं कि मेरे दिल में सरकार के प्रति रज्जत नहीं है, पर इसलिए कि ईश्वर

की आज्ञा के सामने मैं आपकी आज्ञा मान ही नहीं सकता था ।”

ये असाधारण वचन हैं । एक तरह से भयकर भी हैं । क्या हो यदि हर मनुष्य इस तरह के वचन बोलने लग जाये ? “अन्दरूनी आवाज”, “अन्तर्नाद” या “आकाशवाणी” सुनना हरएक की किस्मत में नहीं बदा होता । इन चीजों के लिए पात्रता चाहिए, कर्मों के पीछे त्याग और तप चाहिए । सत्य चाहिए । साहस चाहिए । विवेक चाहिए । समानत्व चाहिए । अपरिग्रह चाहिए । जो केवल सेवा के लिए ही जिन्दा है, जिसे हानि-लाभ में कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं, जिसने कर्मयोग को साधा है जिसकी ईश्वर में असीम श्रद्धा है, जिसको अभिमान छूतक नहीं गया—वही मनुष्य अन्तर्नाद सुन सकता है । पर भूटी नकल तो सभी कर सकते हैं । “मुझे अन्दरूनी आवाज कहती है”, ऐसा कथन कई लोग करने लगे हैं । गांधीजी की भूटी नकल अवश्य ही भयप्रद है, पर कौन-सी अच्छी चीज का समार में दुरुपयोग नहीं होता ?

पर प्रन्तुत विषय तो गांधीजी की ईश्वर में श्रद्धा दिखाना है । लडके का बुखार छूटना है तो ईश्वर की मर्जी से, गाडी में जगह मिलती है तो ईश्वर की मर्जी से और सरकारी हुक्म की अवज्ञा होती है तो ईश्वर की आज्ञा से ।

मुझे पुरुष के साथ कभी-कभी सांसारिक भाषा में बात करनेवालों को चिढ़ होती है, वाइसराय विनिंग्टन को भी चिढ़ थी। पर आखिर गांधीजी के बिना काम भी तो नहीं चलता। चिढ़ हो तो हो। पेचदार भाषा की उलझन सामने होते हुए भी काम तो इन्हींसे लेना है। राजकोट में जब आमरण उपवास किया, तब वाइसराय लिनलिथगो ने इन्हें तार भेजा कि “उपवास करने से पहले आप कम-स-कम मुझे सूचना तो दे देते। आप तो मुझे जानते हैं, इसलिए प्रकाशक आपने यह क्या किया ?” गांधीजी ने लिखा, “पर मैं क्या करता ? जब अन्तर्नाद होता है, तब कैसी सलाह और कैसा मशविरा ?”

बात-बात में ईश्वर को सामने रखकर काम करने और बात करने की इनकी आदत, वह कोई अव्यावहारिक बस्तु नहीं है। बात यह है कि गांधीजी की हर चीज में जो धार्मिक दृष्टि है वह हम सबके लिए नमस्कृत कठिन है। उनकी जीती-जागती ईश्वर के प्रति सतत श्रद्धा को हम समझ नहीं सकते। इसलिए हम कभी परेशानी, तो कभी चिढ़ होती है। पर यदि हम बेतार के तार के विज्ञान को पूरा न समझते हों, तो क्या उस वैज्ञानिक में परेशान हो जाएंगे, जो हमें इस विज्ञान को समझाने की कोशिश करता हो ? क्या हम उस वैज्ञानिक में चिढ़ जाएंगे

जो हमसे वैज्ञानिक भाषा में उस विज्ञान की चर्चा करता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उस भाषा से अनभिज्ञ हैं ? गांधीजी का भी वही हाल है । अध्यात्म-विज्ञान के मर्म को उन्होंने पढ़कर नहीं, बल्कि आचरण द्वारा पहचाना है ।

गांधीजी में जब धर्म की भावना जाग्रत हुई तब उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया । हिन्दूधर्म की खोज की । ईसाई-मत का अध्ययन किया । इस्लाम के ग्रन्थ पढ़े । जरथुस्त्र की रचनाएँ पढ़ीं । चित्त को निर्विकार रखकर विना पक्षपात के सब धर्मों के तत्त्वों को समझने की कोशिश की । आसक्ति-रहित होकर सत्य-धर्म को, जो गुफा में छिपा था, जानने का प्रयत्न किया । “धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया ।” इसमें उनकी निरपेक्षता बढ़ी, उनका प्रयत्न तेजस्वी बना, पर उन्हें सत्य मिला । उनमें बल आया । उनमें नीर-क्षीर-विवेक आया । साथ ही निश्चयात्मक बुद्धि भी प्रबल हुई । उनके निश्चय फौलाद के बनने लगे । अन्तर्नाद सुनाई देने लगा । इस अन्तर्नाद की चर्चा में उनका सफ़ोच भाग ।

पर क्या वह हवा में उड़ते हैं ? क्या वह अव्यावहारिक बन गये हैं ? तो फिर यह भी पूछा जाये कि क्या एक वैज्ञानिक अव्यावहारिक होता है ? गांधीजी द्वादहत्तर साल के दो चुके । इन द्वादहत्तर सालों में इन्होंने इतना नाम प्राया, जितना अपने जीवन में किसी मरापुरुष ने नहीं कमाया । मगर इन्हें, एक महात्मा की अपेक्षा एक महान् राजनीतिज्ञ नेता के रूप में ज्यादा जानता है । सञ्चित विचार के अग्रेज इन्हें एक छलिया, फरेवी, पंचीटा और कट राजनीतिज्ञ समझते हैं । कट्टरपथी मुसलमान इन्हें एक धूर्त और चालवाज हिन्दू समझते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है हिन्दू-राज की स्थापना । इनमें कम-से-कम इतना तो प्रकट है कि यह कोई स्वार्थ उद्धानवाले अव्यावहारिक पुरुष तो नहीं है । भागत की नाव का जिन चातुरी धीरज और दिम्मत के साथ इन्होंने पहले तीन साल अफ्रीका में और फिर पश्चिम नाम स्वदेश में सञ्चालन किया, उसे देखकर चकित होना पता है । यह कोई

अव्यावहारिक मनुष्य का काम नहीं था। इनका राजनीति में इन तीस सालों में एकछत्र राज रहा है। किसीने इन्हें चुनौती नहीं दी, और यदि दी तो वह स्वयं गिर गया। गांधीजी राजनीति में आज एक अत्यावश्यक, एक अपरित्याज्य व्यक्ति बन गये हैं। क्या यह हवा में विचरने का सबूत है? इनके पास सिवा प्रेम के बल के और कौन-सा बल है? पर इस प्रेम के बल ने इनके अनुयायियों के दिल में एक मिक्का जमा दिया है। इनके विपक्षियों पर इस प्रेम की छाप पड़ी है। ऐसे राजनीतिज्ञ नेता को कौन अव्यावहारिक कहेगा? जो मनुष्य देश के लोगों में एक जोरदार राजनैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति पैदा करदे और उन्हें इन तमाम क्षेत्रों में बड़े जोर में उठाये, उसे भला कौन हवाई किले का वागिदा कहेगा? मेरा खयाल है, गांधीजी से बढकर चतुर और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ कम देखने में आते हैं।

पर असल बात तो यह है कि गांधीजी के जीवन में राजनीति गौण है। असल चीज तो उनमें है धर्मनीति। राजनीति उन्होंने वारण की, क्योंकि यह भी उनके लिए मोक्ष का एक साधन है। सारी क्या, हरिजन-कार्य क्या, जल-विक्रित्सा क्या, और बछड़े की हत्या क्या, मारी-की-मारी उनकी दृष्टि में मोक्ष के साधन हैं। लज्ज

उनका है—ईश्वर साक्षात्कार । उपरोक्त सब व्यवसाय उनके लिए केवल साधन हैं । गांधीजी को जो केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में देखते हैं, उनके लिए गांधीजी की ईश्वर की रटत, उनकी प्रार्थना, उनका अतर्नाद, उनकी अहिंसा, उनकी अन्य सारा आध्यात्मिकता, ये सब चीजें पहली हैं । जो उन्हें आत्मजानी के रूप में देखते हैं उनके लिए उनकी राजनीति केवल साधनमात्र दिखाई देती है ।

“आवरुक्षो मुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते ।

योगारुडस्यतस्पर्षव शम कारणमुच्यते ॥”

गीता के इस तत्त्व को समझकर हम गांधीजी का अध्ययन करें, तो फिर वह पहली नहीं रहते ।

“तो क्या एक अध्यात्मवादी राजनीति का संचालन रूप में संचालन कर सकता है ?” यह प्रश्न कई लोग करते हैं ।

सका उत्तर यही है कि यदि नहीं संचालन कर सकता तो क्या एक भूडा, अकर्मण्य, लोभी, स्वार्थी, असांमिक आदमी कर सकता है ? यदि एक निःस्वार्थ, ईश्वर-भक्त मनुष्य राजनीति का संचालन नहीं कर सकता, तो फिर गीता को फाटकर हमें रही की टोकरी में फेंक देना चाहिए । यदि राजनीति भूड और दाँव-पतवे की ही

एक कला है, तो फिर “यतो धर्मस्ततो जय” के कोई माने नहीं।

हमने गलती से यों मान रक्खा है कि धर्म और राजनीति ये दो असगत वस्तुएँ हैं। गांधीजी ने इस भ्रम का छेदन किया और अपने आचरणों से हमें यह दिखा दिया कि धर्म और अर्थ दो चीजें नहीं हैं। सबसे बड़ा अर्थ है • परम+अर्थ=परमार्थ। गीता ने जो कहा, उसका आचरण गांधीजी ने किया। जिस चीज को हम केवल पाठ की वस्तु समझते थे वह आचरण की वस्तु है, कोरी पाठ की नहीं, गांधीजी ने हमें यह बताया। गांधीजी ने कोई नई बात नहीं की। राजनीति और धर्मनीति का जिस तरह श्रीकृष्ण ने समन्वय किया, जिस तरह जनक ने राजा होकर विरक्त का आचरण किया, उसी तरह कर्म-योग को गांधीजी ने अपने आचार द्वारा प्रत्यक्ष किया। जिस तलवार में जग तग चुका था उसे गांधीजी ने फिर से सान पर चढाकर नया कर दिया।

उन्तीस अप्रैल, सन् १९३३ की बात है। उन दिनों हरिजन-समस्या गांधीजी का काफी हृदय-मथन कर रही थी। बम्बई-पैक्ट के बाद देश में एक नई लहर आ रही थी। जगह-जगह उच्चवर्ण हिन्दुओं में हजारों सान्तरु हरिजनों के प्रति किये गये अत्याचारों के कारण आत्मग्लानि जाग्रत हो रही थी। हरिजन-सेवक-सब जोर-शोर से अपना सेवा-कार्य विस्तृत करता जा रहा था। गांधीजी के लेखों ने हरिजन-कार्य में एक नई प्रगति ला दी थी। सत्याग्रह तो ठंडा पड़ चुका था। वाट्सराय गिर्लिंगटन ने मान लिया था कि गांधीवाद का सदा के लिए ग्यात्मा होने जा रहा है। पर प्रधानमंत्री रेम्जे मैडॉनलड के निर्णय के विरुद्ध गांधीजी के आग्रहों का उपयोग करने में, एक ही क्षण में आये हुए गैरिजनों का नाश करके एक नया चतन्य ला दिया। लोगों ने राजनैतिक सत्याग्रह को तो वहीं छोड़ और चारों तरफ से हरिजन-कार्य में उमड़ पड़े। यह एक चमत्कार था। वहाँ से

गांधीजी हरिजन-कार्य का प्रचार करते थे, पर उच्चवर्ण हिन्दुओं की आत्मा को वह जाग्रत नहीं कर सके थे। अब जो काम वर्षों में नहीं हो पाया था वह अचानक हो गया।

पर जैसे हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है वैसे ही हरिजन-कार्य के सम्बन्ध में भी हुआ। एक तरफ हरिजनो के साथ जवर्दस्त सहानुभूति बढ़ी, तो दूसरी ओर कट्टर विचार के रूढिचुस्त लोगों में कट्टरता बढ़ी।

हरिजनो के साथ जो दुर्व्यवहार होते आये थे वे शहरी और नये विचार के लोगों के लिए कल्पनातीत हैं। इन सात सालों में उच्चवर्णीय हिन्दुओं की मनोवृत्ति में आशातीत परिवर्तन हुआ है। पर उन दिनों स्थिति काफी भयंकर थी। दक्षिण में तो केवल असृष्ट्यता ही नहीं थी, बल्कि कुछ किस्म के हरिजनों को तो देखनेमात्र में पाप माना जाता था। हरिजनों को ओसर-मोसर पर टलवा नहीं बनाने देना, घी की पूरी नहीं बनाने देना, पाप में चाद्री का कड़ा नहीं पहनने देना, घोड़े पर नहीं चढ़ने देना, पक्का मकान नहीं बनाने देना, ये मा वारण दुर्व्यवहारों की श्रेणी में गिने जानेवाले अत्याचार तो प्रायः सभी प्रान्तों और प्रदेशों में उन दिनों पाये जाते थे, जो अब काफी कम हो गये हैं।

अध्यामी

हरिजनों ने जब इस जागृति के कारण क्रुद्ध निडरता दिग्गामी शुरु की, तो कट्टर विचार के लोगो मे क्रोध की मात्रा उफान पडी । जगह-जगह हरिजनों के साथ मारपीट होने लगी । गा मीजी के पास ये नव समाचार जेल मे पहुँचते थे । उनका विषाद इन दुर्घटनाओं से बढ रहा था । अस्पृश्यता हिन्दूधर्म का कलक है और उच्चवर्ण-वालों के सिर पर इस पाप की जिम्मेदारी है ऐसा गा मीजी प्रसार करते आये है । हरिजनों के प्रति सद्-व्यवहार करके इस पाप का प्रायश्चित्तमात्र करेंगे, ऐसा गा मीजी का हमेशा से कथन था । गा मीजी स्वयं उच्च-वर्णीय थे, इसलिए यह अत्याचार उन्हें काफी पीड़ित कर रहा था । हृदय मे एक नृफान चानता था । क्या करना चाहिए, उनके सकल्प-विकल्प चानते थे । पडितो से परम्व्यवहार चल रहा था । “ईश्वर यह अत्याचार क्यों चानने देता है ? रावण राजस था पर यह अस्पृश्यता-रूपी राजसी तो रावण ने भी भयकर है । और इस राजसी को धर्म के नाम पर जब हम प्रजा करने हैं, तब तो हमारे पास ही गुलता और भी बढ जाती है । हमने हरिजनों ही गुनामी भी नहीं अच्छी है । यह धर्म—इसे धर्म रूँ तो—मेरी नाक मे तो बढवू माग्ना है । यह हिन्दूधर्म तो ही नहीं चानता । मेने तो हिन्दूधर्म द्वारा

ही ईसाई वर्म और इस्लाम का आडर करना सीखा है । फिर यह पाप हिन्दू वर्म का अग कैसे हो सकता है ? पर क्या किया जाये ?”

इस तरह के विचार करते-करते गाधीजी २६ अप्रैल की रात को जेल मे सोये । कुछ ही देर सोये होंगे । इतने में रात के ११ बजे । जेल मे सन्नाटा था । वसत का प्रवेग हो चुका था । रात सुहावनी थी । मीठी हवा चल रही थी । कैदी सब सो रहे थे । केवल प्रहरी लोग जाग्रत थे । ११ बजे के कुछ ही समय बाद गाधीजी की आँख खुली । नींद भाग गई । चित्त मे महासागर का-सा त्फान हिलोरें खाने लगा । वेचैनी बढने लगी । ऐसा मालूम देता था कि हृदय के भीतर एक सग्राम चल रहा है । इमी बीच एक आवाज़ सुनाई दी । मालूम होता था कि यह आवाज दूर से आ रही है, पर तो भी ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई निकट से बोल रहा हो । पर वह आवाज ऐसी थी, जिसकी हुकमउदूली असम्भव थी । आवाज ने कहा—“उपवास कर ।” गाधीजी ने इसे सुना । उनको सन्देह नहीं रहा । उनको निश्चय होगया कि यह ईश्वरीय वाणी है । अब सग्राम शांत होगया । वेचैनी दूर हुई । गाधीजी स्वस्थ हो गये । उपवास कितने दिन का करना तथा कब प्रारम्भ करना, इसका निर्णय

करके उन्हांने इन सम्बन्ध में अपना वक्तव्य भी लिख डाला और फिर गाढ़ निद्रा में मग्न होकर सो गये ।

ब्राह्ममुहूर्त में उठकर बल्लभभाई और महादेवभाई के साथ प्रार्थना की । “उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहां जो सोवत है,” यह भजन महादेवभाई ने अनायाम ही प्रार्थना में गाया । गावीजी ने महादेवभाई से कहा कि तुम रात को जागे हो, इसलिये थोड़ा आराम और करलो । महादेवभाई लेट गये । उन्हें तो पता भी नहीं था कि गावीजी ने क्या भीषण सकल्प कर डाला है । गावीजी ने जो वक्तव्य तैयार किया वह बल्लभभाई को सौंपा । सरदार ने उसे एक चार पढा, दो चार पढा, फिर तो मग्न होगये । इसमें तर्क को कोई स्थान नहीं था । और सरदार तो गावीजी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं । “नियागरा के जल-प्रपात कां गंऊने की चेष्टा करना व्यर्थ है । महादेव, इनसे बढ़कर शुद्ध-सुद्ध और कौन है ? जो बढ़कर हो वह इनसे तर्क करे । मैं तो नहीं करूँगा ।” इतना ही सरदार ने महादेवभाई से कहा और “ईश्वरेच्छा बलीयसी,” ऐसा समझकर चुप होगये ।

महादेवभाई ने साधारण तर्क किया. पर अन्त में ईश्वर पर भरोसा करके वह भी चुप हो गये । दूसरे दिन तो मग्न जगत् गगन पहुँच गई । गारे देश में नानादा द्वा

गया । मैं ठहरा हरिजन-सेवक-सघ का अध्यक्ष । मेरे पास सन्देश पहुँचा, जिसमें गाधीजी ने यह भी कहा कि पूना मत आओ । वहीं जो कर्तव्य है सो करो । मुझे स्पष्ट याद आता है कि मुझे और ठाकरा बापा को यह सन्देश पाकर विशेष चिन्ता न हुई । गाधीजी इतनी भीषण आफतो में से सही-सलामत निकल चुके हैं कि इस अग्नि-परीक्षा में भी वह सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास था । इसलिए मैंने तो यही लिख दिया कि “ईश्वर सब मंगल करेगा । हम आपके लिए अहर्निश शुभ प्रार्थना करेंगे । आपका उपवास सफल हो और वह सबका मंगल करे ।”

पर राजाजी को इतनी जल्दी कहाँ सन्तोष होता था ? गाधीजी से काफी शास्त्रार्थ किया, तर्क किया, पर एक न चली । देवदास ने भी अत्यन्त उदामी के साथ मिन्नत-आरजू की । जनरल स्मट्स ने अफ्रीका से एक लम्बा तार भेजा कि आप ऐसा न करें । पर ईश्वरीय राजा के सामने गाधीजी किसीकी मुननेवाले थे ? सरकार ने भी जब देखा कि उपवास हो रहा है, तो उन्हें पूना में लेडी टाकरमी के भवन “पर्याकुटी” में पहुँचा दिया ।

इन्कीस दिन का यह उपवास एक दुःकर चीज थी । इन्में कुछ ही महीने पहले एक उपवास हो चुका था ।

बानवे

उसमें काफी कमजोरी आ गई थी। उस पहले उपवास में कुछ ही दिनों बाद प्राण सकट में आगये थे, इसलिए इस उपवास में प्राण नचेंगे या नहीं, ऐसी अनेक लोगों को शका थी। पर गावीजी ने कहा “मुझे मृत्यु की अभिलाषा नहीं है। मैं हरिजनों की सेवा के लिए जिन्दा रहना चाहता हूँ। पर यदि मरना ही है तो भी क्या चिन्ता ? अस्वस्थता की गन्दगी जितनी मैंने जानी थी, उससे कहीं अधिक गहरी है, इसलिए यह आवश्यक है कि मैं और मेरे साथी, यदि जिन्दा रहना है तो, अधिक स्वच्छ बनें। यदि ईश्वर की यह मशा है कि मैं हरिजनों की सेवा करूँ, तो मेरा भौतिक भोजन बन्द होने पर भी ईश्वर मुझे जो आध्यात्मिक भोजन भेजता रहेगा वह इस देह को टिकाये रखेगा। और यदि सब अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, तो वह भी मेरे लिए भोजन का काम देगा। कोई अपने स्थान से न हटे। कोई मुझे उपवास रोकने को न कहें।”

८ मई १९३३ को उपवास शुरू हुआ और २६ मई को ईश्वर की दया से सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। उपवास की समाप्ति के कई दिनों बाद गावीजी ने कहा • “यह उपवास क्या था मेरी उन्कीन दिन की निरन्तर प्रार्थना थी। इसका जो मेरे ऊपर अच्छा असर हुआ

उसका मैं अब अनुभव कर रहा हूँ । यह उपवास केवल पेट का ही निराहार न था, बल्कि सारी इन्द्रियो का निराहार था । ईश्वर में सलग्न होने के माने ही हैं तमाम शारीरिक क्रियाओं की अवहेलना, और वह इस आत्यंतिक हदतक कि हम केवल ईश्वर के सिवा और सभी चीजों को भूल जायें । ऐसी अवस्था सतत प्रयत्न और वैराग्य के बाद ही प्राप्त होती है । इसलिए तमाम ऐसे उपवास एक तरह की अव्यभिचारिणी ईश्वर-भक्ति है, ऐसा कहना चाहिए ।”

१९२४ की गर्मियों की बात है । गावीजी जेल से छूटकर आये थे । अपेंडिक्स का आपरेशन हुआ ही था । शरीर कुछ दुर्बल था । इसलिए स्वास्थ्य-लाभ के लिए जुहू ठहरे हुए थे । मैं रोज उनके साथ टहलता था । पाम में बैठता था । घंटों हर विषय पर उनसे चर्चा करता था । एक रोज ईश्वर पर चर्चा चली, तो मैंने प्रश्न किया कि क्या आप मानते हैं कि आप ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं ?

“नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता । जब मैं अफ्रीका में था, तो मुझे लगता था कि मैं ईश्वर के अत्यन्त निकट पहुँच गया हूँ । पर मुझे लगता है कि उसके बाद मेरी अवस्था उन्नत नहीं हुई है । बल्कि मैं सोचता हूँ तो लगता है

चौरानवे

कि मैं पीछे हटा हूँ। मुझे क्रोध नहीं आता, ऐसी अवस्था नहीं है। पर क्रोध का मैं साक्षी हूँ, इसलिए मुझपर क्रोध का स्थायी प्रभाव नहीं होता। पर इतना तो है कि मेरा उद्योग उग्र है। आशा तो यही करता हूँ कि इसी जीवन में साक्षात्कार कर लूँ। पर बाजी तो भगवान् के हाथ में है। मेरा उद्योग जारी है।”

उन बातों को भी आज सोलह साल हो गये। इसके बाद मैंने न कभी कौतूहल किया, न ऐसे प्रश्न पूछे। पर मैं देखता हूँ कि ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा और आत्म-विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। पिछले दिनों किसीसे बात करते-करते कहने लगे

“अब मुझमें ज्यादा बहस-मुनाहिसा नहीं होता। मुझे मौन प्रिय लगता है। पर मैं ऐसा नहीं मानता कि मूक वाणी का कोई अमर नहीं है। अमलीयत तो यह है कि मूक वाणी की शक्ति स्थूल वाणी से कहीं अधिक बलवती है। लोग सत्याग्रह की बात करते हैं। सत्याग्रह जारी हुआ तो यह निश्चय मानना कि बीते काल में जिन तरह मुझे दौरा करना पड़ता था या व्याख्यान देना पड़ता था वैसी कोई क्रिया मुझे अब नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा समझ लो कि मैं मेलाग्राम में बैठा हुआ ही नेतृत्व कर लूँगा, इतना आत्म-विश्वास तो आ चुका है। यदि मुझे ईश्वर

का पूर्ण साक्षात्कार हो जाये तब तो मुझे इतना भी न करना पडे । मैंने सकल्प किया कि कार्य बना । उस स्थिति के लिए भी मेरे प्रयत्न जारी है ।”

ये मर्मस्पर्शी वाक्य है । हमारे भीतर कैसी अकथ शक्ति भरी है, जिसको हम ईश्वर के नाम से भी पुकार सकते हैं, इसका स्मरण हमें ये शब्द कराते है ।

अमुक्त नाम मे ईश्वर का हाथ था, ऐसा तो गांधीजी ने कई बार कहा है, पर प्रत्यक्ष आकाशवाणी हुई है, यह उनका शायद प्रथम अनुभव था । मेरा खयाल है कि ईश्वर की उनकी असीम श्रद्धा का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था । मेने उनसे इस आकाशवाणी के चमत्कार पर तन्वी बातें कीं । पर बातें करते समय मुझे लगा कि इस चीज को मुझे पूर्णतया अनुभव कराने के लिए उनके पास कोई सुगम भाषा नहीं थी । कितनी भी सुगमता से समझाये, कितनी भी प्रबुद्ध भाषा का उपयोग करें आखिर जो चीज भाषातीत है, उसको कोई क्या समझाये ? जब हम कहते हैं कि एक आवाज आई, तब हम महज एक मानवी भाषा का ही प्रयोग करते हैं । ईश्वर की न कोई आकृति हो सकती है, न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि से ईश्वर वाचित है । फिर उसकी आवाज कैसी, आकृति कैसी ? फिर भी आवाज तो आई । उसकी भाषा

कौन-सी ? “वही भाषा जो हम स्वयं बोलते हैं।” “उसके माने हैं कि हमें लगता है कि कोई हमसे कुछ कह रहा है। पर ऐसा तो भ्रम भी हो सकता है।” “हाँ, भ्रम भी हो सकता है, पर यह भ्रम नहीं था।” इसके यह भी माने हुए कि उस “वाणी” को सुनने की पात्रता चाहिए। एक मनुष्य को भ्रम हो सकता है। वह उसे आकाश-वाणी कहेगा, तो स्वामिन्माह अवश्रद्धा फैलायेगा। दूसरा अविकारी है, जाग्रत है। वह कह सकता है कि यह भ्रम नहीं था। आकाशवाणी भी अन्य चीजों की तरह पात्र ही सुन सकता है। सूर्य का प्रतिबिम्ब शीशे पर ही पड़ेगा, पत्थर पर नहीं।

इसी दिन का यह धार्मिक उपवास गावीजी के अनेक उपवासों में से एक था। छोट-छोट उपवासों की हम गणना न करें, तो भी अवतरक गायद दस-बाह्र तो इनके ऐसे बड़े उपवास हो ही चुके हैं, जिनमें इन्होंने प्राणों की बाजी लगाई।

जैसे और गुणों के विषय में वैसा ही उपवास के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रवृत्ति वैसा जाग्रत हुई। गुलाब का फूल परले जन्मा या उसकी सुगन्ध ? कौन-सी प्रवृत्ति परले जाग्रत हुई, कौन-सी पीछे, उसका क्षिप्र जगाना यद्यपि दुष्कर है, पर इतना तो हम

देख सकते हैं कि इनकी माता की उपवासों की वृत्ति ने शायद इनकी उपवास-भावना को जाग्रत किया। इनकी माता अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उपवासों में उन्हें काफी श्रद्धा थी। छोटे-मोटे उपवास तो सालभर होते ही रहते थे। पर “चातुर्मास” में तो एक ही बेला भोजन होता था। और “चान्द्रायण” व्रत इनकी माता ने कई किये। एक “चातुर्मास” में इनकी माता ने व्रत लिया कि सूर्य-दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगी। बरसात में कभी-कभी सूर्य कई दिनों तक निकलता ही नहीं था। निकलता भी था तो कुछ चन्द्र मिनटों के लिए। बालक गांधी छत पर चढ़े-चढ़े इकट्ठक सूर्य के दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते और दर्शन होते ही मा को खबर देते। पर कभी-कभी बेचारी मा पहुँचे, उससे पहले ही सूर्यदेवता तो मेघाच्छन्न आकाश में लोप हो जाते थे। पर मा को इससे असन्तोष नहीं होता था। “बेटा, रहने दो चिन्ता को, ईश्वर ने ऐसा ही चाहा था कि आज मैं भोजन न करूँ।” इतना कहकर वह अपने काम में लग जाती थी।

बालक गांधी पर इसकी क्या छाप पड़ सकती थी, यह हम सहज ही सोच सकते हैं। और यह छाप जबर्दस्त पड़ी। पहला उपवास, मालूम होता है, उन्होंने अफ्रीका में किया, जबकि “टॉल्स्टॉय फार्म” में आश्रम चला रहे

ये । यह कुछ दिनों के लिए बाहर थे । पीछे से आश्रम-
 वानियो मे मे दो के सम्बन्ध में उन्हें पता लगा कि उनका
 नैतिक पतन हुआ है । इससे चित्त को चोट तो पहुँचनी
 ही थी, पर उन्हें लगा कि ऐसे पतन की जिम्मेदारी कुछ
 हदतक आश्रम के गुरु पर भी रहती है । और चूँकि
 आश्रम के सञ्चालक गा वीजी थे, इस दुर्घटना में अपनी
 जिम्मेदारी भी महसूस की । उनके लिए गा वीजी ने सात
 दिन का उपवास किया । इसके कुछ ही दिन बाद उसी
 घटना के सम्बन्ध में उन्हें चौदह दिन का एक और उप-
 वास करना पड़ा ।

उसके बाद और अनेक उपवास हुए हैं । स्वदेश
 लौटने पर ऐसी ही घटनाओं को लेकर एक-दो और
 उपवास किये । अहमदाबाद की मिल-उद्योग के लिए
 एक उपवास किया । हिन्दू-मुस्लिम-ऐस्य के लिए एक
 एकदिन का उपवास किया । हरिजनों की भीड़ों के
 सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री मैकडॉनल्ट के निर्णय के विरुद्ध
 एक आमरण उपवास किया और फिर हरिजन-प्रायश्चित्त
 के लिए एक उपवास किया । हरिजन-प्रचार-कार्य के
 लिए सरकार ने जेल में उनपर बंदी लगा दी, तब एक
 और उपवास किया । हरिजन-प्रवास की समाप्ति पर कुछ
 हरिजन-सेवासों के अनुरोधों पर सरकार के प्रायश्चित्त-सम्बन्ध

वर्धा में सात दिन का एक उपवास किया । एक उपवास राजकोट में किया । प्रधानमन्त्री के निर्णय के विरुद्ध जो उपवास किया उसकी सफल समाप्ति में कुछ हिस्सा मेरे भी जिम्मे आया था । इसलिए इस उपवास का निकट से अवलोकन और अध्ययन करने का मुझे काफी मौका मिला ।

उन दिनों गांधीजी जेल में ही थे । सत्याग्रह चल रहा था, यद्यपि लोगों की थकान बढ़ती जाती थी । अचानक एक बम गिरा—लोगों ने सुना कि गांधीजी ने आमरण उपवास की ठानी है । चारों तरफ खलबली मच गई । मैं तो यह समाचार अखबारों में पढते ही हक्का-बक्का रह गया । गांधीजी को मेने तार भेजा कि क्या करना चाहिए ? मैं तो सहम गया हूँ । फौरन उत्तर आया, “चिन्ता की कोई बात नहीं । हर्ष मनाने की बात है । अत्यन्त दलित के लिए यह अतिम यज्ञ करने का ईश्वर ने मुझे मौका दिया है । मुझे कोई शका नहीं कि उपवास स्वयं गित नहीं किया जा सकता । यहाँ से कोई सूचना या सलाह भेजने की मैं अपने में पात्रता नहीं पाता ।” किमीकी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, पर हमारे सब-के-सब मुँह पूना की ओर मुड़े और लोग एक-एक करके वहाँ पहुँचने लगे ।

राजाजी, देवदास और मैं तो जीघ ही पूना पहुँच
 गये। पूज्य मालवीयजी, सर तेजवहादुर सप्रू, श्री जयकर,
 राजेन्द्रवाचू, रावन्हादुर राजा, ये लोग भी एक के बाद
 एक बम्बई और फिर पूना पहुँचने लगे। पीछे से डॉक्टर
 अम्बेटकर को भी बुला लिया गया था। सरकारी आज्ञा
 लेकर सर पुत्रोत्तमदास, सर चुन्नीलाल, मथुरादास वमनजी
 और मैं सर्वप्रथम गाधीजी से जेल में मिले। हमलोगों
 को गाधीजी से जेल-सुपरिटेण्डेण्ट के कमरे में मिलवाया
 गया। उपवास अभी शुरू नहीं हुआ था। कमरा
 एकतरफे पर था। उसकी सिड़कियों में से हमें जेल का
 काफी हिस्सा दृष्टिगोचर होता था। जहाँ फाँसी होती है,
 वह हाता भी सिड़की में नें दिखाई देता था। गाधीजी
 के आने का सन्ता उम्मी राते की दीवार के नीचे से
 गुजरता था। मैंने गाधीजी को करीब नौ महीने से नहीं
 देखा था। अन्वानक सिड़की में से मैंने गाधीजी को
 तेजी के साथ हमारी ओर आते देखा। मैं सच चिंता भूल
 गया। गाधीजी तो इस तरह मरपट चले आ रहे थे
 मानां रुछ हुआ ही नहीं था। उनकी तरफ फाँसी का
 हाता था, जहाँ, मैंने सुना, दो-तीन दिन पहले ही एक
 प्रादमी को लटकाया गया था। मेरा जी भर आया।
 वह प्रादमी क्यों ऐसी जगह पर !

गांधीजी ऊपर कमरे में आये। मैंने बड़े प्रेम से पाँव छुए। फिर तो काम की बातें होने लगीं। उन्होंने बड़ी सावधानी से हर चीज ब्योरेवार समझाई। उपवास क्यों-कर बन्द हो सकता है, यानी होने के बाद कैसे समाप्त हो सकता है, इसकी शर्तों का ब्योरेवार उन्होंने जिक्र किया। बात करने से पहले जहाँ हमें उनका यह कार्य कुछ आवश्यकता से अधिक कठोर लगता था, बात करने पर वह धर्म है, एक कर्त्तव्य है, ऐसा लगने लगा। उनका मानसिक चित्र लेकर हमलोग वापस बम्बई लौटे और पूज्य मालवीयजी और दूसरे नेताओं को सारा हाल सुनाया।

मुझे याद आता है कि उस समय हमारे नेतागण किस तरह अत्यन्त आलस्य के साथ उलझन में पड़े हुए किर्त्तव्यविमूढ़ हो रहे थे। न तो गांधीजी का उपवास किसीको पसन्द था, न उनकी रचनात्मक सलाह की कोई उपयोगिता समझी जाती थी। न किसीको खयाल था कि समय की बरबादी गांधीजी की जान को जोखिम में डाल रही थी। बारबार यही जिक्र आता था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह उनका बलात्कार है। उन्हें समझाना चाहिए कि वह अब भी उपवास छोड़ दें। यह कोई महत्त्व भी नहीं करता था कि न तो वह उपवास

एक सी दो

छोड़ सकते थे, न यह समालोचना का ही समय था। हमारे सामने एक ही प्रश्न था कि कैसे उस गुल्थी को मुलभाकर गांधीजी की प्राण-रक्षा की जाये। मुझे स्पष्ट याद है कि नेताओं में एक मनुष्य था, जिसका दिमाग कुछ ग्वनात्मक कार्य कर रहा था। वह था सर तेजवहादुर सप्रू। पर गांधीजी की प्राण-रक्षा का जिम्मा तो ग्रसल में ईश्वर ने ले रखा था। हम वृथा ही चिन्ता करते थे।

हालांकि गांधीजी ने उपवास शुरू करने में पहले काफी समय दे दिया था, पर उस समय का कोई भी सार्थक उपयोग न हो सका। गांधीजी यदि स्वयं मारा कारवार अपने हाथ में न ले लेते, तो कोई उपयोगी काम होता या नहीं, इसमें भी मुझे शक है। उपवास शुरू होते ही सरकार ने जेल के दरवाजे खोल दिये। नतीजा इसका यह हुआ कि गांधीजी से मिलना-जुलना बिना किसी रोक-टोक के होने लगा। इसलिए इस व्यवसाय की सारी बागडोर पूर्णतया गांधीजी के हाथों में चली गई। सरकार का तो यही रहना था कि हरिजन और उच्चवर्ण के लोगों के बीच जो भी समझौता हो जाये उससे सरकार मान-लेगी। इसलिए प्राञ्चिक काम बरी था कि उच्चवर्ण और हरिजन नेताओं के बीच समझौता हो।

यैसों तो हम लोग समझौते की चर्चा में रात-दिन

लगे रहते थे, पर दरअसल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में तो दो ही मनुष्यों को निर्णय करना था । एक और गांधीजी और दूसरी और डॉक्टर आम्बेडकर । पर इन सिद्धान्तों की नींव पर भी तो एक भीत चुननी थी । उसमें सर तेजबहादुर सप्रू की बुद्धि का प्रकाश हम लोगों को काफी सहायता दे रहा था । मैंने देखा कि गांधीजी यद्यपि धीरे-धीरे निर्बल होते जाते थे, पर मानसिक सतर्कता में किसी तरह का कोई फर्क न पड़ा । बराबर दिनभर कभी उच्चवर्ण के नेताओं से; तो कभी आम्बेडकर से उनका सलाह-मशवरा चलता ही रहता था ।

राजाजी, देवदास और मैं अपने ढंग से काम को प्रगति दे रहे थे । पर बागडोर तो सम्पूर्णतया गांधीजी के ही हाथ में थी । गांधीजी की धीरज, उनकी असीम श्रद्धा, उनकी निर्भयता, उनकी अनासक्ति, यह सब उस समय देखने ही लायक थी । मंत्र दरवाजे पर खड़ी थी । सरकार क्रूरतापूर्वक तटस्थ होकर खड़ी थी । आम्बेडकर का हृदय कड़ुता से भरा था । और हिन्दू-नेता सुबह से शाम और शाम से सुबह कर देते थे, पर समझौता अभी कोसों दूर था । राजाजी, देवदास और मुझको कभी-कभी भुंक्तना-हट होती थी । पर गांधीजी सारी चिन्ता ईश्वर को समर्पण करके शान्त पड़े थे ।

एक नौ चार

एक रोज़ जब जेल के भीतर मगवरा चल रहा था, तब गांधीजी ने कुछ हिन्दू-नेताओं से कहा, “धनश्यामदास ने मेरी एक सूचना आपको बताई होगी।” एक नेता ने झटपट कह दिया, “नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं।” गांधीजी ने एक दृष्टिकोण के साथ कहा, “यह मेरे दुर्भाग्य की बात है।” मुझे चोट लग गई। मैं जानता था और यह नेता भी जानते थे कि गांधीजी की सारी सूचना में उन्हें ठे चुका था। पर जो लोग गांधीजी को एक अत्यावहारिक, हवा में तैरनेवाला शक्ति मानते हैं, उन्हें गांधीजी की सूचना सुनने तक की फुरसत नहीं थी। उस सूचना को उन्होंने महज मजाक में उड़ा दिया था। मैंने सब बातें याद दिलाई और इस-पर उन नेता ने अपनी भूल सुवारी। पर बुरा अमर तो हो ही चुका था। उन्नीस तर्क किमी छोटी-सी बात पर उस रोज़ देवदाम और राजाजी पर भी गांधीजी को थोड़ा रोप आ गया था। रात को नौ बजे सोने के समय गांधीजी को विषाद होने लगा। “मैंने रोप करके अपने उपवास की मद्ति गिरा दी।” रोप स्या था, एक पल-भर का अपेक्ष था। पर गांधीजी के स्वभाव को इतना भी अज्ञान था। अपना दोष तिलमिल भी हो तो उन्हें पता के समान मानना और पगारा दोष पहाड़ के समान

हो तो भी उसे तिल के जितना देखना, यह उनकी फिलॉसफी है। बिहार में जब भूकम्प हुआ, तो उन्होंने उसे “हमारे पापों का फल” माना।

गाधीजी ने तुरन्त राजाजी को तलब किया और उनके सामने अत्यंत कातर हो गये। आँखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। रात को ग्यारह बजे जेलवालों की मार्फत डेरे पर से देवदास की और मेरी बुलाहट हुई। मैं तो सो गया था, पर देवदास गया। गाधीजी ने उससे “क्षमा” चाही। पिता पुत्र से क्या क्षमा माँगे? पर एक महापुरुष पिता यदि अपना व्यवहार सौ टच के सोने के जितना निर्मल न रखे, तो फिर ससार को क्या सिखा सकता है?

राजाजी और देवदास दोनों से गाधीजी ने अत्यन्त खेद प्रकट किया और कहा कि इसी समय जाकर धनश्यामदान से भी मेरा खेद प्रकट करो। उन्होंने तो मुझे जगाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि इस चीज को हमने तिलभर भी महत्त्व नहीं दिया था। पर यह गाधीजी की महिमा है। “आकाशवाणी” वाले उपवास पर भी जो कुछ महीने बाद किया गया था, इसी तरह राजाजी और शकरलाल पर उन्हें कुछ रोष आगया था, जिम्के लिए उन्होंने राजाजीको एक मुआफ़ी की चिट्ठी

एक सौ छ

भेजी थी। गजाजी ने तो उस चिट्ठी को मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि जिस चीज को गांधीजी रोप मानते थे, वह हमलोगों की दृष्टि में कोई रोप ही नहीं था।

पर वह तो दूसरे उपवास की बात बीच में आ गई। प्रसूत उपवास, जिसका जिक्र चल रहा था, वह तो चला ही जाता था। सुबह होती थी और फिर शाम होजाती थी। एक कदम भी मामला आगे नहीं बढ़ता था। देवदाम तो एक रोज कातर होकर रोने लगा। गांधीजी की स्थिति नाजुक होनी जाती थी। एक तरफ आम्बेडकर कडा जी करके बातें करता था, दूसरी ओर हिन्दू-नेता कई छोटी-मोटी बातों पर अड़े बैठे थे। प्रायः मोटी-मोटी सभी बातें तब ही चुकीं थीं, पर जबतक एक भी मामला आगे न जाये तबतक अन्तिम समझौता आकाश-मुमुक्षु की तरफ हो रहा था और अन्तिम समझौता हुए बिना उनकी प्राण-रक्षा असम्भव थी।

एरिजनों को कितनी सीटें दी जायें वह आम्बेडकर के साथ तब पर लिखा था। जिस प्रान्त में जितने एरिजनों हैं, न्यायपर्यन्त उन्हें कितनी सीटें मिलें, उसका ज्ञान टकर बापा को प्रचुर मात्रा में था जो उस समय हमलोगों के पास नहीं था। चुनाव किस तरह हो, उस पद्धति के सम्बन्ध में भी आम्बेडकर ने समझौता हो गया। पर वह पद्धति

कितने साल चले, इसपर भगडा था। आम्बेडकर चाहता था कि चुनाव की यह पद्धति तो दस साल के बाद समाप्त हो, पर जो सीटें हरिजनों के लिए अलग रिजर्व की गई हैं, वे अलग रिजर्व बनी रहें या उच्चवर्ण के हिन्दुओं के साथ ही हरिजनों की सीटें भी सम्मिलित हो जायें और सबका सम्मिलित चुनाव हो, यह प्रश्न पन्द्रह साल के बाद हरिजनों के वोट लेकर उनकी इच्छानुसार निर्णय किया जाये। पर हिन्दू-नेता इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि सारी-की-सारी पद्धति एक अरसे के बाद, ज्यादा-से-ज्यादा दस साल के बाद, खत्म कर देनी चाहिए। उनकी दलील थी कि अछूतपन कलक है, इसलिए दस साल में वह मिटा दिया जाये और बाद में राजनीति के क्षेत्र में न कोई छूत रहे न अछूत, सबकी सम्मिलित सीटें हों।

आम्बेडकर साफ इन्कार कर गया और मामला फिर उलझ गया। गांधीजी की अपनी और राय थी। आम्बेडकर जब डम सम्बन्ध में जेल में जाकर गांधीजी से बहस करने लगा तब गांधीजी ने कहा, “आम्बेडकर, मैं सारी सीटें बिना हरिजनों की मर्जी के सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं हूँ, पर मेरी राय है कि पाँच साल के बाद ही हम हरिजनों की अनुमति का वोट माँगें और उनकी इच्छानुसार निर्णय करें।” पर डाक्टर आम्बेडकर ने कहा कि

एक सी आठ

दस साल से पहले तो किसी भी हालत में हरिजनों की अनुमति की जानकारी के लिए उनसे वोट न माँगे जायें। यह बहस काफी देर तक चलती रही। गांधीजी की उत्कट इच्छा थी कि पाँच साल के अंदर ही अंदर सर्वथा अपने आचरण से हरिजनों को संपूर्णतया अपना लें। इस काम के लिए उसे अधिक समय का लग जाना उनको कल्पना के बाहर मालूम देता था। राजाजी और मैं चिंतित भाव से गांधीजी के मुँह की तरफ देख रहे थे। मेरे दिल में आता था कि जान की राजी है। गांधीजी क्यों इतना दृढ़ करते हैं ? पर गांधीजी नि गुरु थे। उनके लिए जीना-मरना प्रायः एकसमान था। बातें चलती रहीं। अन्त में गांधीजी के मुँह से अचानक निकल गया “आम्बेडकर, या तो पाँच साल की अवधि, उसके बाद हरिजनों के मतानुसार अन्तिम निर्णय, नहीं तो मेरे प्राण।” हम लोग नन्व हो गये। गांधीजी ने तीर फेंक दिया, अब क्या हो ?

जम्ही सास लेकर हमलोग वापस डेरे पर आ गये। आम्बेडकर को समझाया, पर वह उस-सं-मन न हुआ। उसके कट्टर हरिजन नाथी डॉक्टर गोल्डकी ने भी उसकी जिद को नापसंद किया। मैंने राजाजी से कहा कि “राजाजी, क्यों पाँच साल, और क्यों दस साल। हम यही क्यों न निश्चय करें कि

भविष्य में चाहे तब हरिजनो की अनुमति से हम इस करार को बदल सकेंगे ।” राजाजी ने कहा कि गाधीजी को शायद यह पसन्द न आये । मैंने कहा—कुछ हम भी तो जिम्मेदारी लें । उन्हें पूछने का अब अवसर कहाँ है ? राजाजी ने कहा—तीर चलाओ । मैंने यह प्रस्ताव आम्बेडकर के सामने रक्खा । लोगों ने इसका समर्थन किया और वह मान गया । एक समाप्ति तो हुई । पर गाधीजी की अनुमति तो बाकी थी । राजाजी जेल में गये और गाधीजी को यह किस्सा सुनाया । उन्होंने करार के इस प्रकरण की भाषा ध्यानपूर्वक सुनी । एक बार सुनी, दो बार सुनी, अन्त में धीरे से कहा—“साधु ।” सबके मुँह पर प्रसन्नता छा गई । मैं जब उनकी अनुमति मिल चुकी, तभी उनके पास पहुँचा और उनके चरण छुए । बदले में उन्होंने जोर की थपकी मारी । उपवास खुलने में दो दिन और भी लगे, क्योंकि इतना समय सरकार ने यरवडा-पैक्ट की स्वीकृति देने में लगाया । २० सितम्बर १९३२ को उपवास शुरू हुआ, २४ को यरवडा-पैक्ट बना, २६ को सरकार की स्वीकृति मिली और उपवास टूटा ।

पर सारी घटना में देखनेलायक चीज यह थी कि मौत की मात्नात मूर्ति भी गाधीजी को एक तिल भी टाँचाई नहीं डिगा सकी थी । सभी उपवासों में इनका यही

एक सौ दस

हाल रहा । राजकोट के उपवास में भी एक तरफ मृत्यु की तैयारी थी, वमन जारी था, बैचैनी बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ वाइसराय से लिखा-पढी करना और महादेवभाई और मुझको (दोनों-के-दोनों हम दिल्ली में थे) मन्देश भेजना जारी था । इसमें कोई शक नहीं कि हर उपवास में अंतिम निर्णय—चाहे वह निर्णय हरिजन और उच्चवर्ण के नेताओं के बीच हुआ हो, चाहे वाइसराय और गांधीजी के बीच—गांधीजी की मृत्यु के उर के बोझ के नीचे टूटकर हुआ । किसी मरतवा भी शांतिपूर्वक मोचने के लिए न समय था, न अग्रसर मिला । फिर भी गांधीजी कहते हैं कि “उतावलापन हिंसा है ।” तुलसीदासजी ने जब यह कहा कि “समर्थ को नहिं दोष गुसाईं” तब उन्होंने यह कोई व्यंगोक्ति नहीं की थी । अमल बात भी यह है कि समर्थ मनुष्य के तमाम कामों में एकरागणन देसना, वह त्रिस्तुन भूल है । एकरागणन वह ज़रूर होता है कि हर काम के पीछे नेत्रा होती है, शुद्ध भावना होती है । हर काम यथार्थ होता है, पर तो भी हर काम की गरुन परस्पर विरोधात्मक भी हो सकती है ।

गाधीजी के उपवासों की काफी समालोचना हुई है, और लोगों ने काफी पुष्टि भी की है। पर साधारण वाद-विवाद से क्या निर्णय हो सकता है ? उपवास एक व्यक्ति के द्वारा किये जाने पर पापमय और केवल धरणा भी हो सकता है, और दूसरे के द्वारा वही चीज़ धर्म और कर्तव्य भी हो सकती है।

घात सारी-की-सारी मन्शा की है। उपवास यज्ञार्थ है क्या ? फलासक्ति त्यागकर किया जा रहा है क्या ? शुद्ध बुद्धि से किया जा रहा है क्या ? करनेवाला सात्त्विक पुरुष है क्या ? ईर्ष्या-द्वेष से रहित है ना ? इन सब प्रश्नों के उत्तर पर उपवास धर्म है या पाप है, इसका निर्णय हो सकता है। पर निरी उपयोगिता की दृष्टि से भी हम उपवास-नीति के शुभ अशुभ पहलू सोच सकते हैं।

समार को उलटे मार्ग से हटाकर सीधे मार्ग पर लाने के लिए ही महापुरुषों का जन्म होता है। भिन्न-भिन्न महापुरुषों ने अपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिए भिन्न-भिन्न



मार्गों का अनुसरण किया। पर इन सब मार्गों के पीछे लक्ष्य तो एक ही था। नीति की स्थापना और अनिती का नाश—

“यदा यदा हि धर्मस्य क्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।”

पर हम लक्ष्य-पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न महापुरुषों के साधनों की बाहरी शक्ति-सुरत में अवश्य ही भेद दिखाई देता है। प्रजा को सुशिक्षण देना, उसकी मोड़ हुई उत्तम भावनाओं को जाग्रत करना, इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति महापुरुष अपने खुद के आचरणद्वारा और उपदेश-आदेशद्वारा करते हैं। “ममवर्त्मनिवर्तन्ते मनुष्याः पापं सर्वशः” यह श्रीकृष्ण ने कहा। गावीजी कहते हैं, “जैसे शारीरिक व्यायामद्वारा शारीरिक गठन प्राप्त हो सक्ता है और यौद्धिक व्यायाम द्वारा यौद्धिक विकास, वैसे ही आत्मोन्नति के लिए आध्यात्मिक व्यायाम ज़रूरी है और आध्यात्मिक व्यायाम का आधार बहुत अरा में गुरु के जीवन और चरित्र पर निर्भर करता है। गुरु यदि शिष्यों से मीलों दूर भी हो, तो भी अपने चरित्र-रत्न से वह शिष्यों के चरित्रों को प्रभावान्वित कर सक्ता है। यदि मैं स्वयं भूढ़ ज्ञानता हूँ, तो अपने जड़ों को सत्य की मणिमा कैसे मिला सकता हूँ ? एक काय शिक्षक

एक ही तरह

अपने विद्यार्थियों को बहादुर नहीं बना सकता, न एक भोगी अध्यापक बालकों को आत्मनिग्रह सिखा सकता है। इसलिए मैंने यह देख लिया कि मुझे, कुछ नहीं तो अपने बालकों के लिए ही सही, सत्यवान्, शुद्ध और शुभकर्म बनना चाहिए।” इसलिए सभी महापुरुषों ने अपने चरित्र और उपदेशोंद्वारा ही धर्म का प्रचार किया है। धर्म की वृद्धि से अधर्म का स्वतः ही नाश होता है। पर कभी-कभी अधर्म पर सीधा प्रहार भी महापुरुषों ने किया है। और अनीति के नाश करने के साधनों का जब हम अवलोकन करते हैं, तो मालूम होता है कि महापुरुषों के इन साधनों के बाहरी स्वरूप में काफी भेद रहा है।

श्रीकृष्ण ने भूमि का भार हलका किया, अर्थात् ससार में पापों का बोझ कम किया, तब जिन साधनों का उपयोग किया, उनके बाहरी रूप में और बुद्ध के साधनों के बाहरी रूप में अवश्य भेद मिलता है। महाभारत का युद्ध, कंस का नाश, शिशुपाल और जरासंध इत्यादि दुष्ट राजाओं का श्रीकृष्ण के द्वारा वध होना आदि घटनाएँ हम ऐतिहासिक मानलें, तो यह कहना होगा कि श्रीकृष्ण का भूमि-भार हलकाने का तरीका और बुद्ध का तरीका बाहरी स्वरूप में भिन्न-भिन्न थे। पर हम कह सकते हैं कि मूल तो दोनों तरीकों का एक ही है। जिनका वचन किया उनसे

एक तो चौदह

श्रीकृष्ण को न द्वेष था, न ईर्ष्या थी, न उन्हें उनके प्रति क्रोध था—

“परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय स भवामि युगे युगे ॥”

यह लक्ष्य था और जिस तरह एक विज जराह रोगी के सड़े अंग को रोगी की भलाई के लिए ही काटकर फेंक देता है, उसी तरह श्रीकृष्ण ने और श्रीरामचन्द्र ने समाज की रक्षा के लिए, और जिनका वध किया गया उनकी भी भलाई के लिए दुष्टों का दमन किया। जिनका वध किया गया—जैसे रावणा, कर्म, जरामव इत्यादि, उन्हें भी श्रीराम और श्रीकृष्ण ने सुगति ही दी, ऐसा हमारे पुराण बताते हैं।

महापुरुषों ने दुष्टों का वध किया, इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी दलील तो हिंसा के पक्षपाती चक्षुष के उतारते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि ये वध विना क्रोध, विना द्वेष, फालगन्धि से गृहित होकर समाज की रक्षा के लिए किये गये थे और जो मारे गये उन्हें भगवान् द्वारा सुगति मिली। इसलिए मूल में तो राम क्या कृष्ण क्या, और बुद्ध क्या सभी समान-तया आर्हतासी थे। राम और कृष्ण के नामों का सारी रूप सिवात्मक दिखाई देते हुए भी उनके हिंसा नहीं

कह सकते, क्योंकि “न मां कर्माणि लिपति न मे कर्म-
फलेस्पृहा” और फिर,

“योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥”

इन वचनों को यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें, तो सहज ही समझ में आ जायेगा कि श्रीराम और श्रीकृष्ण हिंसा से उतने ही दूर थे जितने कि बुद्ध ।

गाधीजी ने भी ब्रह्मदे की हत्या करके उसे अहिंसा ब्रताया, क्योंकि मार देनामात्र ही हिंसा नहीं है—

“यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
हत्त्वापि स इमाल्लोकान्न हति न निबध्यते ।”

हिंसा अहिंसा का निर्णय करने के लिए हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि मारनेवाले ने किस मानसिक स्थिति में किस भावना से वध किया है । वध करनेवाले की मानसिक स्थिति और भावना ही हमें इस निर्णय पर पहुँचा सकती है कि अमुक कर्म हिंसा है या अहिंसा । पर राग-द्वेष से रहित होकर अक्रोधपूर्वक, शुद्धभाव से लोक-कल्याण के लिए, किसीका वध करनेवाला क्या कोई साधारण पुरुष हो सकता है ? वह तो कोई असाधारण दैवी पुरुष ही हो सकता है । इसके माने यह भी हुए कि उत्तम उद्देश के लिए भी हिंसात्मक शत्रु-ग्रहण साधारण

एक सौ सोलह

मनुष्य का धर्म नहीं बन सकता । राग, द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या से जकड़े हुए हम न तो हिंसा-शस्त्र धर्मपूर्वक चला सकते हैं, न राग-द्वेष के कारण जिनकी विवेक-बुद्धि नष्ट हो गई है, वे यही निर्णय कर सकते हैं कि वध के योग्य दुष्ट कौन हैं । राग-द्वेष से रहित हुए बिना हम वध भी तो सही निर्णय नहीं कर सकते कि दुष्ट हम हैं या हमारा विरोधी । यदि हम दुष्ट हैं और हमारा विरोधी मज्जन है, तो फिर लोक-कल्याण का बहाना लेकर हम यदि हिंसा-शस्त्र का उपयोग करते हैं, तो पाप ही करते हैं और आत्म-वचना भी करते हैं । असल में तो अनामक्तिपूर्वक हिंसा-शस्त्र का उपयोग केवल उन उच्च महापुरुषों के लिए ही सुरक्षित समझना चाहिए, जिनमें कमल की तरह जल में रहते हुए भी अलित रहने की शक्ति है । माधारण मनुष्यों का निर्दोष धर्म तो इसलिए केवल अहिंसात्मक ही हो सकता है ।

जो अहिंसक नहीं बन सका वह आत्म-रक्षा के लिए चाहे हिंसा का प्रयोग करे, पर वहाँ तुलना हिंसा और अहिंसा के बीच नहीं है । तुलना है कायरता और आत्म-रक्षा के लिए की गई हिंसा के बीच । और कायरता अवश्य ही आत्म-रक्षा के लिए की गई हिंसा से भी बुरी है । कायरता तम-प्रधान है । आत्म-रक्षा के लिए

की गई हिंसा रजोगुणी भी हो सकती है। पर आत्म-रक्षा के लिए की गई हिंसा भी शुद्ध धर्म नहीं, अपेक्षा-कृत धर्म ही है। शुद्ध धर्म तो अहिंसा ही है।

स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि डकैती के लिए एक डाकू हिंसा करता है, वह निकृष्ट पाप करता है। आत्म-रक्षा के लिए, देश या धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा, यदि न्याय हमारे साथ है तो, उस डकैतद्वारा की गई हिंसा की तुलना में धर्म है। पर अच्छे हेतु के लिए अनासक्त होकर की गई हिंसा अहिंसा ही है और इसलिए शुद्ध धर्म है। उसी तरह कायरता लेकर धारणा की गई अहिंसा, अहिंसा नहीं, पाप है। अशोक वीर था। उसने दिग्विजय के बाद सोचा कि साम्राज्य-स्थापन के लिए की गई हिंसा पाप है। इसलिए उसने क्षमा-धर्म का अनुसरण किया। वह वीर की क्षमा थी, पर उसीका पौत्र अपनी कायरता ढाँकने के लिए अशोक की नकल करने लगा। उसमें न क्षमा थी, न शौर्य था। उसमें थी कायरता। इसलिए कवियों ने उसे मोहात्मा के नाम से पुकारा। बलिष्ठ की अहिंसा ही, जो विवेक के साथ है, शुद्ध अहिंसा है। वह एक सत्त्वगुणमयी वृत्ति है। कायर की अहिंसा और डाकू की हिंसा दोनों पाप हैं। अनासक्त की हिंसा और बलिष्ठद्वारा विवेक ने की गई अहिंसा दोनों

एक तो बठारह

ही वर्म हैं और अहिंसा हैं ।

पर वर्म की गति तो सूक्ष्म है । और मनुष्य क्रोध के वश या लोभ के वश हिंसकवृत्ति पर आसानी से नहीं सयम कर पाता । इसलिए गाधीजी ने हिंसा को त्याज्य और अहिंसा को ग्राह्य माना । गाधीजी स्वयं जीवनमुक्त दशा में, चाहे वह दशा क्षणिक—जब निर्णय किया जा रहा हो उस घड़ी के लिए ही—ज्यों न हो, अहिंसात्मक हिंसा भी कर सकें, जैसे कि बछुटे की हिंसा, पर साधारण मनुष्य के लिए तो वह कर्म कौए के लिए हंस की नकल होगी । इसलिए सबके लिए सरल, सुगम और स्वर्णमय मार्ग अहिंसा ही है, ऐसा गाधीजी ने मानकर अहिंसा-वर्म की वृद्धि की है । उपवास की प्रवृत्ति भी इसीमें से जन्मी ।

हिंसा को पूर्णतया त्याज्य मानने के बाद भी ऐसे शस्त्र की जरूरत तो रह ही जाती है, जिससे अधर्म का नाश हो । धर्म को अत्यन्त प्रगति मिलने पर भी अधर्म का नाश होता है, पर अधर्म का नाश होने पर भी तो धर्म की प्रगति का आधार रहता है । दोनों अन्योन्याश्रित हैं । एक मनुष्य हमसे नादारिद्र्यापी करता है, जैसा कि राजकोट में हुआ था । या तो हमपर कोई जबरन एक ऐसी भयंकर चीज लादता है कि जो जबरदस्त प्रतिवाद के बिना नहीं रोकी जा सकती—जैसा कि एग्जिन गान्ध-

दायिक निर्णय के सम्बन्ध में हुआ। तब अहिंसा-शस्त्रधारी ऐसी परिस्थिति में क्या करे ? हिंसा को तो उसने त्याज्य माना है। इसलिए उसे तो ऐसे ही शस्त्र का प्रयोग करना है, जो जनता की आत्मा को अधर्म के खिलाफ उत्तेजन दे, पर जनता का क्रोध न बढ़ाये, जनता में द्वेष पैदा न होने दे, जो बुराई को छेदन करने के लिए तो लोगों को उकसाये, पर साथ ही बुराई करनेवालों को भय से मुक्त भी करदे। हमारा एक निकटस्थ बुरी लत में फँसा है, उसको हम कैसे बुरे मार्ग से हटायें ? उसे व्याकुल तो करना है, पर हिंसा के शस्त्र से नहीं, प्रेम के द्वारा। ऐसी तमाम परिस्थितियों के लिए कई अहिंसात्मक उपायों का विधान हो सकता है। ऐसे विधानों में उपवास एक राम-वाण शस्त्र है, जिसका गांधीजी ने बार-बार प्रयोग किया।

उपवास में कोई बलात्कार नहीं होता, यह कौन कहता है ? पर बलात्कार होनेमात्र से ही तो हिंसा नहीं हो सकती। प्रेम का भी तो बलात्कार होता है। प्रेम के प्रभाव में हम कभी-कभी अनिच्छापूर्वक भी काम कर लेते हैं। पर प्रेम के वश अनिच्छा से हम यदि कोई पाप करते हैं तो उससे बुराई होती है। यदि, अनिच्छापूर्वक ही मही, हम पुण्य करते हैं, तो समाज को उसका अच्छा फल मिला ही जाता है। असल बात तो यह है कि हिंसक

नेता हमारी मानसिक निर्वलता का लाभ उठाकर अपने हिंसक शस्त्रों द्वारा हमें डराकर हमसे पाप कराता है। अहिंसक नेता हमारी धर्म-भीरुता को उफसाकर, उसे उभारकर हमें अपने प्रेम से प्रभावान्वित करके हमसे पुण्य कराता है। और इसका यह भी फल होता है कि पाप के नीचे हमारी ठग्री हुई अच्छड़ी प्रवृत्तियाँ स्वतन्त्र बनती हैं। इस तरह पहले जो काम प्रेम के बलात्कार से किया, वही हम अब अपनी स्वतंत्र बुद्धि से करने लगते हैं। परतंत्रता को खोकर हम तरह हम स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेते हैं। आदर्श स्थिति तो अवश्य ही वह होगी कि अहिंसात्मक नेता को कोई बल-प्रयोग करना ही न पड़े, पर ऐसी स्थिति तो मतजुग की ही हो सकती है। महापुरुष के जन्म की पहली शर्त ही यह है कि समाज निर्वल है, अधर्म का जोर है, जुल्मों के मारे समाज व्रुत्त है, उसे धर्म की प्यास है, जिसे मिटाने के लिए महापुरुष जन्म लेता है। यदि धर्म हो, निर्वलता न हो, तो क्यों तो महापुरुष के आने की जरूरत हो और क्यों उपवास की आवश्यकता हो ? क्यों उपदेश और क्यों मुनिज्ञान की ही जरूरत पड़े ?

पर उनके माने यह भी नहीं कि हर मनुष्य हम उपवास-रूपी अहिंसा-शस्त्र का उपयोग करने का पात्र है। अहिंसात्मक हिंसा, जिसका प्रयोग राम, हनुमान् इत्यादि ने,

और गावीजी ने बछड़े पर किया उसके लिए तो असा-
 धारण पात्रता की जरूरत होती ही है। पर हिंसात्मक
 शस्त्र के लिए भी तालीम की जरूरत पडती है। तलवार,
 गदका, पटा, निशानेवाजी की कला सीखने की फौजी
 सिपाहियों को जरूरत होती है। और उस तालीम के
 बाद ही वे अपने शस्त्रों का निपुणता से प्रयोग कर सकते
 हैं। इसी तरह उपवास भी, यदि अहिंसामय उपवास
 आचरना है तो, उसके लिए पात्रता की आवश्यकता है।
 सभी लोग अहिंसात्मक उपवास नहीं कर सकते। 'धरणा'
 देना एक चीज है, वार्मिक उपवास दूसरी चीज। पर
 'धरणा' में धर्म कहों, और अहिंसा कहों? 'धरणा'
 ज्यादातर तो निजी स्वार्थ के लिए होता है। पर कुछ
 उपवास पाखण्ड और विज्ञापनवाजी के लिए भी लोग
 करते हैं। ऐसे उपवासों से कोई विशेष बलात्कार न भी
 हो, तो भी उनको हम अधार्मिक उपवासों की श्रेणी
 में ही गिन सकते हैं। इसकी चर्चा का यह स्थान नहीं
 है। हम तो धार्मिक उपवास की ही चर्चा कर रहे हैं। यह
 समझना जरूरी है कि धार्मिक उपवास का जो प्रयोग
 करना चाहता है उस पहले पात्रता सम्पादन करनी
 चाहिए। वह इसलिए कि हर धार्मिक उपवास में बला-
 त्कार की संभावना रहती है। अधार्मिक उपवास में

एक तो वाईस

बलात्कार हो भी, तो लोग उसकी अवहेलना कर जाते हैं और अवहेलना करना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बल-प्रयोग के पीछे कोई नीति या धर्म नहीं होता। इसलिए ऐसे उपवास करनेवालों के सामने झुकना भी अधर्म है। पर धार्मिक उपवास में, चूँकि सफल बल-प्रयोग की संभावना है, उपवास करनेवाले को ज्यादा सावधानी और ज्यादा पात्रता की आवश्यकता होती है।

इसीलिए राजकोट के उपवास के बाद गा गीजी ने लिखा, “मत्स्याग्रह के शस्त्रागार में उपवास एक बलिष्ठ शस्त्र है। पर इसके लिए सभी पात्र नहीं होते। जिसकी ईश्वर में सजीव श्रद्धा न हो, वह मत्स्याग्रही उपवास का अधिकारी नहीं हो सकता। यह कोई नकल करने की चीज नहीं है। अत्यन्त अन्तर्वेदना हो, तभी उपवास करना चाहिए। और इसकी आवश्यकता भी असाधारण मौकों पर ही होती है। ऐसा लगता है मानों मैं उपवास के लिए अधिक उपयुक्त बन गया हूँ। हालाँकि उपवास एक शक्तिशाली शस्त्र है, इसकी मर्यादाएँ अत्यन्त कठोर हैं। इसलिए जिनोंने इसका शिक्षण नहीं पाया उनके लिए उपवास कोई मूल्यवान चीज नहीं है। और जब मैं अपने माप-दण्ड से उपवासों को मापता हूँ तो मुझे लगता है कि अधिकतर उपवास जो लोग करने दे, वे

सत्याग्रह की श्रेणी में आ ही नहीं सकते । वे तो महज 'धरणा' या भूख-हड़ताल के नाम से ही पुकारे जाने चाहिए ।”

“अन्दरूनी आवाज” सुनने की तथा उपवासों की नकल कई लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए की है । कुछ लोग पाखण्ड भी करते हैं । पर कौन-सी अच्छी वस्तु का दुरुपयोग नहीं हुआ ? किसी चीज का दुरुपयोग होता है केवल इसीलिए वह चीज बुरी नहीं बन जाती । असल बात तो यह है कि हर चीज में विवेक की जरूरत है । इसलिए गांधीजी ने यद्यपि आकाशवाणी भी सुनी और कई उपवास भी किये, तो भी प्रायः अपने लेखों में इन दोनों चीजों के सम्बन्ध में वह सावधानी से काम लेने की लोगों को सलाह देते हैं । मैंने देखा है कि वह प्रायः “अन्तर्नाद” की बात करनेवाले को शक की निगाह से देखते हैं और उपवास करनेवालों को प्रायः बिना अपवाद के निवारण करते हैं । और यह सही भी है ।

गांधीजी का ध्यान करते ही हमारे सामने सत्याग्रह का चित्र उपस्थित होता है। जैसे दूध के बिना हम गाय की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही सत्याग्रह के बिना गांधीजी की कल्पना नहीं होती। गांधीजी तो सत्याग्रह का अर्थ अत्यन्त व्यापक करते हैं। वह इसकी व्याख्या सविनय कानून-भगतक ही सीमित नहीं करते। सविनय कानून-भग सत्याग्रह का एक अंग-मात्र है, पर हरिजन-कार्य भी उनकी दृष्टि से उतना ही सत्याग्रह है जितना कि सविनय कानून-भग। चर्या चलाना भी सत्याग्रह है। सत्य, ब्रह्मचर्य ये मारे सत्याग्रह के अंग हैं।

सत्याग्रह, अर्थात् सत्य का आग्रह। इसी चित्र को सामने रखकर सत्याग्रह-आश्रम के वासियों को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अन्वाह, अपवित्रह अभयत्व, अन्यायता-निवारण, कायिक परिश्रम, सर्व-धर्म-समभाव, नम्रता, स्वदेगी, इन एकादश मंत्रों का पालन करना पड़ता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि ये एकादश मंत्र ही

सत्याग्रह के अंग है। सविनय कानून-भंग—नम्रता, सत्य, अहिंसा और अभयत्व के अन्तर्गत प्रकारान्तर से आ जाता है। इसे कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं है। फिर भी साधारण जनता तो यही समझती है कि सत्याग्रह के माने ही हैं सविनय कानून-भंग। “सविनय” का महत्त्व भी कम ही लोग महसूस करते हैं। सत्याग्रह का अर्थ है कानून-भंग, साधारण जनता तो इतना ही जानती है। आश्चर्य है कि इन चालीस सालों के निरन्तर प्रयत्न के बाद भी यह गलतफहमी चली ही जा रही है। आमतौर से सभी तरह के अवैध विरोध का नाम आजकल सत्याग्रह पड़ गया है। जो लोग कानून-भंग में शुद्ध सत्याग्रह का आचरण नहीं करते, वे कानून-भंग को सत्याग्रह का नाम न देकर यदि महज “निःशस्त्र प्रतिकार” कहें, तो सत्याग्रह की ज्यादा सेवा हो।

गांधीजी में यह शुद्ध सत्याग्रह बचपन से रहा है, पर सविनय आजा-भंग का स्थूल दर्शन सर्वप्रथम अफ्रीका में होता है। अफ्रीका पहुँचते ही इन्हें प्रिटोरिया जाना था, इसलिए डरवन से प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर गाड़ी में आराम से जाकर बैठ गये। रात को नौ बजे एक दूसरा गोरा मुसाफिर उमी डिब्बे में आया। गांधीजी को उसने एडी से चोटीतक

देखा और फिर बाहर जाकर एक रेलवे अफसर को लेकर वापस लौटा। अफसर ने आते ही कहा •

“उठो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हें दूमेरे नीचे दर्जे के डिब्बे में जाना होगा।”

“पर मेरे पास तो फर्स्ट का टिकट है।”

“रहने दो वहस को, उठो, चलो दूमेरे डिब्बे में।”

“मे साफ़ कहे देता हूँ कि मैं इस डिब्बे से ऐमे नहीं निकलनेवाला हूँ। मेरे पास टिकट है और अपनी यात्रा इसी डिब्बे में समाप्त करना चाहता हूँ।”

“तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। मे पुलिस को बुलाता हूँ।”

पुलिस कॉन्स्टेबल आया। उसने गाड़ी को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और इनका सामान भी बाहर पटक दिया। इन्होंने दूमेरे डिब्बे में जाना स्वीकार नहीं किया और गाड़ी इन्हें बिना लिये ही छूट गई। यह मुमाफिररजाने में चुपचाप जा बैठे। सामान भी रेलवेवालों के पास ही रहा। रात को भरकर जाग पड़ता था, उनके मारे यह ठिठुरे जाते थे। “मैं अपने कर्तव्य का विचार करने लगा। क्या मुझे अपने एक-दुकाँ के लिए लड़ना चाहिए ? या अपमान को सहन करके भी प्रिटोरिया जाना चाहिए और मुकदमा समाप्त होने पर ही वहाँ मे लौटना

चाहिए ? अपना कर्त्तव्य पूरा किये बिना भारत लौटना मेरी नामर्दी होगी । यह काले-गोरे के भेद-भाव का रोग तो गहरा था । मेरा अपमान तो रोग का एक लक्षण-मात्र था । मुझे तो रोग को जड़-मूल से खोदकर नष्ट करना चाहिए और उस प्रयत्न में जो भी कष्ट आये उसे सहन करना चाहिए । यह निश्चय करके मैं दूसरी गाडी से प्रिटोरिया के लिए फिर खाना हुआ ।”

डरबन से प्रिटोरिया पहुँचने के लिए रेल से चार्ल्स-टाउन पहुँचना था । वहाँ से घोड़ागाडी की डाक थी, उसमें सफर करना और जोहैनसवर्ग पहुँचकर वहाँ से फिर रेल पकड़कर प्रिटोरिया पहुँचना था । गाधीजी दूसरी गाडी पकड़कर चार्ल्सटाउन पहुँचे । पर अब यहाँ से फिर घोड़ागाडी की डाक में यात्रा करनी थी । रेल के टिकट के साथ ही उन्होंने घोड़ागाडी का टिकट भी खरीद लिया था । घोड़ागाडी के एजेण्ट ने जब देखा कि यह तो सँवला आदमी है, तो इनसे कहा कि तुम्हारा टिकट तो रद्द हो चुका है । पर गाधीजी ने जब उसे उपयुक्त उत्तर दिया तो वह चुप तो गया, पर मूल में जो कठिनाई काले-गोरे की थी वह कैसे दूर हो सकती थी ? गोरे यात्री तो सब गाडी के भीतर बैठे थे । इन्हें गोरों के साथ तो बिठाया नहीं जा सकता था, इसलिए बग्वी का सचालक, जो

एक तो ब्रह्मार्मि



कोचमैन की बगल में बैठा करता था, वह तो स्वयं भीतर बैठ गया और उन्हें कोचमैन की बगल में बिठाया।

वह अपमान था, पर उसे गांधीजी जहर की घूंट करके पी गये। गांधी चलनी रही। कुछ बंट बीत गये। अब गांधी के सचालक को तम्बाकू पीने की इच्छा हुई, इसलिए उसने बाहर बैठने की ठानी। उसकी जगह तो गांधीजी बैठे थे और गांधीजी को भीतर बैठाया जा नहीं सकता था। इस समस्या को भी उसने गांधीजी का और अपमान करके ही हल करना निश्चय किया। कोचमैन की दूसरी तरफ एक गन्दी-सी जगह खी थी उसकी तरफ लक्ष्य करके गांधीजी से कहा, “अब तु यहाँ बैठ, मुझे तम्बाकू पीना है।” यह अपमान असह्य था। गांधीजी ने कहा, “मेरा एक तो भीतर बैठने का था। तुम्हारे कहने में मैं यहाँ बैठा। अब तुम्हें तम्बाकू पीना है इसलिए मेरी जगह भी तुम्हें चाहिए। मैं भीतर तो बैठ सकता हूँ, पर और दूसरी जगह के लिए मैं अपना स्थान ग्राह्य नहीं कर सकता।” इस उत्तर पर वह जाना कि तपाक में उसने गांधीजी को तमाचा मारा। उनका हाथ पकड़कर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। पर यह भी गांधीजी उभरीं न चिपटकर अपने स्थान पर बने रहे।

दूसरे प्राण यह तमाशा चुपचाप देने थे। गांधी

का सचालक इन्हें पीट रहा था, गालियों दे रहा था, खींच रहा था और यह गाड़ी से चिपके हुए थे, पर शात थे । वह बलिष्ठ था, यह दुर्बल थे । यात्रियों को दया आई । एक ने कहा, “भाई, जाने भी दो, क्यों गरीब को मारते हो ?” उसका क्रोध शात तो नहीं हुआ, पर कुछ शर्मा गया । इन्हें जहाँ-का-तहाँ बैठने दिया । गाड़ी अपने मुकाम पर पहुँची । वहाँ से फिर रेल पकड़ी, पर फिर वही मुसीबत । गार्ड ने पहले इनसे टिकट मँगा, फिर बोला, “उठो, थर्ड में जाओ ।” फिर झगड़ शुरू हुई, पर एक अंग्रेज यात्री ने बीच में पड़कर मामला शान्त किया और यह सही-सलामत प्रिटोरिया पहुँचे ।

सविनय आज्ञा-भंग का गाधीजी के लिए यह पहला पाठ था । उनकी इस वृत्ति का प्रथम दर्शन शायद यहीं से होता है । ऐसे मौके पर ऐसा करना चाहिए, यह शायद उन्होंने निश्चय नहीं कर रक्खा था । पर ऐन मौके पर प्रचानक विवेक-बुद्धि आज्ञा-भंग करने के लिए उभारती है और यह सविनय आज्ञा-भंग करते हैं । मार खाते हैं, पर मारनेवाले पर कोई क्रोध नहीं है । न इन्हें उमपर मुकदमा चलाने की सचि होती है । इस तरह पहले पाठ का प्रयोग सफलतापूर्वक समाप्त होता है ।

यह जो छोटी-सी चीज जाग्रत हुई, वह फिर बृहत्

आकार धारण कर लेती है। पर वह कोरा आजा-भग नहीं है। “सविनय” है, जो कि सत्याग्रह की एक प्रधान गर्त है। सत्याग्रह उनके लिए कोई राजनैतिक शस्त्र नहीं है। आदि से अन्ततक उनके लिए यह दार्मिक शस्त्र है, जिसका उपयोग वह राजनीति में, घर में, हर समय, हर हालत में करते हैं।

वा को एक मर्तवा बीमारी होती है। चिकित्सा में लाभ न हुआ, तो गांधीजी ने अपनी जल-चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग शुरू किया। उन्हें लगा कि वा को नमक और दाल का त्याग करना चाहिए पर वा को यह राय पसन्द न आई। एक रोज़ यह करते-करते वा ने कहा, “यदि आपको भी दाल और नमक छोड़ने को कहा जाये, तो न छोड़ सकेंगे।” “तुम्हारी यह भूल है। यदि मैं बीमार पड़ूँ और मुझे उजड़ उन चीजों को छोड़ने के लिए कहे तो मैं अजब छोड़ दूँ। पर जो, मैं तो एक साल के लिए दाल और नमक दोनों छोड़ देता हूँ, तुम छोड़ो या न छोड़ो।” वा बेचारी घबड़ा गई, फिज़ूल को आसन मोल ली। “मैं दाल और नमक छोड़ती हूँ पर आप न छोड़ें।” पर गांधीजी ने तो दातो-ही-दातो में प्रतिज्ञा ले ली थी। अब उन्हें टननेवाले थोड़े ही थे। वा ने भी सन्तोष लिया। उन

घटना का जिक्र करते हुए गांधीजी कहते हैं, “मैं मानता हूँ कि मेरा यह सत्याग्रह मेरे जीवन की स्मृतियों में सब से ज्यादा सुखद है।”

ये दो घटनाएँ गांधीजी की शुद्ध सत्याग्रह की नीति की रूप-रेखा हमारे सामने रखती है। यद्यपि एक घटना एक अनजान के साथ घटती है, जो इनके प्रति क्रुद्ध था और दूसरी घटती है एक निकटस्थ के साथ, जो हठ के कारण अपने प्रिय भोजन को स्वास्थ्य की अपेक्षा ज्यादा महत्त्व देती थी, पर दोनों में भावना एक ही काम करती है। दोनों में हृदय-परिवर्तन की इच्छा है। दोनों में स्वच्छापूर्वक काष्ट-सहन करने की नीति है। दोनों में क्रोध या आवेश का अभाव है। इन दो घटनाओं का ध्यानपूर्वक अव्ययन करने के बाद हम देख सकेंगे कि इनके बाद के बड़े-से-बड़े राजनैतिक सग्रामों में वही भावना, वही प्रवृत्ति रही है, जो इन दो घटनाओं में हमें मिलती है—अक्रोध से क्रोध को जीतना, दूसरों की उत्तम भावना को स्वयं काष्ट सहकर जाग्रत करना। सत्याग्रह के शस्त्र का उन्होंने जीवन की हर क्रिया में उपयोग किया है। पर इन शस्त्र को अधिक ख्याति राजनीति में मिली है, इसलिए राजनीति के कुछ कार्यों का मिहानलोचन, सत्याग्रह की नीति को ठीक-ठीक

एक सी बत्तीस

समझने में हमारे लिए ज्यादा सहायक हो सकता है।
 गांधीजी ने सरकार के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ीं
 और कई मर्तवा सरकार के समर्ग में आये—इन सभी
 लड़ाइयों में या ससर्गों में सत्याग्रह की भूलक मिलती
 है—पर मेरा खयाल है कि १९१४-१८ का यूरोपीय
 महाभारत, और उसी ज़माने में किया गया चम्पारन-
 सत्याग्रह और वर्तमान यूरोपीय महाभारत, ये तीन प्रकरण
 इनके स्वदेश लौटने के बाद ऐसे हुए हैं कि जिनमें हमें
 शुद्ध सत्याग्रह का दिग्दर्शन होता है। अफ्रीका का
 सत्याग्रह-संचालन तो इनके अरुण्ड आधिपत्य में हुआ
 था। इसलिए उस सत्याग्रह में शुद्ध सत्याग्रह की नीति
 का ही अनुसरण हुआ। पर १९२०-२० और १९३०-
 ३२ की लड़ाइयाँ विम्बूत थीं, और अविनायकी उनकी
 होते हुए भी अनेकोत्तर यह सत्याग्रह फैल गया।
 उसका नतीजा यह हुआ कि सत्याग्रह सर्वांग में सत्याग्रह
 न रहा। इन लड़ाइयों में सत्याग्रह के साथ-साथ
 दुराग्रह भी चला।

यह नहीं है कि लोग शरीर में कोई हिंसा नहीं करते
 थे। पर जमान और दिल में जहर की कमी नहीं थी।

उठनी और तुर्की के बीच कई साल पहले जब युद्ध
 छिड़ा तब अन्तर सातन ने लिखा

न सीने में जोर है न वाजू में बल

कि टरकी के दुश्मन से जाकर लडे;
तहेदिल से हम कोसते हैं मगर

कि इटली की तोपो में कीडे पडें ।

ऐसे सैकड़ों सत्याग्रही थे, जिनके बारे में थोड़े-से हेरफेर के साथ यह शेर कहा जा सकता था । “इंग्लैण्ड के फेफडो में कीडे पडे” ऐसी मिन्नत मनानेवालों की भी क्या कमी थी ! पर पिछले यूरोपीय महाभारत और वर्तमान यूरोपीय युद्ध में (युद्ध तो जारी ही है) इनकी जो नीति रही वह शुद्ध गांधीवाद का प्रदर्शन हुआ है ।

पिछला यूरोपीय युद्ध और वर्तमान यूरोपीय युद्ध ये ऐसी बड़ी घटनाएँ हैं, जिन्होंने समार के हर पहलू को प्रभावान्वित किया है और भविष्य में करेंगी। अगल में तो वर्तमान युद्ध के जन्म के पीछे छिपा हुआ कारण तो पिछला युद्ध ही है और ये दोनों युद्ध समार की वृद्ध श्रीमारी के चिह्नमात्र हैं। श्रीमारी तो कुछ दूसरी ही है। मालूम होता है कि जैसे पृथ्वी के गर्भ में वृक्षान उठता है, उसे हम देख नहीं पाते और भूकम्प होने पर ही हमें उसकी खबर होती है, वैसे ही मानव-समाज में भी जो आग भीतर-ही-भीतर चपों से दहक रही थी, उसे हमने युद्ध होने पर ही सम्यक् प्रकार से देखा है। पिछला युद्ध एक तरह का भूकम्प था। प्रेमिडेस्ट मिलमन ने इस भूमिकम्प का निदान किया। वर्तमानिया के प्रधानमन्त्री लॉयड जॉर्ज को भी नियति स्पष्ट दिखाई दी। पर दोनों ही मानसिक निर्मलता ने उन्हें लाचार बना दिया। सिन्ध के मद में ये लोग रोग को भूल गये। रोग ही चिह्नित

एक ही पंतीन

न करके लक्ष्मणों को दवाने की कोशिश की गई । नतीजा यह हुआ कि एक जबरदस्त विस्फोटक मानव-समाज के अग में फूट निकला है, जिसके दर्द के मारे सारी सृष्टि व्याकुलता से कराह रही है ।

इन दोनों महाभारतों में गांधीजी ने क्या किया, यह एक अध्ययन करनेलायक चीज है । गांधीजी की राजनीति में वर्मनीति प्रधान होती है । यूरोपीय महाभारतों से बटकर दूसरा राजनीति का प्रकरण इस सदी में और कोई नहीं हुआ । इन दोनों राजनैतिक प्रकरणों में गांधीजी ने राजनीति और धर्म का कैसे समन्वय किया, यह एक समालोच्य विषय हो सकता है । पर हर हालत में वह गांधीजी के व्यक्तित्व पर एक तेज प्रकाश डालता है । गांधीजी की प्रथम यूरोपीय युद्ध के बाद की नीति में इतना फर्क अवग्य पडा है कि इंग्लैण्ड के राज्यशासन में जो इनका अटूट विश्वास था वह मिट गया । पर उसके मिटने से पहले इन्हें कई आघात लगे, जिन्होंने उस विश्वास की मारी बुनियाद को तहस-नहस कर दिया ।

“ब्रिटिश राज्य-शासन में मेरी जितनी श्रद्धा थी उसमे बटकर किर्माकी हो ही नहीं सकती थी । मैं अब नोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस गज-भक्ति की जड़ में तो मेरी सत्यप्रियता ही थी । मैं ब्रिटिश शासन के

एक सौ छत्तीस

दुर्गुणों से अनभिज्ञ न था, पर मुझे उस समय ऐसा लगता था कि गुण-अवगुणों के जमा-खर्च के बाद ब्रिटिश शासन का जमा पक्ष ही प्रबल रहता था। अफ्रीका में मैंने जो रंगभेद पाया, वह मुझे ब्रिटिश स्वभाव के लिए अस्वाभाविक चीज लगती थी। मैंने माना था कि वह स्थानीय थी और अस्थायी थी, इसलिए राज-कुटुम्ब के प्रति आदर-प्रदर्शन करने में मैं हर अंग्रेज से बाजी मारता था। पर मैंने इस राजभक्ति से कभी स्वार्थ नहीं साधा। मैंने तो ऐसा माना कि राजभक्तिद्वारा मैं एक ऋणमात्र अदा कर रहा हूँ।”

ये इनके प्राचीन भाव थे। फिर जब इन्होंने सरकार के लिए “शैतानी” शब्द की रचना की, तबतक विचारों में परिवर्तन हो चुका था। पर सरकार ‘शैतानी’ हो गई तो भी कार्यपद्धति में कोई परिवर्तन न हुआ, क्योंकि इन्हें शैतान से भी तो दुश्मनी नहीं है। एक बार मैंने कहा, “अमुक मनुष्य बड़ा दुष्ट है। आप क्यों उसे अपने पास रखते हैं?” गांधीजी ने उत्तर में कहा, “मैं तो चाहता हूँ कि शैतान भी मेरे पास बैठे, पर वह मेरे पास रहना पसन्द ही नहीं करता।” इसलिए राजभक्ति तो काफ़ूर हुई, पर सल्तनत के हृदय-परिवर्तन की चाह न मिटी। जिस स्वराज्य की प्राप्ति “ऋण अदा करके”

एक सी संतीस

होनेवाली थी उसकी प्राप्ति अब “हृदय-परिवर्तन” द्वारा होने की चाह जगी । पर स्वयं कष्ट-सहन करने की नीति और अन्य तत्सम चीजें ज्यों-की-त्यों हैं ।

४ अगस्त १९१४ को लडाई का इश्टिहार हुआ । ६ अगस्त को गाधीजी ने दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैण्ड में पदार्पण किया । लन्दन पहुँचते ही पहला ध्यान इनका अपने कर्त्तव्य की ओर गया । कुछ भारतीय मित्र उस समय इंग्लैण्ड में थे । उनकी एक छोटी-सी सभा बुलाई और उनके सामने कर्त्तव्य-सम्बन्धी अपने विचार प्रकट किये । इन्हें लगा कि जो हिन्दुस्तानी भाई इंग्लैण्ड में रहते थे, उन्हें सहायता देकर अपना कर्त्तव्य-पालन करना चाहिए । अंग्रेज विद्यार्थी फौज में भर्ती हो रहे थे । भारतीय विद्यार्थियों को भी ऐसा ही करना चाहिए, यह इनकी राय थी । “पर दोनों की स्थितियों में क्या तुलना है ? अंग्रेज मालिक है, हम गुलाम हैं । गुलाम क्यों सह-योग दें ? जो गुलाम स्वतंत्र होना चाहता है उसके लिए तो स्वामी का सकट ही अवसर है ।” पर यह दलील उस समय गाधीजी को नहीं हिला सकी । आज भी ऐसी दलील का उनपर कोई अमर नहीं होता ।

“मुझे अंग्रेज और हिन्दुस्तानी दोनों की हैसियत के भेद का सम्पूर्ण जान था, पर मैंने यह नहीं माना था

एक सी बडतीस

कि हम गुलामों की हैसियत में पहुँच गये थे। मुझे लगना था कि यह सारा ढोप ब्रिटिश शासन का नहीं, पर व्यक्तिगत अफसरों का था और मेरा विश्वास था कि यह परिवर्तन प्रेम ने ही सपाटन किया जा सकता था। यदि हमें अपनी अवस्था का सुवार वाञ्छनीय था, तो हमारा फर्ज था कि हम अंग्रेजों की उनके सकट में मदद करें और उनका हृदय पलटायें।

पर विरोधी मित्रों की ब्रिटिश सल्तनत में वह श्रद्धा नहीं थी जो गांधीजी की थी, इसलिए वह सहयोग देने को उत्सुक नहीं थे। आज वह श्रद्धा गांधीजी की भी नहीं रही, इसलिए गांधीजी के सहयोग का अभाव है। पर “अंग्रेजों का सकट हमारा अवसर है,” इन दलील को आज भी गांधीजी स्वीकार नहीं करते। मित्रों ने उस समय कहा, “उस समय हमें अपनी माँगें पेश करनी चाहिए।” पर गांधीजी ने कहा “यह ज्यादा मुन्दर होगा और दूरदर्शिता भी होगी कि हम अपनी माँगें लड़ाई के बाद पेश करें।” अग्रणी वार माँगें पेश की गई हैं, पर तो भी अंग्रेजों के सकट की चिन्ता से गांधीजी मुक्त नहीं हैं। वह उनके लिए किसी तरह की परेशानी पैदा करना नहीं चाहते। प्रथम और द्वितीय यूरोपीय युद्धों के प्रति इनकी मनोवृत्ति में जो सूक्ष्म सादृश्य बराबर नजर

आता है, वह अध्ययन करनेलायक है ।

अन्त में लन्दन में वाल्टियरो की एक दुकड़ी खड़ी की गई । उस समय के भारत-मंत्री लॉर्ड क्रू थे । उन्होंने बड़ी अग्र-मगर के बाद उस दुकड़ी की सेवा स्वीकार करने की सम्मति दी । अग्रेजों में तब भी हमारे प्रति अविश्वास था, जो आजतक ज्यो-का-त्यो बना पड़ा है ।

गांधीजी के साथियों ने जब दक्षिण अफ्रीका में सुना कि गांधीजी ने स्वयंसेवकों की एक दुकड़ी लड़ाई में सहायता देने के लिए खड़ी की है, तब उन्हें अत्यन्त आश्चर्य हुआ । एक ओर अहिंसा की उपासना, और दूसरी ओर लड़ाई में शरीक होना ! गांधीजी की इन दो परस्पर-विरुद्ध मनोवृत्तियों ने इनके साथियों को उलझन में डाल दिया ।

युद्ध की नैतिकता में इन्हें कतई विश्वास न था । “यदि हम अपने घातक के प्रति भी जमा का पालन करते हैं, तो फिर ऐसे युद्ध में जिम्मे हमें यह पूरा पता भी न हो कि धर्म किसकी ओर है कैसे किसीका पक्ष लेकर लड़ सकते हैं ?”

पर उसका उत्तर गांधीजी यों देते हैं :

“मुझे यह अच्छी तरह ज्ञात था कि युद्ध और अहिंसा का कभी मेल नहीं हो सकता । पर धर्म क्या है

एक सी चालीस

और अधर्म क्या है, इसका निर्णय इतना सरल नहीं होता। सत्य के उपासक को कभी-कभी अन्धकार में भी भटकना पड़ता है। अहिंसा एक विशाल धर्म है। “जीवो जीवस्य जीवनम्” इस वाक्य का अत्यन्त गूढ़ अर्थ है। मनुष्य एक क्षण भी जाने-अनजाने हिंसा किये बिना जीवित नहीं रहता। जिन्दा रहने की क्रियामात्र—खाना, पीना, डोलना—जीव का हनन करती है, चाहे वह जीव अणु-जितना ही छोटा क्यों न हो। इसलिए जीवन स्वयं ही हिंसा है। अहिंसा का पूजक ऐसी हालत में अपने धर्म का यथार्थ पालन उसी दशा में कर सकता है, जबकि उसके तमाम कर्मों का एक ही स्रोत हो। वह स्रोत है दया। अहिंसावादी भरसक जीवों की रक्षा करने की कोशिश करता है और उस तरह वह हिंसा के पापमय फन्दे से बचता रहता है। उसका कर्त्तव्य होता है कि वह इन्द्रिय-निग्रह और दया-धर्म की वृद्धि करता रहे। पर मनुष्य हिंसा से पूर्णतः मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा एक है और सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए एक मनुष्य की बुराई का असर प्रकारांतर से सभीपर होता है। उस न्याय से भी मनुष्य हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है कि जबतक समाज का वह एक अंग है, तबतक समाज की हस्ती के लिए भी जो हिंसा

एक ही इकतालीस

होती है उसका वह भागीदार तो है ही । जब दो राष्ट्रों में युद्ध होता है तब अहिंसा के उपासक का प्रथम धर्म तो है युद्ध को बंद कराना । पर जो इसके लिए अयोग्य है, जो युद्ध रोकने की शक्ति भी नहीं रखता, वह चाहे युद्ध में शरीक तो हो, पर साथ ही राष्ट्र को, समार को और अपने-आपको युद्ध से मुक्त करने का प्रयत्न भी निरन्तर करता रहे ।”

गांधीजी के तबके और आज के विचारों में कोई फर्क नहीं है, चाहे कार्यक्रम की बाहरी सूरत कुछ भिन्न मालूम देती हो । “अहिंसा का पूजक अपने धर्म का पालन पूर्णतया तभी कर सकता है, जब कि उसके कर्ममात्र का स्रोत केवल दया ही हो ।” यह वाक्य उनके तमाम निर्णयों के लिए नाव के पतवार का-सा काम देता है । पर उस युद्ध में शरीक होने में एक और दलील थी:—

“मैं अपने स्वदेश की स्थिति ब्रिटिश सल्तनत की सहायता से सुधारने की आशा करता था । मैं इंग्लैण्ड में ब्रिटिश नाविक सैन्य की सहायता से सुरक्षित था । चूंकि मैं इंग्लैण्ड की छत्रछाया में सुरक्षित था, एक प्रकार से मैं इंग्लैण्ड की हिंसा में भी शरीक था । मैं इंग्लैण्ड से अपना नाता तोड़ने को यदि तैयार न था, तो इस हालत में मेरे लिए तीन ही मार्ग खुले थे । या तो युद्ध के विरुद्ध

ब्रगावत करना और सत्याग्रह-वर्म के अनुसार जबतक इंग्लैण्ड अपनी नीति को न त्याग दे तबतक इंग्लैण्ड की गहशाहत से अमहयोग करना । अथवा कानून-भंग करके कैद जाना, अथवा ब्रिटिश राष्ट्र को जग में सहायता देना और ऐसा करते-करते युद्ध की हिंसा के प्रतिकार की शक्ति प्राप्त करना । चूँकि मैं प्रथम दो मार्गों के अनुसरण के लिए अपने-आपको अयोग्य पाता था, मैंने अन्तिम मार्ग ग्रहण किया ।”

यह तर्क कुछ लूला-सा लगता है, पर गाधीजी किस तरह निर्णय पहले करते हैं और दलील पीछे उपजाते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे । पर तर्क अकाट्य न भी हो तो न सही, गाधीजी की आत्मा को जिस समय जो सत्य जँचा, उसीके पीछे वह चले हैं । उनके तर्कों में जान-बूझकर आत्म-वचना नहीं होती । असल बात तो यह थी कि उनकी ब्रिटिश शासन-पद्धति में बेहद श्रद्धा थी । दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, तो भी इनका धीरज और इनकी श्रद्धा अडिग रही । बोअर-लड़ाई में और जूलू-बलवे में यद्यपि इनकी महानुभूति बोअरों और जूलू लोगों की तरफ थी, तो भी अंग्रेजों को सहायता देना ही इन्होंने अपना धर्म माना । इस सहायता के बाद भारतीयों की स्थिति समझने के लिए उपनिवेश-

मन्त्री जोसेफ चेम्बरलेन जब अफ्रीका आये और हिन्दु-स्तानियों की प्रतिनिधि-मण्डली उनसे मिलने के लिए प्रवन्ध करने लगी, तो उन्होंने साफ कहला दिया कि “और सब आर्यें, पर गावी को नेता बनाकर न लाया जाये । उनसे एक बार मुलाकात हो चुकी, अब बारवार उनसे नहीं मिलना है ।”

अंग्रेजों की यह पुरानी वृत्ति आजतक ज्यों-की-त्यों जिन्दा है ।

गोलमेज परिषद् हुई तब भारतीय प्रतिनिधिगण भारतीयोंद्वारा चुने हुए नुमाइन्दे नहीं थे, पर सरकार-द्वारा नियुक्त किये हुए थे । सरकार ने हमें शान्ति दी, रक्षा दी, परतन्त्रता दी, तो फिर नुमाइन्दे भी वही नियुक्त क्यों न करे ! आज भी कांग्रेस और ब्रिटिश सल्तनत मे इसी सिद्धान्त पर बहस चालू है । सरकार कहती है, लडाई के बाद तमाम जातियों, समाजों और फिरकों के नुमाइन्दों से हिन्दुस्तान के नये विधान के सम्यन्व मे सलाह-मशवरा करेंगे । कौन जातियों है, कौन-से समाज है और कौन-से फिरके हैं, इसका निर्णय भी सरकार ही करेगी । प्रान्तीय सरकारें चुने हुए नुमाइन्दों द्वारा संचालित हो रही थीं । पर वे नुमाइन्दे अपने घर रहें । सरकार तो अपनी आवश्यकता देखकर नये नुमाइन्दे पैदा करती है । गावी

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों का प्रतिनिधि बनकर चेम्बरलेन से मिले, यह अनहोनी बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है, इसलिए गांधी नहीं मिल सकता ।

पर गांधीजी पर इसका भी कोई बुरा असर नहीं हुआ । जब योरपीय युद्ध शुरू हुआ, तब फिर सहायता दी । बाद में पञ्जाब में खून-खराबी हुई, रॉलट कानून बना, जलियाँवाला बाग आया । गांधीजी की श्रद्धा फिर भी जीवित रही । नये सुधार आते हैं, तब गांधीजी उनके स्वीकार करने के पक्ष में जोर लगाते हैं । ऐसी गांधीजी की श्रद्धा और अहिंसा हैं—

“जो लोको काँटा बुधे, ताहि बोय तू फूल,
तोको फूल के फूल है, बाको हँ तिरसूल ।”

गांधीजी की यह मनोवृत्ति एकधार, अखण्डित शुरू से आगिरतक जारी है । हालांकि ब्रिटिश राज्य की नेकनीयती में उनकी श्रद्धा अब उठ गई है, फिर भी व्यवहार वही प्रेम और अहिंसा का है । गांधीजी अब भी “फूल बोने” में मस्त हैं ।

यह उनकी ब्रिटिश शासन की नेकनीयती में श्रद्धा ही थी, जिसके कारण उन्होंने गत युद्ध में सहायता दी । उनकी दलील तो निर्णय के बाद बनती है, इसलिए पशु-जैसी लगती है । पर चूँकि लड़ाई में सरकार को

सहायता देना, यह उस समय गाधीजी को अपना धर्म लगा, उन्होंने मर्यादा के भीतर सहायता देने का निश्चय किया। बोअर-लडाई में और जूलू-विप्लव में गाधीजी की सहानुभूति बोअरों और जूलू लोगों के साथ थी, पर उन्होंने माना कि अंग्रेजों को सहायता देना उनका धर्म था। इसलिए सहायता अंग्रेजों को दी। ऐसी असंगति कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक कर्म जो एक समय धर्म होता है, वही कर्म अन्य समय में अवर्म हो सकता है। इसलिए यह कहा है कि धर्म की गति गहन है।

ऐसी ही एक असंगति की कहानी हमें महाभारत में मिलती है। महाभारत-युद्ध की जब सब तैयारी हो जाती है और योद्धा आमने-सामने आकर खड़े होते हैं, तब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम करते हैं, और युद्ध के लिए उनकी आज्ञा माँगते हैं। युधिष्ठिर की इस विनय से भीष्म अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, “पुत्र, तू युद्ध कर और जय प्राप्त कर। मैं तुझ-पर प्रसन्न हूँ, और भी जो कुछ चाहता हो वह कह, तेरी पराजय नहीं होगी।” इतनी आशीष दी, पर युद्ध तो भीष्म पितामह को दुर्योधन की ओर से ही करना था, इसलिए असंगति को समझाते हुए कहा, “मैंने कौरवों का अन्न खाया है, इसलिए युद्ध तो उन्हींकी ओर से

एक सौ छियालीस

करूँगा, बाकी तो जो तुम्हें चाहिए वह अवश्य माँगो ।”

“अर्यस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् ।

इति सत्य महाराज बद्धोऽस्म्यर्धेन कौरवै ॥”

“हे महाराज ! सच तो यह है कि पुरुष अर्थ का दास है और अर्थ किसीका दास नहीं, इसलिए मैं कौरवों से बंधा पडा हूँ ।”

भीष्म पितामह के लिए तो कैसा अर्थ और कैसा बन्धन ? पर बात तो यह है कि यहाँ अर्थ से भी मतलब धर्म से ही है । भीष्मजी का कहना यही था कि मैं धर्म से बंधा हूँ, इसलिए युद्ध तो मैं कौरवों की तरफ से ही करूँगा, बाकी मेरा पक्ष तो तुम्हारी तरफ है ।

हजारो साल के बाद एक दूसरा महाभारत योरप मे होता है । गांधीजी कहते है, “मैं युद्ध के पक्ष में नहीं, पर चूँकि इंग्लैण्ड की सुरक्षा में पला हूँ, इसलिए मेरा धर्म यह है कि मैं इंग्लैण्ड की सहायता करूँ ।” हजारों सालों के बाद इतिहास की पुनरावृत्ति का यह एक अनुपम उदाहरण है ।

गत योरपीय युद्ध चार सालतक चला और उसमे मित्रराष्ट्रों को जान लडाकर युद्ध करना पडा । कई उतार-चढाव आये । भारतवर्ष मे गांधीजी ने जिस सालिस मन से इंग्लैण्ड को सहायता दी, उतनी सरलता

एक ती संतालीस

से शायद ही किसीने दी हो। कई नेता तो विपक्ष में भी थे, पर ज्यादातर तटस्थ थे। लोकभावना में भी अब और तब में कितना सादृश्य है, यह देखनेलायक चीज है।

लडाई के जमाने में वाइसराय चेम्सफोर्ड ने तमाम नेताओं और रईस लोगों की एक युद्ध-सभा बुलाई। गांधीजी को भी निमन्त्रण आया। कुछ हिचकिचाहट और अग्र-मग्र के साथ गांधीजी ने सभा में शरीक होने का निश्चय किया। सभा में जो प्रस्ताव था उसके समर्थन में गांधीजी ने हिन्दी में केवल इतना ही कहा, “मैं इसकी ताईद करता हूँ।” पर जो उन्हें कहना था, वह पत्र द्वारा वाइसराय को लिखा। वह पत्र भी देखनेलायक है—

“मैं मानता हूँ कि इस भयकर घड़ी में ब्रिटिश राष्ट्रकों—जिसके कि अत्यन्त निकट भविष्य में हम अन्य उपनिवेशों की तरह सामेदार बनने की आशा लिये बैठे हैं—हमें प्रसन्नतापूर्वक और स्पष्ट सहायता देनी चाहिए। पर यह भी सत्य है कि हमारी इस मशा के पीछे यह आशा है कि ऐसा करने से हम अपने ध्येय को शीघ्र ही पहुँच जायेंगे। कर्त्तव्य का पालन करने से अविचार अपने-आप ही मित्त जाते हैं, और इसलिए लोगों को विश्वास है कि जिस सुधार की चर्चा आपने की है उसमें कांग्रेस-लीग की योजना को आप पूरी तरह से स्वीकार करेंगे।

एक सौ अड्डालीस

कई नेताओं का ऐसा विश्वास है और इसी विश्वास ने सरकार को पूर्ण सहायता देने पर नेताओं को आमादा किया है।”

गांधीजी के पत्र का यह एक अंश है। कितना निर्मल विश्वास! उस समय हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य था। आज की तरह साम्प्रदायिक अनैक्य की दुहाई देने की कोई गुजाइश न थी। लीग और कांग्रेस दोनों ने सम्मिलित योजना गढ़कर सरकार के सामने पेश की थी। पर सरकार ने उसे महत्त्व नहीं दिया। उसे अस्वीकार किया। और इस तरह सारी आशाएँ निष्फल हुईं। जो लोग यह मानते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-अनैक्य ही भारत को स्वतन्त्रता देने के लिए इंग्लैण्ड के मार्ग में बाधक है, उनके लिए यह पुरानी कहानी एक सबक है।

आगे चलकर गांधीजी ने लिखा, “यदि मैं अपने देशवासियों को समझा सकूँ, तो उनसे यह करवाऊँ कि जग के जमाने में वे स्वराज्य का नाम भी न लें।”

जब वर्तमान युद्ध के प्रारम्भ में गांधीजी वाइसराय लिनलिथगो से मिले उसके बाद उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा, “मुझे इस समय इस देश की स्वाधीनता का कोई खयाल नहीं है। स्वतन्त्रता तो आयेगी ही, पर वह किस काम की, यदि इंग्लैण्ड और फ्रांस मर मिट जायें

एक ही उनचास

या मित्रराष्ट्र जर्मनी को तवाह और दीन करके जीतें १”
इन दोनों उक्तियों में भी वही सादृश्य जारी है ।

आगे चलकर गांधीजी ने वाइसराय चेम्सफोर्ड को लिखा :—“मैं चाहता हूँ कि भारत हर हट्टे-कट्टे नौजवान को ब्रिटिश राष्ट्र की रक्षा के लिए होम दे । और मुझे यकीन है कि भारत का यह बलिदान ही उसे ब्रिटिश साम्राज्य का एक आदरणीय साभेदार बना देने के लिए पर्याप्त होगा । इस सकट के समय यदि हम साम्राज्य की जी-जान से सेवा करें और उसकी भय से रक्षा करदें, तो हमारा यह कार्य ही हमें हमारे ध्येय की ओर शीघ्रता से ले जायेगा । अपने देशवासियों को मैं यह महसूस कराना चाहता हूँ कि साम्राज्य की सेवा यदि हमने कर दी तो उस क्रिया में से ही हमें स्वराज्य मिल गया, ऐसा समझना चाहिए ।”

आश्चर्य है कि गांधीजी ने उस समय जिस भाषा का उपरोक्त उक्ति में प्रयोग किया, करीब-करीब वही भाषा आज सरकारी हल्कोद्वारा हमारी मॉर्गों के सम्बन्ध में प्रयोग की जाती है । वे कहते हैं कि इस समय केवल जग की ही बात करो, और जी-जान से हमारा पक्ष लेकर लड़ो । वस, इसीमें तुम्हें स्वराज्य मिल जायेगा । गत युद्ध में भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस

समय हमे सारे घरेलू झगड़ों को भूलकर युद्ध में दत्तचित्त हो जाना चाहिए। और गांधीजी ने वैसा किया भी। भारत ने अपने नौजवानों की बलि भी चढाई। धन को भी साम्राज्य-रक्षा के लिए फूँका। पर उससे भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। युद्ध के अन्त में जब जलियाँवाला बाग आया, तब गांधीजी का वह विश्वास और श्रद्धा चल बसे, पर तो भी व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा।

वर्तमान योरोपीय युद्ध नम्बर दो में गांधीजी ने जिस नीति का अवलंबन किया है, वह भी शुद्ध सत्याग्रह है। पिछले युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की मनोवृत्ति में इन्हें जो श्रद्धा थी, वह अब नहीं रही। पर सत्याग्रही की नीति ही उनके मतानुसार यह है कि जितनी ही अधिक बुराई विपत्ती में हो, उतना ही ज्यादा हमे अहिंसामय होने की जरूरत पड़ती है। इसलिए यद्यपि गांधीजी का असहयोग तो जारी है, पर इस सकट-काल में इंग्लैण्ड जरा भी तग हो ऐसा कोई भी कार्य करना उन्हें रुचिकर नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि ज्यों-ज्यों इंग्लैण्ड की शक्ति कम होती गई, त्यों-त्यों गांधीजी इस बात का ज्यादा खयाल करने लगे कि ब्रिटिश सरकार को किमी तरह हमारी ओर में परेशानी न हो।

पर पिछले युद्ध और इस युद्ध में एक और फर्क है

एक तो इय्यावन

और उस फर्क के कारण गांधीजी का युद्ध में शरीक होना या न होना, इस निर्णय पर काफी असर पड़ा है।

गत युद्ध में हम बिलकुल पराधीन थे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी कोई पूछ नहीं थी। हम उपद्रव करके अंग्रेजों को सहायता मिलने में कुछ हद तक रुकावट अवश्य डाल सकते थे, किन्तु यह कार्य सत्याग्रही नीति और गांधीजी की अहिंसा-नीति के खिलाफ होता। पर रुकावट डालना एक बात थी और सक्रिय सहायता देना दूसरी बात। रुकावट न डालते हुए भी सक्रिय सहायता देने में हम असहयोग कर सकते थे, तो भी गांधीजी ने सक्रिय सहायता देना ही अपना धर्म माना। “हम जब इंग्लैंड-द्वारा सुरक्षित हैं और खुशी-खुशी उस सुरक्षा को स्वीकार करते हैं, तब तो हमारा धर्म हो जाता है कि हम अंग्रेजों को सक्रिय सहायता दें और उनकी ओर से शस्त्र लेकर लड़ें भी।” पर इस तर्क में आज की स्थिति में कोई प्राण नहीं है। क्योंकि तबकी और अबकी परिस्थिति में काफी अन्तर पड़ गया है। इसलिए वह पुरानी दलील आज की स्थिति में लागू नहीं पड़ती।

इस बार युद्ध छिड़ा तब प्रातों में प्रांतीय स्वराज्य या और उनमें से आठ प्रातों में तो स्वराज्य की वागडोर कांग्रेस के हाथ में थी। एक बार प्रात में भी

एक सी बात

अर्थात् सिंध में आबी-पडवी बागडोर कांग्रेस के हाथ में
 थी। इस तरह कुल नौ प्रांतों में कांग्रेस का आधिपत्य
 था। केन्द्र में भी स्वराज्य का वादा हो चुका था। और
 अनुमान से भी यह कहा जा सकता है कि हम पूर्ण
 स्वराज्य के काफी निकट पहुँच गये हैं। इसलिए आज
 “उन्हींकी दी हुई रक्षा से हम सुरक्षित हैं” ऐसा नहीं
 कहा जा सकता। आज हम उस योग्य बन गये हैं कि
 हम अपनी ही रक्षा से भी सुरक्षित हो सकते हैं। हम
 गत युद्ध के समय जितने पगवीन थे उतने आज परा-
 धीन नहीं हैं। हमें आज यह कहने का नैतिक स्वत्व—
 कानूनी न सही—अवश्य है कि हम अपनी रक्षा किस
 तरह करेंगे, कैसे करेंगे। जहाँ इंग्लैंड को परेशान न
 करना गावीजी ने अपना बर्मा माना वहाँ यह निश्चय करना
 भी उनका धर्म हो गया कि भारतवर्ष पर आक्रमण हो
 तो उस आक्रमण का मुकाबिला—प्रतिरोध—हिंसात्मक
 उपायोंद्वारा करना या अहिंसात्मक उपायोंद्वारा। हम
 मारते-मारते मरें या बिना मारे भी मरना सीखें। तमाम
 परिस्थिति पर ध्यानपूर्वक मोच-विचार के बाद गावीजी
 ने युद्ध छोड़ा उसमें ही यह निश्चय कर लिया था कि
 उग्र हिंसा का सामना अहिंसा से ही हो सकता है।
 अवीमीनिया, स्पेन और चीन के युद्ध में विपद्-ग्रस्त

एक सौ त्रेपन

राष्ट्रों को गाधीजी ने अहिंसा की ही सीख दी थी। जो सलाह अन्य विपद्-ग्रस्त राष्ट्रों को दी गई थी, क्या उससे विपरीत सलाह अपने देशवासियों को दें ?

गाधीजी की दृष्टि से अहिंसा की जीवित कसौटी का समय आ चुका था। यदि अहिंसा के प्रयोग की सक्रिय सफलता का प्रदर्शन देना है, तो इससे उत्तम अवसर और क्या होसकता था ? नैतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से युद्ध छिड़ने से पहले ही गाधीजी इस निर्णय पर पहुँच चुके थे कि इतनी उग्र और सुव्यवस्थित हिंसा का सामना कम-से-कम हिन्दुस्तान तो हिंसात्मक उपायों-द्वारा कर ही नहीं सकता। उसके पास इतने उग्र साधन ही कहीं हैं, जो सुव्यवस्थित मुल्कों के शस्त्रास्त्रों से मुठभेड़ ले सके ? पर यह तो गौण बात थी। प्रधान बात तो यह थी, “क्या हम भयकर हिंसा का अहिंसा से मफल मुकाबिला करके सत्कार के सामने एक धार्मिक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकते ?” और इसी विचार ने गाधीजी को इस निर्णय पर पहुँचाया कि भारत और इंग्लैण्ड के बीच समझौता होने पर अंग्रेजों को नैतिक सहयोग अवश्य दिया जाये, पर कांग्रेस कम-से-कम हिंसा में शरीक होकर अपनी नैतिक ध्वजा को झुकने न दे।

कांग्रेस के दिग्गज इस नीति की उत्तमता को महसूस

एक सी चीवन

करते थे, पर इस मार्ग पर पाँव रखने में ही हिचकते थे । चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य-जैसे तीक्ष्ण बुद्धिवादी तो न लड़ने की नीति को बर्ष भी नहीं मानते थे । युद्ध के शुरू-शुरू में इस प्रश्न ने इतना जोर नहीं पकड़ा । कांग्रेस की माँगों सरकार के सामने रखी पड़ी थीं । पर सरकार ने न तो उन्हें पूरा किया, न कोई आशा उत्पादन की । इस तरफ कांग्रेस के प्रस्ताव का मानसिक अर्थ दो पक्ष के लोगों का भिन्न-भिन्न था । गांधीजी सरकार से समझौता होने पर केवल नैतिक सहायताभर ही देना चाहते थे । अन्य दिग्गजों ने अपनी कल्पना में भौतिक सहायता देना भी कर्त्तव्य मान रक्खा था । प्रस्ताव-पर-प्रस्ताव कांग्रेस पास करती चली गई और इसकी द्वि-अर्थी भावना भी दोनों पक्ष अपने-अपने मन में पुष्ट करते रहे ।

गांधीजी ने तो लेखों, वक्तव्यों और वाइसराय की मुलाकातों में इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दुस्तान तो अंग्रेजों को नैतिक बल का ही दान दे सकता है । पर वाइसराय ने भी अपने मन में अवश्य मान रक्खा होगा कि भौतिक बल का दान भी समझौता होने पर मिलना नितांत असंभव नहीं । दिन निकले, महीने निकले । जर्मनी की मृत्यु-वाद एक-के-वाद दूररे राष्ट्र को अपने उदर में समेटती हुई आगे बढ़ती चली ।

जब फ्रांस का पतन हुआ तब “मारते-मारते मरना” या “बिना मारे मरना” यह प्रश्न तेजी के साथ महत्त्वशील बन गया। अबतक जिस तरह से दो पक्ष अपनी-अपनी कल्पना लेकर गाड़ा हँकते थे, वह अब असम्भव-सा हो गया। गांधीजी गुरु से इस भेद को जानते थे। गुरु से अपने सहकर्मियों से कहते थे कि मुझे छोड़ दो। पर गांधीजी को जबतक राजी-खुरशी उनके सहचारी छोड़ न दें, तबतक वे कांग्रेस से निकल नहीं सकते थे। अन्त में कांग्रेस के दिक्पालों ने देख लिया कि गांधीजी को अविक दिनतक निवाहना उनके प्रति सरासर अन्याय है और वर्षों में २० जून १९४० को लम्बी बहस के बाद गांधीजी को विदाई दे दी।

यह भी गांधीजी के जीवन की एक अनोखी घटना थी। जायद इससे अत्यन्त मिलती-जुलती घटना हमारे पुराणों में युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के वर्णन में मिलती है। गांधीजी से अन्य नेताओं के इस मतभेद की चर्चा करते हुए मैंने कहा “बापू! इन्हे मतभेद नहीं कहना चाहिए। एक शक्कर ज्यादा मीठी हो और दूसरी कम मीठी हो, तो क्या हम यह कहेंगे कि दोनों शक्करों में मतभेद है? बात तो यह है कि आप जहाँ शुद्ध धर्म की बात करते हैं, वहाँ अन्य नेता आपद्धर्म की बात करते

एक तो छप्पन

हैं। उनकी श्रद्धा इतनी बलवती नहीं है कि वे शुद्ध बर्म की वेदी पर कही जानेवाली व्यावहारिकता का बलिदान कर दें। और आप यह आशा भी कैसे कर सकते हैं कि आपकी जितनी सजीव श्रद्धा सभीके हृदय-पट पर अपना प्रभुत्व जमा ले ? जैसे युधिष्ठिर स्वर्ग में गये तब एक-एक करके उनके निकटस्थ गिरते चले गये, उसी तरह आपका हाल है। ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, त्यों-त्यों आपके साथी पिछड़ते जाते हैं, एकान के मारे गिरते जाते हैं।” पाम में बैठे हुए डा० सुशीला ने मजाक में कहा, “पर युधिष्ठिर के साथ कुत्ता तो रहा। बापू ! इस दृष्टांत से स्वर्ग में पहुँचनेवाला कुत्ता कौन-सा है ?” गांधीजी ने कहा “पहले यह बताओ कि वह युधिष्ठिर कौन-सा है ?” विषय के गाभीर्य ने सबके चेहरे पर जो एक तरह की मलमलें डाल दी थी वह इस मजाक में रफा हुई। सब खिलखिलाकर हँस पड़े।

पर इसका नतीजा क्या होगा ? अभी तो कालदेव इतिहास का निर्माण करते ही जाते हैं। अन्त तो यही है, होनहार भविष्य के गर्भ में है। पर एक बात स्पष्ट हो गई। कांग्रेस की अहिंसा-नीति, यह एक उपयोगितावाद था। गांधीजी की अहिंसा, यह उनका प्राण है। पर मैं कह सकता हूँ कि गांधीजी की अहिंसा कांग्रेस को

एक सौ नतावन

प्रभावान्वित न कर देगी ? और जो अहिंसा अबतक उप-
योगितावाद के ढकने से ढकी थी वह अब अपना शुद्ध
स्वरूप प्रकाशित न कर देगी ?

दो महीनेतक उपयोगितावाद के सेवन के पश्चात्
बम्बई में फिर गांधीजी के हाथ में बागडोर सौंपना क्या
यह सिद्ध तो नहीं कर रहा है कि इच्छा या अनिच्छा से
कांग्रेस शुद्ध गांधीवाद की तरफ खिंची जा रही है ?

मेरा खयाल है कि जब बाहर के आक्रमणों से भारत-
वर्ष की रक्षा का प्रश्न सचमुच उपस्थित होगा, तब हमारे
नेताओं का काफी हृदय-मथन होनेवाला है । हिंसात्मक
गल्लाखों से किसी बड़े राष्ट्र से मुकाबिला करने की हमारी
हौस—यदि सचमुच वह हौस हो तो—छोटे मुँह बड़ी बात
है । दूसरी ओर हमारे पास सत्याग्रह का एक शस्त्र है,
जो चाहे सान पर चढकर संपूर्ण न भी बन पाया हो, तो
भी एक ऐसा शस्त्र है जो अन्य किसी राष्ट्र के पास आज
नहीं है । इसलिए जिस दिन भारतवर्ष की रक्षा का प्रश्न
सचमुच ही उपस्थित होगा उस दिन सत्याग्रह का शस्त्र
गांधीजी जिंदा हों और खटाई में पड़ा रहे ऐसी सम्भावना
नहीं । गांधीजी का तो यह भी विश्वास है कि भारत की
जनता अहिंसात्मक संग्राम में पीछे नहीं रहेगी । श्रद्धा की
रुमी उनकी समझ में नेताओं में है, न कि जनता में ।

एक तो अट्टावन

जो हो, एक चीज साबित हुई। वह है गांधीजी की अहिंसा में सजीव श्रद्धा। दूसरी चीज जो अभी साबित होनी बाकी है वह है अहिंसा-शस्त्र का कौशल। उसके लिए, मालूम होता है, अवसर आ रहा है। और यदि गांधीजी के जीवन में वह अवसर आजाये और उस में उस शस्त्र की विजय साबित हो जाये, तो यह ससार के भविष्य के इतिहास-निर्माण के लिए एक अद्भुत घटना होगी।

पर बीच में भविष्य की कल्पना आ गई। जो हो, अंग्रेजों को परेशानी न हो, गांधीजी की इस मशा का देश ने अबतक एक स्वर से पालन किया। खासतौरों ने उपद्रव किया, पर कांग्रेस शान्त रही। यह बलवान की शान्ति थी। सहज ही आज कांग्रेस लाखों आदमी कटा सकती है, जेलों ठसाठस भर सकती है। पर गांधीजी ने शांति रखकर इस युद्ध के जमाने में जनता पर उनका कितना काबू है, यह साबित कर दिया। भारतवर्ष में इतनी शांति पहले कभी न थी जितनी आज है। हमने अपनी उदारता का प्रदर्शन कर दिया। इससे हमारी शक्ति साबित हुई है। हमारी नेकनीयती का प्रमाण मिला। शुद्ध सत्याग्रह का स्वरूप अंग्लैंड के सामने आ गया। अंग्रेजों से हमारी लड़ाई बढ़ नहीं हुई है। मुमकिन है, जग के आदम उनमें लड़ाई

एक ही उनसठ

हो । शायद बड़ी भयकर लड़ाई हो । यह भी मुमकिन है कि सरकार अपनी गलतियों से कांग्रेस को भगड़ने के लिये बाध्य करे । पर गांधीजी अंग्रेजों को परेशानी से बचाने के लिए कुछ भी उठा न रखेंगे । आज अंग्रेज ब्रुस्त हैं, इसलिए उनपर आज वार करना कायरता होगी, ऐसी भावना गांधीजी के चित्त में अवश्य रही है । गांधीजी को स्वराज्य से भी सत्याग्रह ज्यादा प्रिय है । और गांधीजी तो मानते ही यो हैं कि स्वराज्य की अधिक-से-अधिक सेवा इसीमें है कि हम शुद्ध सत्याग्रह का अनुसरण करें । इसलिए गांधीजी ने ब्रिटिश सल्तनत को परेशानी से काफी बचाया । इंग्लैंड इसके लिए कृतज्ञ नहीं है । न इंग्लैंड की मनोवृत्ति में कोई फर्क पडा है । पर गांधीजी आशा लिये बैठे हैं कि “चमत्कार का युग गया नहीं है । जबतक ईश्वर है तबतक चमत्कार भी है ।” इस श्रद्धा की भाव से गांधीजी का स्टीम-एन्जिन चला जा रहा है ।

वर्तमान युद्ध के समय में गांधीजी में एक बात और मैन देखी है । जबमे युद्ध चला है तबमे वह प्रायः सेवाग्राम में ही रहना पसन्द करते है । अति आवश्यकता के कारण एक बार उन्हें बगाल जाना पडा । रामगट-कांग्रेस में तो जाना ही था । वाटसराय के पास जब-जब जाना पडा

एक सी साठ

तब-तब गये । पर इन यात्राओं को छोड़कर और कहीं न तो जाना चाहते हैं, न बाहर जाने के किसी कार्यक्रम को पसंद करते हैं । पहले के जो वादे बाहर जाने के थे, वे भी उन्होंने वापस लौटा लिये । मुझसे भी एक वादा किया था, पर वह लौटा लिया गया । क्यों ? “मुझे जबतक लड़ाई चलती है, सेवाग्राम छोड़ना अच्छा नहीं लगता ।” कुछ सोचते रहते होंगे । पर कभी उन्हें विचार-मग्न नहीं पाया । फिर भी मालूम होता है कि वर्तमान युद्ध में उन्हें काफी विचार करना पडा है ।

पर गाधीजी कब सोचते है, यह प्रश्न सामने आता है । गाधीजी के पास इतना काम रहता है कि सचमुच यह कहा जासकता है कि उन्हें एक पल की भी फुर्मत नहीं रहती । मुझे अक्सर ऐसा लगा है कि काम के इतने बाहुल्य के कारण कभी-कभी महत्त्व के कार्य ध्यान से ओभल हो जाते है और कम महत्त्व के कार्यों को आवश्यकता से अतिक समय मिल जाता है । द्वितीय गोलमेज परिषद् में जब गये तब उनके मन्त्रिवर्ग में वही लोग थे, जो सदा से उनके साथ रहे है । नये-नये काम की बाढ-सी आ रही थी और इसपर भी काम शीघ्र निपट जाये ऐसी व्यवस्था नहीं थी । सिवाय नये आदमी मन्त्रिवर्ग में भर्ती करने के और क्या उपाय हो सकता था । पर यह गाधीजी को स्वीकार नहीं था । ज्यों-ज्यों काम बढ रहा था, त्यों-त्यों आपस में बॉट-चूटकर काम निपटाया जाता था । फलस्वरूप, गाधीजी की नींद की कमी होती जा रही थी ।

एक सौ बासठ

लन्दन में काम करते-करते रात के दोतक बज जाते थे। सुबह चार बजे प्रार्थना करके नौ बजेतक टहल-फिर-कर, खा-पीकर तैयार होकर फिर काम करना पड़ता था। चार घंटे से ज्यादा तो नींद कभी शायद ही मिलती थी। इसलिए गांधीजी ने कान्फ्रंस में ही, जब स्पीचें होती रहती थीं, कुर्सी पर बैठे-बैठे आँख मूँदकर नींद लेना शुरू कर दिया। मैंने टोका, कहा, “वह कुछ अच्छा नहीं लगता कि बड़े-बड़े लोग बैठे हों, व्याख्यान दिये जा रहे हों, और आप सोते हों।” उत्तर मिला, “फिर क्या जागरण करके यहाँ बीमार पड़ना है ? और तुमने कभी देखा भी है क्या कि एक भी मर्म के व्याख्यान को मैं न सुन पाया होऊँ ?” वह बात सही भी थी। यहाँ भी उनका विवेक का मापदण्ड कुछ अलग ही था। न मालूम कौन-सी वृत्ति काम करती थी ? जब कभी कोई महत्त्व का पुरख बोलने खड़ा होता था, तो गांधीजी चट आँखें खोल देते थे और समाप्ति पर फिर नींद ले लेते थे।

पर मुझे यह स्थिति अच्छी नहीं लगती थी। साथवालों में आपस में हमलोग यह चर्चा किया करते थे कि बापू को चाहिए कि अपने मन्त्रिपरिषद् में कुछ नये आदमियों का और समावेश करें। इसकी क्या जरूरत है

कि हर खत वापू या महादेवभाई ही हाथ से लिखें ? गाधीजी का दाहिना हाथ लिखते-लिखते थक जाता था, तो वह नॉयें हाथ से काम करने लगते थे । गोलमेज परिपद्-सम्बन्धी कामों की कभी-कभी वह अवहेलना भी करते थे । और इसके बदले गायों की प्रदर्शिनी में जाना, विलायती बकरियों देखना, साधारण-साधारण मनुष्यों से मिलना-जुलना, कई तरह की खचितियों को काफी से ज्यादा समय दे देना, ये सब चीजें बढ़ती जा रही थीं । अक्सर गरीबों के बच्चों से खेलते-खेलते कह दिया करते थे कि मेरी गोलमेज परिपद् “सेण्ट जेम्स” महल में नहीं, इन बच्चों के बीच है । ये सब चीजें पास में रहने-वालों को खटकती भी थीं । अब मैं देखता हूँ तो लगता है कि गाधीजी ने गोलमेज परिपद् की अवहेलना करके कुछ नहीं खोया । तो भी यह मैं अब भी महसूस करता हूँ कि उनके पास काम ज्यादा है, आदमी कम । क्यों नहीं स्टेनो-टाइपिस्ट रखते, जिससे कि लिखा-पढ़ी में सुभीता हो, समय की बचत हो ? कई मर्तवा मैंने इसका जिक्र किया, पर कोई फल नहीं हुआ ।

पर प्रश्न तो यह है, “इतने काम के बीच इन्हें सोचने की फुर्मत कब मिलती है ?”

कितने ऐसे किस्से हैं, जिनपर उनका उनके माथियों

से मतभेद हुआ। कितनी घटनाएँ मुझे याद हैं जिनके सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगा कि गांधीजी गलती कर रहे हैं। और पीछे साबित हुआ कि गलती उनकी नहीं, उनसे मतभेद रखनेवालों की थी। एक प्रतिष्ठित मित्र ने एक मर्तवा, जब एक घटना घट रही थी, कहा कि गांधीजी गलती कर रहे हैं। मैंने भी कहा, “हाँ, गलती हो रही है।” पर फिर उसी मित्र ने याद दिलाया कि हम लोगों ने कई मर्तवा जिस चीज को गांधीजी की भूल माना था वह पीछे से उनकी बुद्धिमत्ता साबित हुई। यह सच बात थी। यह आश्चर्य की बात है कि इतना काम और इतने जटिल प्रश्नों की समस्या और फिर इतना शुद्ध निर्णय। भूल मनुष्यमात्र करता है। गांधीजी भी भूल करते हैं। उन्होंने अपनी कितनी भूलों का बड़ा-बड़ाकर जिक्र किया है। मजा यह है कि जिन चीजों को उन्होंने भूल माना है उन्हें उनके साथियों ने भूल नहीं माना। बल्कि उनके साथियों ने यह माना कि गांधीजी ने अपनी भूल स्वीकार करने में भूल की है। भूल मनुष्यमात्र करता ही है। गांधीजी भी करते हैं, पर सत्रसे कम।

गांधीजी का निर्णय करने का तरीका क्या है ? वह कैसे सोचते हैं ? इतने कामों के बीच क्या सोचते हैं ? गांधीजी को मैंने कभी विचारमग्न नहीं देखा। प्रश्न सामने

आया कि भट गाधीजी ने फैसला दिया। बड़े-बड़े मौकों पर मैंने पाया है कि प्रश्न उपस्थित हो गया है, निर्णय करने का समय आ गया है, पर जबतक ऐन मौका नहीं आया, तबतक निर्णय नहीं करते।

गोलमेज परिषद् की प्रथम बैठक में उनका महत्त्व-पूर्ण व्याख्यान होनेवाला था, जो उनका प्रथम व्याख्यान था। उसे सुनने को, उनके विचार जानने को सब लोग अत्यन्त उत्सुक थे। गाधीजी ने न कोई विचार किया है, न तैयारी ही की है। और वहाँ पहुँचते ही धारा-प्रवाह मर्म की बातें उनकी जवान से निकलने लगती हैं। अत्यन्त महत्त्व के काम के लिए वाइसराय से मुलाकात करने जा रहे हैं। पाँच मिनट पहले मैं पूछता हूँ, “क्या कहेंगे?” उत्तर मिलता है, “मेरा मस्तिष्क शून्य है। पता नहीं, क्या कहूँगा।” और वहाँ पहुँचते ही कोई अनोखी बात कह बैठते हैं। यह एक अद्भुत चीज है।

अहमदाबाद में मिल-मजदूरों की हड़ताल हुई। न्याय मजदूरों के साथ था, यह गाधीजी ने माना था। मिल-मालिकों से भी प्रेम था। इसलिए एक हद तक तो प्रेम का भी भगड़ा था। मजदूर पहले तो जोश में रहे, पीछे टूट पड़ने लगे। भूख के मारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मजदूरों की सभा में गाधीजी व्याख्यान दे रहे थे।

एक तो छासठ

मजदूरों के चेहरे सुस्त थे, अचानक गांधीजी के मुँह से निकल पड़ा, “यदि हड़ताली डटे न रहे और जबतक फैसला न हो तबतक हड़तालियों ने हड़ताल को जारी न रखा, तो मैं भोजन न दूँगा।” यह अचानक निर्णय मुँह से निकल पड़ा। न पहले कोई विचार उपवास का था, न कोई मन में तर्क करके तत्त्व की तोलमोल की थी। राजकोट का उपवास भी इसी तरह अचानक ही किया गया था।

इन घटनाओं में एक बात मैंने स्पष्ट पाई । गाधीजी निर्णय करने के लिए न विचारमग्न होते हैं, न अपने निर्णय को विचार की कसौटी पर पहले कसते हैं । निर्णय पहले होता है, तर्क-दलील पीछे पैदा होती है । यही कारण है कि कभी-कभी उनकी दलीलें कच्ची मालूम देती हैं, तो कभी-कभी “घृताधार पात्र वा पात्राधार घृतम्” की तरह अत्यन्त सूक्ष्म या तोड़ी-मरोड़ी हुई, या खींचा-तानी की हुई मालूम होती है । कभी-कभी ऐसी दलीलों के मारे उनके विपक्षी परेशान हो जाते हैं । उन्हें चाणक्य बताते हैं । उन्हें उस मछली की उपमा दी जाती है, जो अपनी चिकनाहट के कारण हाथ की पकड़ में नहीं आती और फिसलकर कब्जे से निकल जाती है ।

पर दरअसल बात यह है कि गाधीजी की दलीलें सहज स्वभाव की होती हैं । पर चूंकि ये दलीलें निर्णय के बाद पैदा होती हैं, न कि निर्णय दलील और तर्क की भित्ति पर रजड़ा किया जाता है, इसलिए उनका सारे-

एक ही अडसठ

का-सारा निर्णय तब कभी अनावश्यक जटिलता लिये, कभी चाणक्यीय वाग्जाल से भरा हुआ, और कभी योथा प्रकट होता है। और हो भी क्या सकता है ? मूरज से पूछो कि आप सर्दी में दक्षिणायन और गर्मी में उत्तरायण क्यों हो जाते हैं, तो क्या कोई बयार्य उत्तर मिलेगा ? सर्दी-गर्मी उत्तरायण-दक्षिणायन के कारण होती है, न कि उत्तरायण-दक्षिणायन सर्दी-गर्मी के कारण। गांधीजी की दलील भी वैसी ही है। वह निर्णय के कारण बनती है, न कि निर्णय उनके कारण बनता है। अमल में तो जवर्दस्त दलील उनके निर्णय के बारे में यही हो सकती है कि वह गांधीजी का निर्णय है। वह में अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यह पाया है कि उनका निर्णय उनकी दलीलों से कहीं अधिक प्रावल्य रखता है कहीं अधिक अकाध्य होता है।

“चार तरह के मन्थानाग वाली न्यतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष्य में जो गपथ है, उसमें कथन है कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष का आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नाग किया है। वह पुरानी गपथ है जो वर्षों से चली आती है। पर उस नाग काफी मोलाहल हुआ। अंग्रेजी पत्रकारों ने और कुछ अंग्रेज नेताओं ने कहा कि “वह सरासर झूठ है। हम लोगों ने क्या आधा-

एक भी उनहत्तर

त्मिक या सामाजिक नाश किया ? यह कथन ही नितान्त असत्य है कि हमने भारतीय अध्यात्म या सस्कृति का खून किया है ।”

वात में कुछ वजन भी है, पर जैसा कि हर दफा होता है, गाधीजी जो कहते हैं उसका अर्थ जनता या सर्वसाधारण कुछ भी करे, गाधीजी को तो वही अर्थ मान्य है जो उनका अपना है । वह शब्दों के साहित्यिक अर्थ के कायल नहीं हैं । वह शब्दों में जो तत्त्व भरा रहता है, उसके पक्षपाती है । कांग्रेस ने कहा, आजादी चाहिए । गाधीजी ने कहा, “हाँ, आजादी चाहिए ।” पर जवाहरलालजी आजादी माँगते हैं तो वह कुछ अलग चीज चाहते है । गाधीजी की आजादी अलग चीज है । गाधीजी की आजादी पूर्ण स्वराज्य तो है ही, पर कई पहलुओं से महज राजनैतिक आजादी की अपेक्षा अधिक जटिल भी है । गाधीजी के पूर्ण स्वराज्य में अंग्रेजों के लिए तो त्याग है ही, पर भारतीयों के लिए भी सुख की नींद नहीं । आजादी कहते-कहते गाधीजी “पूर्ण स्वराज्य” शब्दों का प्रयोग करने लगते है । फिर “रामराज्य” कह जाते हैं ।

असल में तो वह रामराज्य ही चाहते है । कई मर्तवा उन्होंने पाश्चात्य चुनाव-प्रणाली की निन्दा की है और

एक सौ सत्तर

रामराज्य को श्रेष्ठ माना है । क्योंकि उनकी दृष्टि में रामराज्य के माने पूर्ण स्वराज्य हो सकता है, पर पूर्ण स्वराज्य के माने राक्षस राज्य भी हो सकता है । जर्मनी स्वतन्त्र है, ऐसा हम मान सकते हैं । पर गाधीजी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं चाहते । वह मुद्दे के पीछे चलते हैं, शब्द के गुलाम नहीं है । हलुवा कहो या और किसी नाम से पुकारो, वह एक पोपक और स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं । वह शब्द का ऐसा अर्थ करते हैं कि जिसके पीछे कुछ मुद्दा रहता है, तथ्य रहता है । इसलिए हर शब्द का अपना अर्थ करते हैं और उसीपर डटे रहते हैं । इसमें बहुत गलत-फहमियाँ हो जाती हैं, पर इससे उनको व्याकुलता नहीं होती ।

कान्स्ट्र्यूएण्ट असेम्बली शब्द के अर्थ का भी शायद यही हाल है । रामगढ़ के सविनय आजा-भग के प्रस्ताव के पीछे जो कैद लगी है उसको लोग भूल जाते हैं और आजा-भग को याद रखते हैं । पर गाधीजी आजा-भग को तार पर रखकर उसके पीछे जो कैद है, उसकी रटन करते हैं । लोग जब रसगुल्ला-रसगुल्ला चिल्लाते हैं तब उनकी मरणा होती है एक गोल, अंडाकार सफेद चीज़ में जो मीठी और रसभरी होती है । पर गाधीजी इतने से सन्तुष्ट नहीं । उन्हें गोलाकार, अण्डाकार या सफेदी की परवाह

एक सौ इकहत्तर

नहीं । चाहे चपटी क्यों न हो, चाहे पिलास लिये क्यों न हो, पर मीठी तो हो ही, ताजगी भी लिये हो । उसमे कोई जहर न मिला हो, स्वच्छ दूध की बनी हो, जो-जो उसमे वाञ्छनीय चीजें होती है वे सब हो, फिर शक्ल चाहे कुछ भी हो, रगरूप की कोई कैद नहीं । शक्कर सफेद न हो और लाल हो और उसके कारण रसगुल्ले का रंग यदि लाल है तो उन्हें ज्यादा पसन्द है । गाधीजी ने भी जब “चार सत्यानाश” वाली शपथ का समर्थन किया तो उनका अपना अर्थ कुछ और था, कांग्रेस का अर्थ कुछ और था ।

इसलिए जब कुछ प्रतिष्ठित अंग्रेजो ने इस शपथ की शिकायत की और इसे असत्य और हिंसात्मक बताया तो भट्ट गाधीजी ने अपनी व्याख्या दे डाली—“मेरे पिताजी सीधे-सादे आदमी थे । पाँव में नरम चमड़े का देशी जूता पहना करते थे । पर जब उन्हें गवर्नर के दरवार में जाना पड़ा, तो मौजा पहना और बूट पहने । कलकत्ते में मैंने देखा कि कुछ राजा-महाराजाओं को कर्जन के दरवार का न्याता आया तो उन्हें अजीब तैयारियाँ करनी पड़ीं । उनकी बनावट और स्याग इतने भद्दे थे कि मानो वह एक खानसामे के भेष में हों, ऐसे लगते थे । हजारों भारतीय ऐसे हैं जो अंग्रेजीदों तो बन गये, पर अपनी भाषा में

एक सी बहतर

कोरे है । क्या यह सस्कृति और अध्यात्म का हास नहीं है ? माना कि यह हमने अपनी स्वेच्छा से किया, पर स्वेच्छा से हमने आत्म-समर्पण किया, इससे अंग्रेजों का दोष कम हो जाता है ? जो वेडियों बन्दी को बन्धन में रखती हैं, उन्हींकी यदि बन्दी पूजा करने लग जाये और अपने बन्धनकर्त्ता का अनुवर्तन करे तो फिर हास का कौन-सा अव्याय बाकी रहा ?”

यह कुछ प्रनोसी-सी दलील है, पर इस दलील ने “शपथ” से पैदा हुई कटुता को अवश्य ही कम कर दिया । साथ ही, गांधीजी के विपक्षियों को यह लगे बिना नहीं रहा कि बाल की खाल खींची जाती है । पर दर-असल तो बात यह है कि उस शपथ के माने गांधीजी के अपने और रहे हैं, लोगों के कुछ और । गांधीजी के निर्णय तर्क के आधार पर नहीं होते । तर्क पीछे आता है, निर्णय पहले बनता है । दरअसल शुद्ध बुद्धिवालों को निर्णय में ज्यादा सोच-विचार नहीं करना पड़ता । एक अच्छी मन्दूक से निकली हुई गोली महमा तेजी के साथ निशाने पर जाके लगती है । उमी तरह स्थितप्रज्ञ का निर्णय भी यत्र की तरह झटपट बनता है क्योंकि “सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्त्वम् ।”

पर यह उनकी विभूति—और उन्ने विभूति के प्रभाव

और क्या कह सकते हैं ?—मित्र और विपत्ती दोनों को उलझन में डाल देती है। यह चीज गांधीजी को रहस्यमय बना देती है। इसके कारण कितने ही लोग उनके कथन को अक्षरशः न स्वीकार करके उसे शका की दृष्टि से देखते हैं।

गांधी-अरविण पैकट के समय की बात है। करीब-करीब सारी चीजें तय होगईं। एक-एक शब्द वाइसराय और गांधीजी ने आपस में मिलकर पढ लिया। पढते-पढते वाइसराय के घर पर दोपहर होगई। वाइसराय ने कहा . “मैं भोजन कर लेता हूँ, आप भी थक गये है। मेरे कमरे में आप सो जाइए, फिर उठकर आगे काम करेंगे।” गांधीजी सो गये। अढाई बजे सोकर उठे, हाथ-मुहँ धोया। गांधीजी का कथन है, “मुझे कुछ वेचैनी-सी मालूम दी। मैंने सोचा, यह क्या है ? वेचैनी क्यों है ? यह शारीरिक वेचैनी नहीं थी, यह मानसिक वेचैनी थी। मुझे लगा कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। इकरारनामे का मसविदा मैंने लिया और उसे पढना शुरू किया। पढते-पढते जमीन-सम्बन्धी धारा पर पहुँचते ही मेरा माया टनका। वस, मैंने जान लिया, यही भूल हो रही थी। वाइसराय से मैंने कहा, यह मसविदा ठीक नहीं है। मैं इसे नहीं मान सकता। यह सही है, कि मैंने इसकी

एक सी चोहत्तर

स्वीकारोक्ति देटी थी, पर मने देखा कि मै पाप कर रहा था । इसलिए मैं इस स्वीकारोक्ति से वापस हटना हूँ ।”

वाड्सराय बेचारा हक्का-बक्का रह गया । यह भी कोई तरीका है ? दलीलें तो गांधीजी के पास हजार थीं और दलीलें शिकस्त देनेवाली थीं । पर दलीलों ने नाट्य-मंच पर पीछे प्रवेश किया, पहले आया निर्णय । अतः मैं वाड्सराय दलीलों के कायल हुए । पर क्या वाड्सराय ने नहीं माना होगा कि यह आदमी टेढा है ?

६ अप्रैल को सत्याग्रह-दिवस मनाया जाता है । इसके निर्णय का इतिहास भी ऐसा ही है । कुछ दिन पहलेतक गांधीजी ने इसकी कोई कल्पना ही नहीं की थी । एक रात गांधीजी सो जाते हैं । रात को स्वप्न आता है कि तारीख ६ को सत्याग्रह-दिवस मनायो । महकर्मों कहते हैं कि अग्निसमय नहीं रह गया, सफलता मुश्किल है । पर इसकी कोई परवाह नहीं । मुनादी फिरादी जाती है और छः तारीख का दिन गान के साथ सफल होता है । क्या यह कोई दलील पर बना हुआ निर्णय था ? क्या सहकारियों ने नहीं सोचा होगा कि यह कैसा बेजोड़ आदमी है, जो हठात् निर्णय करता है और दलीलें पीछे से पैदा करता है ? पर मेरा खयाल है कि जो अन्नरात्मा से प्रेरित होकर निर्णय करते हैं, उनके निर्णय तर्कों के

एक सौ पचहत्तर

आधार पर नहीं होते । पर यह अन्तरात्मा सभीको नसीब नहीं होती । यह क्या वस्तु है, इनके समझने का प्रयास भी कठिन है । प्रस्तुत विषय तो इतना ही है कि गांधीजी के निर्णय कैसे हुआ करते हैं ।

जबसे मुझे गावीजी का प्रथम दर्शन हुआ, तबसे मेरा उनका अविच्छिन्न सम्बन्ध जारी है। पहले कुछ माल में समालोचक हो उनके पास जाता था, उनके छिद्र ढूँढने की कोशिश करता था, क्योंकि नोजवानों के आराध्य लोकमान्य की ख्याति को इनकी ख्याति टक्कर लगाने लग गई थी, जो मुझे रुचिकर नहीं मालूम देती थी। पर ज्यों-ज्यों छिद्र ढूँढने के लिए मैं गहरा उतरा, त्यों-त्यों मुझे निराशा होना पड़ा और कुछ अरसे मैं समालोचक की वृत्ति आदर में परिणत हो गई, और फिर आदर ने भक्ति का रूप लेलिया। बात यह है कि गावीजी का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई विरला ही उनके ससर्ग से बिना प्रभावान्वित हुए छूटता है।

हम जब स्वप्नावस्था में होते हैं तब न करनेयोग्य कार्य हम कर लेते हैं, जो जाग्रत अवस्था में हम कभी न करें। पर शारीरिक जाग्रतावस्था में भी मानसिक सुषुप्ति रहती है और ध्यानपूर्वक खुर्दवीन से अव्ययन

करनेवाले मनुष्य को, रूहानी बेहोशी में किये गये कामों से, उस तिल के तेल का माप मिल जाता है। गांधीजी से मेरा पच्चीस साल का ससर्ग रहा है। मैंने अत्यन्त निकट से, सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा, उनका अध्ययन किया है। समालोचक होकर छिद्रान्वेषण किया है। पर मैंने उन्हें कभी सोते नहीं पाया। मालूम होता है, मानो वह हर पल जाग्रत रहते हैं। इसलिए जब वह मुझे कहते हैं कि, “हर पल मेरा जीवन ईश्वर-सेवा में व्यतीत होता है,” तो मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं पाता। ऐसा कथन अभिमान की निशानी नहीं है, क्योंकि गांधीजी द्रष्टा होकर ही अपना विवेचन देते हैं। यदि द्रष्टा होकर कोई अपने-आपको देखे, तो फिर वह चाहे अपना विवरण दे या पराया, उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। और वह अपना विवरण भी उतना ही बेसकोच दे सकता है जितना कि पराया।

बरबडा में जब वह उपवास के बाद उपवास करने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वह यह सोचते होंगे, “मैं बूढ़ा होकर अब जानेवाला तो हूँ ही, इसलिए क्यों न लड़ते-लड़ते जाऊँ ?” मैंने उन्हें एक तरह का उत्साह देते हुए कहा, “मालूम होता है कि आपने जीकर देग का भला किया, पर अब चूँकि मरना है,

एक सौ अठत्तर

इसलिए मृत्यु से भी आप देश को लाभ देना चाहते हैं।” उन्होंने कहा, “ऐसी कल्पनामात्र भी अभिमान है, क्योंकि करना, कराना, न कराना यह ईश्वर का क्षेत्र है। यदि हम तरह का मन में हम कोई नकशा खींच, तो यह ईश्वर के अस्तित्व की अवहेलना होगी और इसने हमारा अभिमान साधित होगा।” मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, अहंकार का उन्होंने कहीं तक नाश किया है इसका मुझे पता लगा।

“काछ वृद्धा कर वरसणा मन चगा मुखमिदूठ,
रणसूरा जगवल्लभा सो मैं विरला दिदूठ।”

अहंकार से गांधीजी इतनी दूर थे यह उनके अन्तर में झोंकने से ही पता लग सकता है।

हरिजन-सेवक-सत्र के हर पदाधिकारी को एक तरह की शपथ लेनी पड़ती है। उसका आशय है कि मैं अपने जीवन में ऊँच-नीच का भेद नहीं मानूँगा। इस शपथ के लेने का समय आया तो मैंने इन्कार किया। मैंने कहा, कि केवल जन्म के अन्धमात् न कोई ऊँचा है न नीचा, यह तो मे सहज ही मान सकता हूँ। पर यदि एक आदमी चोर है दुष्ट है, पापी है, उसके पाप-कर्म प्रत्यक्ष हैं और मुझसे वे छेद नहीं हैं तो मैं अभिमान न भी करूँ तो भी, इस ज्ञान से कि मे अमुक से भला

एक ही उतासी

हूँ, कैसे वचित रह सकता हूँ ? इसके माने यह है कि मैं द्रष्टा होकर भी यह मान सकता हूँ कि मैं अमुक से ऊँचा हूँ, अमुक से नीचा ।”

इस बहस ने उन्हें कायल नहीं किया, तो मैंने मुद्दे की दलील पेश की, “आप अपने ही को लीजिए । आप ईश्वर के अधिक निकट है वनिस्वत मेरे, अब क्या आप इस बात को—आपमें अभिमान न होते हुए भी—भूल जायेंगे कि आप ऊँचे है और मैं नीचा हूँ ?”

“पर यह बात ही सही नहीं है, क्योंकि जबतक हम अपनी मजिल तय न करलें, कौन कह सकता है कि ईश्वर के निकट कौन है, और दूर कौन ? जो दूर दिखाई देता है वह निकट भी हो सकता है और जो निकट दिखाई देता है वह दूर भी हो सकता है । मैं हिन्दुस्तान से एक बार अफ्रीका जा रहा था । जहाज पर ठीक समय पर नहीं पहुँच सका । लगर उठ चुका था, इसलिए एक नाव में बैठकर मुझे जहाज के पास पहुँचाया गया । पर तूफान इतना था कि कई बार मेरी किग्ती जहाज के बाजू में टकरा-टकराकर दूर हट गई । अन्त में जैसे-तैसे मुझे जहाज पर चढाया गया । पर यह भी संभव था कि जैसे किग्ती कई बार जहाज से टकराकर दूर निकल गई, वैसे दूर ही रह जाती और मैं जहाज पर सवार ही

न हो पाता । क्या केवल किशती के छूजाने से हम यह कह सकते हैं कि हम जहाज के निकट पहुँच गये ? निकट पहुँचकर भी तो दूर चले जा सकते हैं । तो मैं फिर कैसे मानलूँ कि मैं ईश्वर के निकटतर हूँ और अमुक मनुष्य दूर है ? ऐसी कल्पना ही भ्रममूलक है और अहकार से भरी है ।”

मुझे यह दलील मोहक लगी । अधिक मोहक तो यह चीज लगी कि गांधीजी किन हद तक जाग्रत हैं । राजा का स्वॉग भरनेवाला कलाकार अपने स्वॉग में मोहित नहीं होता । गांधीजी अपने यदृप्पन में वेभान नहीं है अहकार मोह का एक दूसरा नाम है । जाग्रत मनुष्य जो मोह कहाँ, अहकार कहाँ ? यही कारण है कि गांधीजी कभी-कभी निम्सकोच आत्म-श्लाघा भी कर बैठते हैं । “मे प्रचार-शान्त्र का पडित हूँ, अखयाग्नवीसी मे निपुण हूँ, मे पक्का अनिया हूँ, मे शरीर-शान्त्र का विद्यार्थी हूँ, मेरा दावा है कि मे अदतीम वर्ष से गीता के अनुगार आचरणा करता आ रहा हूँ (यह सन् १९२६ ई० में इन्होंने लिखा था), मे मृत्य का पुजारी हूँ, मेरा जीवन अहर्निश ईश्वर-सेवा में बीतता है । इन शब्दावली में और किमीके मुँ से अहकार की गन्ध आ सकती है, पर गांधीजी के मुँ से नहीं । क्योंकि गांधीजी तटस्थ

एक नो इवधानो

होकर अपनी विवेचना करते हैं ।

एक दत्त सर्जन छुरी लेकर चीरफाड़ करके मनुष्य-शरीर के भीतर छिपे हुए अवयवों को दर्शको के सामने ला देता है । सड़े हुए हिस्से को निर्दयता से काट डालता है, टॉके लगाता है और इस वेरहमी से छुरी चलाता नजर आता है, मानो वह जिन्दा शरीर पर नहीं बल्कि एक लकड़ी पर कौशल दिखला रहा हो । पर वही सर्जन यह व्यवहार अपने ऊपर नहीं कर सकता । ऐसा सर्जन कहों, जो हँसते-हँसते काम पड़ने पर अपनी सड़ी टॉंग को काट फेंकें ? पर गाधीजी वैसे सर्जन हैं । उनके स्नायु ममता-रहित हो गये हैं, इसलिए गाधीजी जिस वेरहमी से परपुरुष को नश्वर मार सकते हैं उससे कहीं अधिक निर्दयता से अपने ऊपर नश्वर चला सकते हैं । “मैंने हिमालय के समान बड़ी भूल की है, मैंने अमुक पाप किया,” ऐसी स्वीकारोक्तियों से उनकी आत्मकथा भरी है । क्या आश्चर्य है यदि वह कहें कि “बुद्ध की अहिंसा मेरी अहिंसा से न्यून थी । टॉल्स्टॉय कभी अपने विचारों का पूर्ण अनुसरण नहीं कर सका, क्योंकि उसके विचार उसके आचारों से कई मील आगे दौड़ते थे । मैं अपने विचारों ने अपने आचार को एक कदम आगे रखने का प्रयत्न करता आ रहा हूँ ।” ये उक्तियाँ अभिमान की

एक सौ ब्यासी

नहीं, एक तटस्थ जराह की हैं, जो उसी दक्षता और कुशलता से अपने-आपको चीरफाड़ सकता है, जिस दक्षता से वह आरों की चीरफाड़ करता है ।

गूढमतया अव्ययन करनेवाले को सहज ही पता लग जाता है कि अभिमान गावीजी को छूतक नहीं गया । मेरा खयाल है कि मनुष्यों की परस छोटे कामों से होती है, नकि बड़े कामों से । बड़े-से-बड़ा त्याग करनेवाला रोजमर्रा के छोटे कामों मे बेहोशी भी कर बैठता है और कभी-कभी अत्यन्त कमीना काम भी कर लेता है । कारण यह है कि बड़े कामों मे लोग जाग्रत रहकर काम के साथ-साथ आत्मा को जोड़ देते हैं, इसलिए वह कार्य दिप उठता है । पर छोटे कामों में बेहोशी में मनुष्य बेध्यान बन जाता है । ऐसे मनुष्य के सम्बन्ध मे यह मावित हो जाता है कि उसका त्याग उसका एक स्वाभाविक धर्म नहीं बन गया है । पर गावीजी के बारे मे यह कहा जा सकता है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी काम वह जाग्रत होकर करते हैं । इसके माने यह हैं कि त्याग, मत्य, अहिंसा इत्यादि उनका स्वाभाविक धर्म बन गया है । उन्हें धर्म-पालन करने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता और यदि प्रयत्न करना पडता है तो अत्यन्त गूढम । वह आठ पहर जाग्रत रहते हैं । यह कोई माजग्या ग्थिति नहीं है ।

एक नो तिरात्ती

गाधीजी को एक महात्मा के रूप में हमने देखा, एक नेता के रूप में भी देखा, पर गाधीजी का असल रूप तो “वापू” के रूप में देखने को मिलता है। सेवाग्राम में बड़े-बड़े मसले आते हैं। वाइसराय से खतोकितावत होती है, वर्किंग कमेटी की बैठकें होती हैं, बड़े-बड़े नेता आते हैं। मन्त्रि-मंडल के लोग कांग्रेस-राज के जमाने में सलाह-सूत के लिए आते ही रहते थे। पर आश्रमवासी न बड़े लोगों की चिठियों से चौंधियाते हैं, न बड़े नेताओं को देखकर मोहित होते हैं। न राजनीति में उन्हें कोई बड़ी भारी दिलचस्पी है। उन्हें तो वापू ने क्या खाया, क्या पिया, कब उठ गये, कब सो गये, फलों से क्या कहा, फलों ने क्या सुना, इन बातों में ज्यादा रस है। और गाधीजी भी आश्रम की छोटी-छोटी चीजों में आवश्यकता से अधिक रस लेते हैं।

आश्रम भी क्या है, एक अजीब मण्डली है। उस शिवजी की वरात करना चाहिए। कई तरह के तो गेगी हैं, जिनकी चिकित्सा में गाधीजी खास दिलचस्पी लेते

एक सौ चौरासी

हैं। पर सब-के-सब बापू के पीछे पागल हैं। मैंने एक रोज देखा कि एक रोगी के लिए जाटे में ओढने के लिए रजाई बनाई जा रही है। बा की फटी-पुरानी साड़ियाँ लाई गईं। गांधीजी ने अपने हाथ से उन्हें नापा। कितना कपड़ा लगेगा, उसकी बात की गई। रजाई के भीतर रुई की जगह पुगने अगवारा को एक के ऊपर दूसरी परत रखकर कपड़े के साथ सीया जा रहा था। गांधीजी ने सारा काम दिलचस्वी से कराया। मुझे बताया कि अखबार रुई से ज्यादा गरम है। मुझे लगा कि ऐसे-ऐसे कामों में क्या उनका बहुमूल्य समय लगाना चाहिए? मैंने मजाक में कहा, “जान पड़ता है, आपको आश्रम के इन कामों में देण के बड़े-से-बड़े मसलों ने भी ज्यादा दिलचस्वी है।” “ज्यादा तो नहीं, पर उतनी ही है, ऐसा कहो।”

मे अवाकू रह गया। क्योंकि गांधीजी ने गम्भीरता से उत्तर दिया था, मजाक में नहीं। पर बात सच्ची है। शायद उनका यह भी कारण तो कि गांधीजी रात-दिन यदि गभीर मसलों पर ही विचार किया करें, तो फिर उन्हें तनिक भी विश्राम न मिले। शायद आश्रम उनके लिए परोपकार और खेल की एक सम्मिलित स्थापना-शाला है। आश्रम गांधीजी का कुटुम्ब है। मरान्-ने-मरान् व्यक्ति को भी कौटुम्बिक सुख की चाह होती है।

एक नौ पचासी

गांधीजी का वैसे तो सारा विश्व कुटुम्ब है, पर आश्रम के कुटुम्ब की उनपर विशेष जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को वह निर्मोही होकर निवाहते है।

आश्रम मे उन्होंने इतने भिन्न-भिन्न स्वभाव और शक्ति के आदमी रक्खे हैं कि बाहरी प्रेक्षक को अचम्भा होता है कि यह शिवजी की बरात क्यों रक्खी है। परन्तु एक-एक का परिचय करने से पता चलता है कि हरक का अपना स्थान है। बल्कि गांधीजी उनमें से कई को कुछ बातों मे तो अपने से भी अधिक मानते हैं। किसी आध्यात्मिक प्रश्न का निराकरण करना होता है तो वे अक्सर अपने साथियों—विनोबा, किशोरलाल भाई, काका साहब आदि—को बुला लेते है। ऐसे साथियों को रख-कर ही मानो उन्होंने अपने मन में उच्च-नीच-भावना नष्ट कर डाली है। जो काम हलके-से-हलका माना जाता है उसे करनेवाला और जो काम ऊँचे-से-ऊँचा माना जाता है, उसे करनेवाला—दोनों आश्रम में भोजन करते समय साथ-साथ बैठते हैं। जैसे पक्ति में उच्च-नीच का भेद नहीं है, वैसे ही गांधीजी के मन में और उनके आश्रमवासियों के मन में भी यह भेद नहीं है।

कुछ दिन पहले की बात है। वादसराय से मिलने के लिए गांधीजी दिल्ली आये हुए थे। पर वापस सेवा-

एक सी छियासी

ग्राम पहुँचने की तालावेली लगी हुई थी। वापस पहुँचने के लिए एक प्रकार का अवैर्य-सा टपकता था। अतः मैं गांधीजी ने जब देखा कि गीघ्र वापस नहीं जा सकते, तो महादेवभाई को झटपट सेवाग्राम लौटने का आदेश दिया। काम तो काफी पडा ही था और मैं नहीं समझ सका कि इतने बड़े मामले के सामने होते हुए कैसे तो वापस जाने का उतावलापन वह खुद कर सकते थे और कैसे महादेवभाई को यथायक वापस लौटा सकते थे। मैंने कहा, “इतने बड़े काम के होते हुए वापस लौटने का यह उतावलापन मुझे कुछ कम जँचता है।” “पर मेरी जिम्मेदारी का तो खयाल करो।” गांधीजी ने कहा। “मैं तो सेवाग्राम में एक मजमा लेकर बैठा हूँ। रोगी तो है ही, पर पागलपन भी वहाँ है। कभी-कभी तो मन में आता है कि उस अन्न में सबको छोड़ दूँ और केवल महादेव को ही पास रखूँ। वा चाहे तो वह भी रहे। पर सबको छोड़ दूँ, तब तो जिम्मेदारी से हट जाता हूँ। पर जबतक इस मजमे की जिम्मेदारी लेकर बैठा हूँ, तबतक तो मुझे उस जिम्मेदारी को निराहना ही चाहिए। यही कारण है कि मेरा शरीर तो दिल्ली में है, पर मेरा मन सेवाग्राम में पटा है।”

सेवाग्राम के कुटुम्ब के प्रति उनके नया भाव है इस-पर ऊपरी उद्गार कुछ प्रकाश डालते हैं।

गाधीजी के यहाँ एक-एक पैसे का हिसाब रक्खा जाता है। गाधीजी की आदत बचपन से ही रुपये-पैसे का हिसाब सावधानी से रखने की रही है। गाधीजी व्यवस्था-प्रिय है। यह भी बचपन से ही उनकी आदत है। इसलिए उनकी झोंपड़ी साफ-सुथरी, लीपी-पोती और व्यवस्थित है। कमर में कछनी है, वह भी व्यवस्थित। एक वाइसराय ने कहा कि गाधीजी बुड़े तो है, पर उनकी चमड़ी की चिकनाहट युवकों की-सी है। यह सही बात है कि वह स्वास्थ्य का पूरा जतन रखते हैं। हर चीज में किफायतशारी की जाती है। कोई पिन चिट्ठियों में लगी आई, तो उसको निकालकर रख लिया जाता है।

लन्दन जाते समय जहाज पर एक गौरा था, जो गाधीजी को नित्य कुछ-न-कुछ गालियों सुना जाया करता था। एक रोज उसने गाधीजी पर कुछ व्यगर्ण कविता लिखी और गाधीजी के पास उसके पत्रे लेकर आया। गाधीजी को उसने पत्रे दिये, तो उन्होंने चुपचाप

एक सौ अठासी

पत्तों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उन पत्तों में लगी हुई पिन को सावधानी से निकालकर अपनी डिबिया में रख लिया। उसने कहा, “गाबी, पढो तो सही, इसमें कुछ तो मार है।” “हाँ, जो सार या वह तो मैंने डिबिया में रख लिया है।” इसपर सब हँसे और वह अंग्रेज खिसियाना पड गया।

मैंने देखा है कि छोटी-सी काम की चीज को भी गाबीजी कभी नहीं गँवाते। एक-एक, दो-दो गज के मुतली के टुकड़ों को सुरक्षित रखते हैं, जो महीनों बाद काम पडने पर सावधानी से निकाल लेते हैं। उनके चरखे के नीचे रखने का काले रूपड़े का एक छोटा-सा टुकड़ा आज कोई बारह साल से देखता हूँ, चला जा रहा है। लोगों की चिड़ियों में से साफ कागज निकालकर उसके लिफाफे बनवाकर उन्हें काम में लाते हैं। यह दृश्य एक हद दर्जे के मस्तीचूस से भी बाजी मारता है।

लन्दन की बात है। गाबीजी का नियत स्थान या शहर से दूर पूर्वी हिस्से में। दफ्तर या पश्चिमी हिस्से में, जो नियत स्थान से सात-आठ मील की दूरी पर था। दिन का भोजन दफ्तर में ही—जो एक मित्र के मकान में था—होता था। नियत स्थान ने भोजन का सामान रोजमर्रा दफ्तर में ले आया जाता था।

भोजन के साथ-साथ कभी-कभी गाधीजी शहद भी लेते हैं। हमलोग इंग्लैण्ड जाते समय जब मिश्रसे गुजरे तो वहाँ के मिश्री लोगों ने शहद का एक मटका भरकर गाधीजी के साथ दे दिया था। उसीमें से कुछ शहद रोजमर्रा भोजन के लिए बरत लिया जाता था। उस रोज भूल से मीराबेन घर से शहद लाना भूल गईं और जब समय पर खयाल आया कि शहद नहीं है तो चार आने की एक बोटल मँगाकर भोजन के साथ रखदी। गाधीजी भोजन करने बैठे तो नजर शीशी पर गई। पूछा—यह शीशी कैसे? उत्तर में बताया गया कि क्यों शहद खरीदना पडा। वस फिर तो तूफान उमड पडा। “यह पैसे की बर्बादी क्यों? क्या लोगो के दिये हुए पैसे का हम इस तरह दुस्रुपयोग करते हैं? एक दिन शहद के बिना क्या मैं भूखा रह जाता?”

भारतवर्ष के बड़े-बड़े पेन्चीदा मसले सामने पडे थे। उनको किनारे रखकर शहद पर काफी ढेरतक व्याख्यान और डॉट-डपट होती रही जो पास बैठे हुए लोगों को अखरी भी, पर गाधीजी के लिए छोटे मसले उतने ही पेन्चीदा हैं जितने कि बड़े मसले। इसमें कभी-कभी लोगों को लघु-गुरु के विवेक का अभाव प्रतीत होता है। पास में रहनेवालों को भुँभलाहट होती है, पर गाधीजी पर

एक सी नव्वे

इसका कोई असर नहीं होता ।

कपड़ों की खूब अहतियात रखते हैं । जरा फटा कि उसपर कारी लगती है । हर चीज को काफी स्वच्छ रखते हैं, पर कजूमी यहाँ तक चलती है कि पानी की भी फिजूल-खर्ची नहीं करते । हाथ-मुँह धोने के लिए बहुत ही थोड़ा-सा पानी लेते हैं । पीने के लिए उबला हुआ पानी एक गीगी में रखते हैं, जो जरूरत पड़ने पर पीने और हाथ-मुँह धोने के काम आता है ।

गाधीजी की दिनचर्या भी व्यवस्थित है। एक-एक मिनट का उपयोग होता है। बाहर से काफी भारी डाक आती है, उसका उत्तर भेजना पड़ता है। अक्सर वह खाते-खाते भी पढ़ते हैं। कभी-कभी खाते-खाते किसी-को वार्तालाप के लिए भी समय दे देते हैं। घूमने का समय भी बेकार नहीं गुजरता।

गाधीजी प्रायः चार बजे उठते हैं। उठते ही हाथ-मुँह धोकर प्रार्थना होती है। इसके बाद शान्चादि से निवृत्त हो सात बजे सुबह कुछ हल्का-सा नाश्ता होता है। उसके बाद टहलना होता है। फिर काम में लग जाते हैं। नौ बजे के करीब तेल-मालिश कराते हैं, पर काम मालिश के समय भी चलता रहता है। फिर स्नान से निवृत्त होकर ग्यारह बजे भोजन करते हैं। एक बजे तक काम करके कुछ झपकी लेते हैं। दो बजे के करीब उठते हैं, उसके बाद फिर शान्च जाते हैं। उस समय भी कुछ काम तो जारी ही रहता है। शान्च के बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी

एक सौ दानवे

बॉबकर कुछ विश्राम करते हैं, पर काम लेंटे-लेंटे भी जारी रहता है। चार बजे के करीब चर्खा कातते हैं। फिर लिखने-पढ़ने का काम होता है। पाच के करीब शाम का ब्याल् होता है, उसके बाद टङ्कना, सात बजे प्रार्थना, फिर कुछ काम और नौ-साढे नौ बजे के करीब सो जाते हैं।

आवश्यकता होने पर रात को दो बजे भी उठ जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। गाधीजी का भोजन सीधा-सादा है, पर साल दो साल से हेर-फेर होते रहते हैं। एक जमाना था, जब केवल मूँगफली और गुड़ खाकर ही रहते थे। बहुत वर्षों पहले मैंने देखा था, वह दूध का बिल्कुल परित्याग करके उसके बदले में एक सौ से ज्यादा चादाम रोज खाते थे। कई वर्षों पहले एक मर्तवा यह भी देखा था कि रोटी का परित्याग करके करीब एक सौ खजूर खाते थे। इसी तरह एक जमाने में रोटी ज्यादा खाते, फल कम खाते थे। इस तरह के प्रयोग और रद्दोबदल भोजन में चलते ही रहते हैं। कुछ ही वर्षों पहले नीम की कच्ची पत्तियाँ और उमली का बड़े जोरों से प्रयोग जारी था. पर बाद में उसे छोड़ दिया। रुबे अन्न का प्रयोग भी बीमार होकर छोड़ा।

ये सब प्रयोग हर मनुष्य के लिए अवाच्छनीय हैं। याज्ञकन गाधीजी का भोजन गूँड़ रखनी मिकी, पतली रुखी रोटी, उमला हुआ नाग, गुड, लहसुन और फल है। हर

एक सौ तिरानवे

चीज में थोड़ा-सा सोडा डाल लेते हैं। उनकी राय है कि सोडा स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज है। एक दिन में पाँच से अधिक चीजें गांधीजी नहीं खाते। इस गणना में नमक भी शुमार में आ जाता है।

गांधीजी अपनी जवानी में पचास-पचास मील भी रोजाना चल चुके हैं, पर बुढ़ापे में भी इन्होंने टहलने का व्यायाम कभी नहीं छोड़ा। कभी-कभी कहते हैं कि खाना एक रोज न मिले तो न सही, नींद भी कम मिले तो चिंता नहीं, पर टहलना न मिले तो बीमारी आई समझो। पेट पर रोजमर्रा एक घंटे तक मिट्टी की पट्टी बाँधे रखते हैं, इसका भी काफी माहात्म्य बतलाते हैं।

नींद का यह हाल है कि जब चाहें तब सो सकते हैं। गांधी-अर्विन-समझौते के समय की मुझे याद है। मेरे यहाँ कुछ अँग्रेजों ने गांधीजी से मिलना निश्चय किया था। निर्धारित समय से पन्द्रह मिनट पहले गांधीजी आये। कहने लगे, “मुझे आज नींद की जरूरत है, कुछ सो लूँ।” मैंने कहा, “सोने का समय कहाँ है ? पन्द्रह मिनट तो है।” उन्होंने कहा, “पन्द्रह मिनट तो काफी हैं।” चट खटिया पर लेट गये और एक मिनट के भीतर ही गह निद्रा में सो गये। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि पन्द्रह मिनट के बाद अपने-आप ही उठ गये। मैंने एक

एक तो चौरानवे

वार कहा, “आपमें सोने की शक्ति अद्भुत है ।” गाधीजी ने कहा, “जिस रोज मेरा नींद पर से काबू गया तो समझो कि मेरा शरीरपात होगा ।”

गाधीजी को बीमारों की सेवा का बड़ा शौक है । यह शौक बचपन से ही है । अफ्रीका में सेवा के लिए न उन्होंने केवल नर्स का काम किया, बल्कि एक छोटा-मोटा अस्पताल भी चलाया, यद्यपि अपनी ‘हिन्द-स्वराज’ नामक पोथी में एक दृष्टि से उन्होंने अस्पतालों की निन्दा भी की है । वह बीमारों की सेवा का शौक आज भी उनमें ज्यो-का-त्यो मौजूद है । वह केवल सेवा-तक ही रस लेते हैं ऐसा नहीं है । चिकित्सा में भी रस लेते हैं और सीधी-सादी चीजों के प्रयोग से क्या लाभ हो सकता है, इसकी खोज बराबर जारी ही रहती है ।

काँई अत्यन्त बीमार पड़ा हो और मृत्यु-गय्या पर हो, और गाधीजी से मिलना चाहता हो तो असुविधा और कष्ट बढ़ाईत करके भी रोगी से मिलने जाते हैं । मैंने कई मर्तबा उन्हें ऐसा करते देखा है और एक-दो घटनाएँ तो ऐसी भी देखी हैं कि उनके जाने से रोगियों को बेहद राहत मिली ।

बहुत वर्षों की पुरानी बात है । दिल्ली की घटना है । एक मरणांतन्न रोगिणी थी । रोग से सग्राम करने-

एक सौ पचानवे

करते बेचारी के शरीर का हास हो चुका था। केवल सॉस बाकी थी। उसने जीवन से विदाई ले ली थी। और लम्बी यात्रा करना है ऐसा मानकर रामराम करते अपने अन्तिम दिन काट रही थी। पर गांधीजी से अभी अन्तिम आशीर्वाद लेना बाकी था। रोगिणी ने कहा, 'क्या गांधीजी के दर्शन भी हो सकते हैं ? जाते-जाते अन्त में उनसे तो मिल लूँ।' गांधीजी तो दिल्ली के पास भी नहीं थे, इसलिए उनका दर्शन असम्भव था। पर मरते प्राणी की आशा पर पानी फेरना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने कहा, 'देखेंगे, तुम्हारी इच्छा ईश्वर शायद पूरी कर देगा।'

दो ही दिन बाद मुझे सूचना मिली कि गांधीजी कानपुर से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद जा रहे हैं। उनकी गाड़ी दिल्ली पहुँचती थी सुबह चार बजे। अहमदाबाद की गाड़ी पाँच बजे छूट जाती थी। केवल घण्टे भर की फुरसत थी। और रुग्णा बेचारी दिल्ली से दम मील के फासले पर थी। घण्टे भर में रोगी से मिलना और वापस स्टेशन आना, यह दुश्वार था।

जाड़े का मौसम था। हवा तेजी से चल रही थी। मोटर गाड़ी में—उन दिनों खुली गाड़ियाँ हुआ करती थीं—गांधीजी को संवरे-संवरे ग्रीम मील सफर कराना भी

एक सी छिपानवे

भयानक था । गाधीजी आ रहे हैं, इसका बेचारी रोगिणी को तो पता भी न था । उसकी तीव्र इच्छा गाधीजी के दर्शन करने की थी । पर इसमें कठिनाई प्रत्यक्ष थी । गाधीजी गाडी से उतरे । मैंने दबी जवान में कहा—“आप आज ठहर नहीं सकते ?” गाधीजी ने कहा—“ठहरना मुश्किल है ।” मैं हताश हो गया । रोगी को कितनी निराशा होगी, यह मैं जानता था ।

गाधीजी ने उथलकर पूछा—“ठहरने की क्यों पूछते हो ?” मैंने उन्हें कारण बताया । गाधीजी ने कहा—“चलो, अभी चलो ।” “पर मैं आपको इस जाड़े में, ऐसी तेज़ हवा में, सुबह के वक्त मोटर में बैठाकर कैसे ले जा सकता हूँ ?” “इसकी चिंता छोड़ो । मुझे मोटर में बिठाओ । समय खोने से क्या लाभ ? चलो, चलो ।” गाधीजी को मोटर में बैठाया । जाड़ा और ऊपर से पैनी हवा, ये बेरहमी से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे । सूर्योदय तो अभी हुआ भी न था । ब्राह्ममुहूर्त की शांति सर्वत्र विराजमान थी । रुग्णा शय्या पर पड़ी ‘राम-राम’ जप रही थी । गाधीजी उसकी चारपाई के पास पहुँचे । मैंने कहा—“गांधीजी आये हैं ।” उसे विश्वास न हुआ । हक्की-बक्की-सी रह गई । सकपकाकर उठ-बैठने की कोशिश की, पर शक्ति कहाँ थी ? उसकी आँखों से

दो बूँदें चुपचाप गिर गईं। मैंने सोचा, मैंने अपना कर्त्तव्य-पालन कर दिया।

रोगिणी की आत्मा को क्या सुख मिला, यह उस की आँखें बता रही थीं।

गाधीजी की गाडी तो छूट चुकी थी, इसलिए मोटर से सफर करके आगे के स्टेशन पर गाडी पकडी। गाधीजी को कष्ट तो हुआ, पर रोगी को जो शान्ति मिली, उस सन्तोष में गाधीजी को कष्ट का कोई अनुभव नहीं था।

थोड़े दिनों बाद रोगिणी ने ससार से विदा ली, पर मरने से पहले उसे गाधीजी के दर्शन होगये, इससे उसे बेहद शान्ति थी।

हम भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, उसका माहात्म्य है। रतिदेव और उसके बाल-बच्चों ने स्वयं भूखे रहकर किस तरह भूखे को रोटी दी, इसका माहात्म्य हमारे पुराण गाते हैं। पर एक मरणासन्न प्राणी है। अन्तिम घडियों गिन रहा है। चाहता है कि एक पूज्य व्यक्ति के दर्शन कर लूँ। इस दर्शन के भूखे रोगी की भूख तृप्त होती है। उसे सतोष-दान मिलता है। इस दान का माहात्म्य कितना होगा ?

एक सौ अठानवे

गाधीजी इकहत्तर के हो चले ।

पच्चीस साल पहले जब मुझे उनका प्रथम दर्शन हुआ तब वह प्रौढावस्था में थे, आज वृद्ध हो गये । उस समय की सूरत वेशभूषा का आज की सूरत वेशभूषा से मिलान किया जाये तो बड़ा भारी अन्तर है । हम जब एक वस्तु को रोज-रोज देखते रहते है तो जो दैनिक परिवर्तन होता है उसको हमारी आँखें पकड़ नहीं सकती । परिवर्तन चोर की तरह आता है । इसलिए गाधीजी के शरीर में, उनकी बोलचाल में, उनकी वेशभूषा में, कब और कैसे परिवर्तन हुआ यह आज किसीको स्मरण भी नहीं है । मैंने जब गाधीजी को पहले-पहल देखा तब वह अँगरेज़ी पहनते थे । फिर कुर्ता पहनने लगे और साफे की जगह टोपी ने ले ली । एक सभा में व्याख्यान देते-देते कुर्ता भी फेंक दिया, तबसे घुटनोंतक की धोती और ओढ़ने की चादरमात्र रह गई ।

पहले चोटी बिलकुल नहीं रखते थे । हरिद्वार के कुम्

एक सौ निन्यानवे

पर एक साधु ने कहा, “गाधी, न यज्ञोपवीत, न चोटी, हिन्दू का कुछ तो चिह्न रखो ।” तबसे गाधीजी ने शिखा धारण कर ली । और वह एक खासी गुच्छेदार शिखा थी । एक रोज अचानक सिर की तरफ मेरी नजर पड़ी तो देखता हूँ शिखा नहीं है । शिखा के स्थान के सब बाल धीरे-धीरे उड़ चले और जो शिखा धारण की गई थी वह अपने-आप ही विदा हो गई । शिखा के अभाव ने मुझे याद दिलाया कि जिन पाँच तत्वों से एक-एक चीज पैदा हुई थी, उन्हींमें धीरे-धीरे वे अब विलीन हो रही हैं । दाँत सारे चले गये, पर कब-कब गये, कैसे-कैसे चुपके से चलते गये, इसका पास रहनेवालों को भी ध्यान नहीं है ।

लोगों को अपने जीवन में यश-अपयश दोनों मिले हैं । कभी लोक-प्रियता आई, कभी चली गई । ड्यूक ऑफ वेल्सिंग्टन, नेपोलियन, डिजरायली, ग्लेडस्टन, इत्यादि राजनैतिक नेताओं ने अपने जीवन में उतार-चढ़ाव सब कुछ देखा । पर गाधीजी ने चढ़ाव-ही-चढ़ाव देखा, उतार कभी देखा ही नहीं । अपने जीवन में बड़े-बड़े काम किये । हर क्षेत्र में कुछ-न-कुछ दान किया । साहित्यिक क्षेत्र भी इस दान से न बचा । कितने नये शब्द रचे, कितने नये प्रयोग चलाये, लेखन-शैली पर क्या असर डाला,

दसका तलपट भी कभी लगेगा ।

फिसीने मिसेज वेसेंट से पूछा था कि हिन्दुस्तान में हमारी सबसे बड़ी बुराई कौन-सी है । मिसेज वेसेंट ने कहा, “हिन्दुस्तान में लोग दूसरे को गिराकर चढ़ने की कोशिश करते हैं, यह सबसे बड़ी बुराई है ।” चाहे यह सबसे बड़ी बुराई हो या न हो, पर इस तरह की बुराई राजनैतिक क्षेत्र में अक्सर यहाँ पाई जाती है । पर गाधीजी ने जमीन से खोद-खोदकर हीरा निकाला । उन्होंने राख छान-छानकर सोना जमा किया । सरदार वल्लभभाई को बनाने का श्रेय गाधीजी को है । राजगोपालाचार्यजी को, राजेन्द्रबाबू को गद्दा गाधीजी ने । सैकड़ों टिग्गज और लाखों सैनिक गाधीजी ने पैदा किये । करोड़ों मुर्दा देशवासियों में एक नई जान फूँक दी । छोटे-छोटे आदमियों को काट-छाँटकर सुघड़ बना दिया । “चिडियो से मैं बाज लडाऊँ, तब गोविन्दासिंह नाम रखाऊँ ।”

जिन गाधीजी की ऐसी देन रही, वह अब बुड्ढे होते जा रहे हैं ।

कब बुड्ढे हो गये, इसका हमें ध्यान नहीं रहा ।

“दिन-दिन, घड़ी-घड़ी, पल-पल, छिन-छिन म्रघत जात जैसे बजरो को पानी” ऐसे आयु शीतती जा रही है । पर गाधीजी लिखते हैं, बोलते हैं, हमारा मचात्मन करते हैं,

दो ती एक

इसलिए उनके शारीरिक शैथिल्य का हमें कोई ज्ञान भी नहीं है। हमने मान लिया है कि गांधीजी का और हमारा सदा का साथ है। ईश्वर करे, वह चिरायु हों।

यदि कोई अपनी जवानी देखकर गांधीजी को जिन्दा रख सके तो हजारों युवक अपना जीवन देने के लिए उद्यत हो जायें। पर यह तो अनहोनी कल्पना है।

अन्त में फिर प्रश्न आता है: गांधीजी का जीवन-चरित्र क्या है ?

राम की जीवनी को किसी कवि ने एक ही श्लोक में जनता के सामने रख दिया •

आदौ रामतपोवनाधिगमन, हत्त्वा मृग काचनम् ।
 वैदेहीहरण, जटायुमरण, सुग्रीवसभाषणम् ।
 वालीनिग्रहण, समुद्रतरण, लकापुरीदाहनम् ।
 पञ्चाद्रावण कुंभकर्णहनन, एतद्धि रामायणम् ॥

गांधीजी की जीवनी भी शायद एक ही श्लोक में लिखी जासके, क्योंकि एक ही चीज आदि से अन्ततक मिलती है—अहिंसा, अहिंसा। खादी कहो या हरिजन-कार्य, ये अहिंसा के प्रतीक हैं। पर एक बात है। राम के जीवन को अकित करनेवाला श्लोक अन्त में बताता है “पञ्चाद्रावण कुंभकर्णहननम्”। क्या हम गांधीजी के बारे में—इरलैण्डगमनं, विद्याध्ययनम्, भारतागमनं, अफ्रीका-

दो सौ दो

गमन, सत्याग्रहप्रकरण, भारतपुनरागमन, सत्याग्रहमंचालनम्,
इत्यादि-इत्यादि कहकर अन्त में कह सकते हैं कि
“पारतन्त्र्यविनाशनम् ?”

कौन कह सकता है ? गांधीजी अभी जिन्दा हैं ।

बड़े ही दिन पहले चीन-निवासी एक विशिष्ट सज्जन
ने उनमें प्रश्न किया, “क्या आप अपने जीवन में भारत
को स्वतन्त्र देखने की आशा करते हैं ?” “हाँ, करता
तो हूँ । यदि ईश्वर को मुझसे और भी काम लेना है तो
जरूर मेरे जीवन-काल में भारत स्वतन्त्र होगा । पर
यदि ईश्वर ने मुझे पहले ही उठा लिया तो इससे भी
मुझे कोई सदमा नहीं पहुँचेगा ।”

पर कौन कह सकता है कि भविष्य में क्या होगा ?

“को जाने कल की ?”

—समाप्त—